खण्ड-194, अंक-4
गुरूवार, 13 चैत्र, शक संवत् 1880
(3 अप्रैल, 1958 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 194 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३ अप्रैल, १९५८ ई०

(विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य (३४१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आथर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुरहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनसिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहर लाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर आचार्य, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पद्मदरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वर दीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री

बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुन्नाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल जायसवी, श्री

मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोरराव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन तिवारी, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री लक्ष्मणसिंह ने शपथ ग्रहण की ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३ अप्रैल, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय की फाइनेन्स, पी० डब्ल्यू० डी० और जनरल शाखाओं में ज्येष्ठता न निर्धारण होने के कारण कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि विषयों के लिये यू० पी० सेक्रेटेरियट की फाइनेन्स, पी० डब्ल्यू डी० व जनरल शाखाओं के विलोनीकरण के आदेश सरकार द्वारा जारी हो गये हैं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। १ सितम्बर, १९५७ ई० से विलोनीकरण हो गया है ।

**२—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो क्या यह सही है कि फाइनेन्स व पी० डब्ल्यू० डी० शाखाओं में जनरल शाखाओं की अपेक्षा जूनियर कर्मचारी सुपरिन्टेन्डेंट आदि पदों पर अब भी कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां ।

**३—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो सरकार इस असंगति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है और यह कब तक दूर हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार ने यह तय किया है कि जो कर्मचारी १ सितम्बर, १९५७ ई० (विलोनीकरण की तिथि) को दीर्घकालीन पदों पर काम कर रहे थे उन्हें प्रत्यावर्तित नहीं किया जायगा । जो कनिष्ठ कर्मचारी इस समय वित्त या सार्वजनिक निर्माण शाखाओं में अनुसूचित तथा सहायक सचिव के पदों पर कार्य कर रहे हैं वे इन पदों पर १ सितम्बर, १९५७ ई० के पहिले से कार्य कर रहे हैं इसलिये उनके प्रत्यावर्तन का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि अभी अपर डिवीजन असिस्टेंटों की ज्येष्ठता निर्धारित न हो सकी, अतः यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि कनिष्ठ व्यक्ति अधीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। यह संभव हो सकता है कि कुछ कर रहे हों जो स्थिति ज्येष्ठता निर्धारित होने पर स्पष्ट होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं कि जो कनिष्ठ हैं और सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि पदों पर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कितने कनिष्ठ हैं और कितने ज्येष्ठ, यह तय हो जाय तभी यह बताया जा सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठता का निर्धारण कितने महीनों में हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम लोग ऐसी कोशिश में हैं कि बहुत जल्द यह निश्चित कर दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जो कनिष्ठ कर्मचारी उच्च पदों पर काम करते हैं उसके कारण अन्य कर्मचारियों में असंतोष है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसको तो वही लोग बता सकते हैं। मैं कर्मचारियों में नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि उनको क्या भाषता है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन विभागों के उन कर्मचारियों ने उनके पास कोई रिप्रेजेन्टेशन दिया है कि इस प्रकार से कनिष्ठ कर्मचारी ज्येष्ठ पदों पर काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता ।

तारांकित प्रश्न

जिला उन्नाव की तहसील सफीपुर में मालगुजारी की वसूली हेतु सम्मन, वारण्ट और कुर्की

*१—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उन्नाव जिले की तहसील सफीपुर में मालगुजारी की वसूली हेतु जून तथा जुलाई मास, १९५७ में कितने व्यक्तियों को सम्मन, कुर्की, वारन्ट जारी किये गये ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—उन्नाव जिले की तहसील सफीपुर में मालगुजारी की वसूली के लिए जून व जुलाई, १९५७ में ६१ व्यक्तियों के प्रति सम्मन, ३२ व्यक्तियों के प्रति वारण्ट गिरफ्तारी और ८३ व्यक्तियों के प्रति कुर्की जारी की गई।

जिला उन्नाव की तहसील सफीपुर में स्थायी व अस्थायी लेखपाल

*२—श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में कितने स्थायी व कितने अस्थायी लेखपाल इस समय कार्य कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह—२३ स्थायी तथा ५२ अस्थायी ।

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क्स पर व्यय

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मन्त्री टेस्ट वर्क्स सम्बन्धी ५-९-५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के क्रम के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक प्रत्येक टेस्ट वर्क्स पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलों में टेस्ट वर्क्स कम और ज्यादा खोलने का कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—वहां पर लोगों के जीविकोपार्जन के साधन व टेस्ट वर्क्स की मांग ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी हासिल करेंगे कि टेस्ट वर्क्स की मांग ज्यादा है पर खोले नहीं गये ?

श्री चरणसिंह—जहां जितनी आवश्यकता राज्य कर्मचारियों ने समझी वहां खोले हैं और सबसे ज्यादा आजमगढ़ जिले में खोले गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो धन दिया गया था उसके अनुसार टेस्ट वर्क्स की आवश्यकता का खयाल करते हुये वह क्यों नहीं खर्च किया गया ?

श्री चरणसिंह—मुझे तो यह मालूम नहीं है कि नहीं खर्च किया गया । जितना रुपया हमने दिया है उम्मीद है सारा खर्च किया गया होगा, मुमकिन है कि थोड़ा बहुत बचा हो ।

आजमगढ़ जिले को तकावी तथा मुफ्त सहायता

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९५७ में आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील में कितनी-कितनी तकावी एवं मुफ्त सहायता वितरित की गई है ?

श्री चरणसिंह—जुलाई, १९५७ में आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में निम्नलिखित तकावी व मुफ्त सहायता दी गई—

तहसील	तकावी	मुफ्त सहायता	चरखा
	रुपया		
१ सदर ..	२९,२३५	१९२ गज मारकीन ..	१००
२ मुहम्मदाबाद	१३,३३०	१९२ ,, ,, ..	..
३ घोसी ..	३२,२४०	१९२ ,, ,,	..
४ फूलपुर ..	३१,१२५	१९२ ,, ,, ..	२००
५ लालगंज ..	१९,१००	१९२ ,, ,, ..	२००
६ सगड़ी ..	२९,६९०	१९२ ,, ,,	..
योग ..	१,५४,७२०	१,१५२ ,, ,, ..	५००

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक चर्खे की कीमत क्या है ?

श्री चरणसिंह—ठीक मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मोटी सी बात है कि चर्खे-चर्खे के ऊपर होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्रम संख्या २, ३ और ६ की तहसीलों में चर्खे का वितरण क्यों नहीं हुआ है ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—चर्खा किस आधार पर वितरित किया गया और वह कितने नम्बर का रहा ?

श्री चरणसिंह—ये सब बातें मुझे इस समय नहीं मालूम हैं । इनके लिये मुझे टाइम चाहिये ।

मनीआर्डर द्वारा अधिवासियों को मुआवजा भेजने की प्रार्थना

*६—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार अधिवासियों का मुआवजा मनीआर्डर द्वारा भेज देने के बारे में विचार कर रही ह ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनीआर्डर द्वारा रुपया भेजने में क्या कठिनाई है ?

श्री चरणसिंह--कानूनन वैलिड डिसचार्ज होना चाहिये । मनीआर्डर किसी गलत आदमी के वसूल कर लेने पर सही आदमी ने सरकार पर दावा किया तो गवर्नमेंट को हानि होगी । इसलिये इस मसले पर विचार करने के बाद मनीआर्डर से रुपया भेजना मुनासिब नहीं समझा गया ।

श्री मुक्तिनाथ राय--मनीआर्डर से सही लोगों का रुपया न मिलने का क्या सरकार के पास कोई इलाज नहीं है ?

श्री चरणसिंह--मसलन्, जिस आदमी के नाम हमारे यहां दर्ज है उसके नाम मुआवजा तय होने के बाद वह मर गया, तहसील में उसके मरने की इत्तला नहीं है और न वारिसों के नाम हैं, और कई वारिसों में से ४ ने तो ले लिया और पांचवें के दस्तखत नहीं हैं, इस तरह की कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं । लेकिन लोगों की सहूलियत के लिये सन् ५२ में ये आर्डर दे दिये थे कि सरकारी मालगुजारी या दूसरे देय जो मालगुजारी के तौर पर वसूल किये जा सकते हैं, मुआवजा उसमें मुजरा किया जा सकता है और हर जिले में लाखों रुपया इस तरह से ऐडजस्ट हुआ । तो उन क्षेत्रपतियों को या मुआवजा पानेवालों को तहसील में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में मुआवजे का वितरण तथा बकाया

*७--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में जब से जमींदारी का मुआवजा दिया जा रहा है तब से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक कुल कितना धन दिया जा चुका है और कितना कुल धन मुआवजे का अभी देने को बाकी है तथा इस हिसाब से वह धन सगड़ी तहसील के भूतपूर्व जमींदारों को किस सन् तक मिल जाने की संभावना है ?

श्री चरणसिंह--आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के भूतपूर्व मध्यवर्तियों को ३१ अक्तूबर, सन् १९५७ तक १२,४४,१२४.२४ रुपये की धनराशि प्रतिकर में दी जा चुकी थी और ७,२९,३८४.८८ रुपये देने को बाकी थे । सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि इन भूतपूर्व जमींदारों को सन् १९५८ के अन्दर अन्दर सब मुआवजा प्राप्त हो जाय ।

गोरखपुर जिले में ग्राम सभा विजयनगर से संबंधित नदी से निकली भूमि तथा बांसगांव तहसील में कुछ गांवों में बालू पड़ी जमीन का लगान वसूल करना

*८--श्री उग्रसेन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा विजय नगर, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में कितनी जमीन नदी से निकली है और उसमें से कितनी गांव सभा की है ?

श्री चरणसिंह--जिला गोरखपुर की तहसील बांसगांव में कोई ग्राम विजयनगर नाम का नहीं है परन्तु डेरवा गांव को लोग विजय नगर के नाम से भी पुकारते हैं । इस ग्राम में ८५ एकड़ भूमि नदी घाघरा से बरामद हुई है इस जमीन पर गांव के लोगों में मुकदमेबाजी हो रही है । गांव समाज का कोई दावा इस जमीन पर अभी नहीं है ।

*९--श्री उग्रसेन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सेमरा, नवलपुरा, आछीडीह, कोईलीखाल, मिश्रौली, तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में कितनी जमीन में नदी का बालू (रेत) पड़ा है ?

श्री चरणसिंह--गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के ग्राम सेमरा, नवलपुरा, आछीडीह, कोईलीखाल, और मिश्रौली में ३६४ एकड़ भूमि पर बालू पड़ गई है ।

*१०—श्री उग्रसेन—क्या सरकार उक्त भूमि का लगान लेती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जी हां, क्योंकि उक्त भूमि पर कृषि की जाती है ।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डेरवा और विजयनगर गांव में ८५ एकड़ भूमि नदी से कब निकली है ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन—घाघरा नदी से निकली जमीन पर गांववालों में किस प्रकार की मुकदमेबाजी हो रही है ?

श्री चरणसिंह—पुराने जमींदार और कुछ काश्तकारों में झगड़ा है। जमींदार यह कहता है कि यह जमीन उसकी है और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी होनी चाहिये, उनका कब्जा है । इसकी अदालत में मुकदमेबाजी हो रही है । गांव समाज का इस जमीन पर कुछ अधिकार है या नहीं, इसे गवर्नमेंट यहां से एग्जामिन करके तब गांव समाज से कहेगी कि उसे दावा दायर करना चाहिये या नहीं ।

श्री उग्रसेन—३६४ एकड़ भूमि में जो बालू है वह प्रति गांव समाज कितना-कितना है ?

श्री चरणसिंह—यह मैं इस समय नहीं बता सकता ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि बालूवाली भूमि में कौन-कौन फसलें उगायी जाती हैं ?

श्री चरणसिंह—इसका मुझको इल्म नहीं है ।

*११—श्री मुक्तिनाथ राय—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर में मालगुजारी की वसूली

*१२—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १३६४ फसली की तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर की कुल मालगुजारी कितनी थी और उनमें कितनी नवम्बर, सन् १९५७ तक वसूल हुई ?

श्री चरणसिंह—तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर की सन् १३६४ फसली की संशोधित मालगुजारी ७,९३,९४८ रुपये थी, जिसमें से ६,२४,६०८ रुपये की वसूली नवम्बर, सन् १९५७ तक हुई ।

*१३—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*१४—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर के किन-किन गांवों में १ मई, १९५७ से ३० नवम्बर, १९५७ तक आग लगी और कितना कितना रुपया उन गांवों को सहायता के रूप या तकावी के रूप में दिया गया ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०८-४०९ पर)

*१५—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

चकबन्दी समितियों को भूमिहीनों के लिये आबादी की भूमि छोड़ने हेतु आदेश

*१६—श्री माता प्रसाद—क्या माल मन्त्री चकबन्दी समितियों को ऐसा आदेश देने का विचार कर रहे हैं कि चकबन्दी वाले गांव में जिनके पास आबादी की भूमि नहीं है या बहुत ही कम है उनके लिये समुचित रूप से आबादी की भूमि अनिवार्य रूप से छोड़ने की व्यवस्था की जाय ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा १४ में चकबन्दी वाले गांव में आबादी के लिये अनिवार्य रूप से भूमि छोड़ने का विधान पहले से ही मौजूद है।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि चकबन्दी समिति कितने प्रतिशत भूमि आबादी के लिये छोड़ सकती है ?

श्री चरणसिंह—कोई प्रतिशत मुकर्रर नहीं है। चकबन्दी कमेटी जितनी जरूरत समझे, छोड़ सकती है ?

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि चकबन्दी समिति भूमिहीनों की आबादी के लिये बहुत ही कम भूमि छोड़ती है ?

श्री चरणसिंह—यह बात ठीक है। लेकिन अभी चकबन्दी संचालक की ओर से यह आदेश निकाला गया है कि अगर चकबन्दी कमेटी हरिजनों या दूसरे भूमिहीनों के लिये, आबादी या मकान बनाने के लिये जमीन नहीं छोड़ती है तो चकबन्दी अधिकारी स्वयं आर्डर दे सकता है। इस प्रकार से आबादी के लिये जमीन छोड़ने का अधिकार अफसरों को दे दिया गया है अगर चकबन्दी कमेटी न छोड़े तो।

जौनपुर जिले के इटहा व रामनगर घघरिया ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि के लिये भूतपूर्व जमींदारों द्वारा मुआवजा की वसूली

*१७—श्री माता प्रसाद—क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में इटहा और रामनगर घघरिया ग्रामों में समाज की भूमि का पट्टा, कुछ भूतपूर्व जमींदारों के कारिन्दों ने पुरानी रसीदों पर कर के मुआवजा प्राप्त कर लिया है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि फर्जी पट्टे प्रतिकर अधिकारी के सामने साबित करके ज्यादा मुआवजा हासिल किया गया। जांच से मालूम हुआ कि ऐसे सभी पट्टे २१ मई, सन् १९५२ के पहले के थे और उनका फर्जी साबित होना मुश्किल था। संबंधित प्रतिकर तालिकायें भी सन् १९५४ में ही अन्तिम हो चुकी थीं और उनका संशोधन संभव नहीं था।

श्री माता प्रसाद—क्या माननीय माल मंत्री जी के पास यह शिकायत आयी है कि इटहा और रामनगर में हरिजनों की पुश्त दर पुश्त की आबाद भूमि के पट्टे जमींदारी एबालिशन के बाद कर दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—मुझे ऐसी शिकायत माननीय माता प्रसाद जी और माननीय नागेश्वर द्विवेदी जी के द्वारा तथा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, जौनपुर के द्वारा मिली थी। तफसील तो मुझको मालूम नहीं है लेकिन ऐसी भी कोई शिकायत आयी थी जैसी कि सवाल में की गयी है। जो कुछ पट्टेदारों ने तो यह कहा कि यह पट्टे की जमीन नहीं चाहिये। उन्होंने स्वयं जमीन छोड़ दी। कुछ में जमीन खाली कराने के लिये गांव समाज ने कहा। इनमें ५३ में से ४१ में डिग्री हो चुकी है, १२ विचाराधीन हैं। बाकी २१६ या ३१६ पट्टे ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेन्ट कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन पट्टों का अमल-दरामद हो चुका था ? अगर हुआ था तो कब ?

श्री चरण सिंह---अमलदरामद भी हो चुका था और उसके आधार पर मुआवजा भी ले चुके थे। उसकी सही डेट तो इस समय बता नहीं सकता, गालिबन १९५२ में अमलदरामद हुआ था।

योजना में स्माल सेविंग्स सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह काटने के लिये कथित आदेश

*१८---**श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसकी ओर से कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों की १५ अगस्त से २ अक्तूबर तक की तनख्वाह स्माल सेविंग्स योजना में काट ली जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं ।

*१९---**श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)**---यदि हां, तो क्या सरकार इस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२०-२१---**श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)**---[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२३---**श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)**---[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२४-२६---**श्री गज्जूराम (जिला झांसी)**---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

लखनऊ में किंग जार्ज तथा मल्का विक्टोरिया की मूर्ति के स्थान पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने की प्रार्थना

*२७---**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में जिन स्थानों से किंग जार्ज तथा मल्का विक्टोरिया की मूर्तियां हटाई गई हैं उन स्थानों का क्या प्रयोग होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

*२८---**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (अनुपस्थित)**---क्या सरकार उक्त स्थानों पर स्वर्गीय गांधी जी तथा अन्य स्वर्गीय राष्ट्र के नेताओं की मूर्ति स्थापित करने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

बरेली जिले में बाढ़ग्रस्त ग्रामों को पुनः बसाने की व्यवस्था

*२९---**श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित)**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में बाढ़ से जो ग्राम नष्ट हो गये उनको पुनः बसाने की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये आवश्यकतानुसार भूमि का प्रबंध किया जा रहा है ।

सिरौली, जिला बरेली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में टेस्ट वर्क खोलने के लिये प्रार्थना

*३०—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार सिरौली क्षेत्र, बरेली में रामगंगा की बाढ़ से गत दो वर्षों से हुई हानि को ध्यान में रखते हुए वहाँ फैली हुई भीषण बेकारी को दूर करने के लिये टेस्ट वर्क खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—बरेली जिले के सिरौली क्षेत्र में गत २ वर्षों में बाढ़ से हानि अवश्य हुई थी, परन्तु यह सत्य नहीं है कि इसके कारण उस क्षेत्र में बेकारी फैली हुई है । बाढ़ के बाद रबी की फसल इस क्षेत्र में अच्छी हुई है और वहां किसी प्रकार के सहायता कार्य खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*३१—श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३२—श्री गनेशीलाल चौधरी—[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

तहसील ललितपुर, जिला झांसी में सर्किल रेट तथा बरेजों की भूमि का लगान

*३३—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील ललितपुर (जिला झांसी) में भूमि का सर्किल रेट क्या है और ग्राम पाली, तहसील ललितपुर में पांचों के बरेजों की भूमि का लगान किस रेट से लिया जाता है और क्यों ?

श्री चरण सिंह—तहसील ललितपुर, जिला झांसी के सर्किल रेट संलग्न सूची में दिये हुये हैं। ग्राम पाली, तहसील ललितपुर में पाचों के बरेजों की भूमि का सर्किल रेट ५७ रुपये से ९८ रुपये प्रति एकड़ तक है । इन बरेजों की मालगुजारी वही ली जा रही है जो जमींदारी विनाश से पहले लगान के रूप में देय थी । मौजूदा मालगुजारी ४० रुपये से २०० रुपये प्रति एकड़ तक है और साधारणतः यह सर्किल रेट के दूने से ज्यादा नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४१०–४१२ पर ।)

जिला इटावा के महुआ संघ की मांगों के संबंध में कार्यवाही

*३४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार का ध्यान जिला इटावा के महुआ संघ की उन मांगों की ओर गया है जो १७ अगस्त, १९५७ की होने वाली सम्मेलन में की गईं ? अगर हां, तो सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री चरण सिंह—जिला इटावा के महुआ संघ की मांगें सरकार के पास नहीं आईं बल्कि स्थानीय अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत की गईं । प्रश्न होने के बाद सरकार ने इन मांगों पर विचार किया है । मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

मांग	कार्यवाही
१—यह कि ठेकेदारों को यह आदेश हों कि मछली पकड़ने वाले केवल स्थानीय लोग ही रक्खे जायं ।	१—जिला अधिकारी इस मांगपर पहले से ही अमल कर रहे हैं । नीलाम की सूचना में यह शर्त लिखी होती है कि जहां तक संभव हो सके, बोली बोलने वालों को आस-पास के मछेरे ही मजदूरी पर रखने होंगे ।

मांग	कार्यवाही
२—यह कि ठेकेदार १ मन के स्थान पर १–१/२ मन तौल के हिसाब से मछली लेते हैं।	२—चूंकि यह एक व्यापार की प्रथा है और कोई कानून की खिलाफवर्जी इसमें नहीं होती है, इसलिये इस मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
३—यह कि प्रोफैशनल लोकल फिशरमैनों को प्रमाण-पत्र दिये जायं ताकि वे सरकार से दी हुई सुविधाओं से लाभ उठा सकें।	३—यह मांग सरकार के विचाराधीन है।
४—यह कि जिन नदियों में पंचायतों द्वारा जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त ठेके दिये जा रहे हैं वे शिकारियों के लिये निःशुल्क घोषित कर दिये जायें।	४—गांव समाज मैनुअल के तृतीय संस्करण के पैरा ६२/३ (क) में यह साफ लिखा हुआ है कि जहां कहीं जमींदारी विनाश के पहले लोग मुफ्त मछली मारते थे वहां पर मछली का ठेका नीलाम नहीं किया जाय जब तक कि भूमि प्रबंधक समिति बाइतफाक राय यह तय न करे कि ठेका होना चाहिये और जिलाधीश स्थानीय रहने वालों की सुविधा का खयाल रखते हुये इस प्रस्ताव को मंजूरी न दे। अतः इस मांग पर कोई और कार्यवाही की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय माल मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि छुवासंघ की तीसरी मांग के सम्बन्ध में जो उन्होंने उत्तर में बतलाया है कि वह विचाराधीन है, उसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—अब कोई मियाद तो नहीं रखी जा सकती हूं। जनाब ने जब से सवाल किया तब से विचार हो रहा है, कोई बड़ा अर्सा नहीं हुआ, मुमकिन है ला डिपार्टमेंट से मशविरा करना हो।

मंत्री, उपमंत्री तथा सभासचिव के यात्रिक भत्ते के सम्बन्ध में जानकारी

*३५—**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ मार्च, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कितना खर्चा मंत्री, उपमंत्री और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के आने जाने का तथा उद्घाटनों में सम्मिलत होने में यात्रिक भत्ते पर हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मंत्रियों को यात्रिक भत्ता के रूप में कोई रुपया नहीं दिया जाता है। उनको दौरे के समय कुछ सुविधायें प्रदान की जाती हैं और जो वास्तविक खर्चा होता है वह सब सरकार देती है। इस प्रकार १ मार्च से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक जो वास्तविक सरकारी रुपया खर्च हुआ उसका ब्योरा मेज पर रक्खा है।

उपमंत्री तथा सभा सचिवों के दौरों पर जो सरकारी रुपया १ मार्च से ३१ दिसम्बर, सन् १९५७ तक व्यय हुआ उसका ब्योरा भी मेज पर रक्खा है।

इस सम्बन्ध में यह बतलाना सम्भव नहीं है कि उपरोक्त धनराशि से कितना रुपया उन यात्रिक यात्राओं से संबंधित है जो मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिवों ने उद्घाटनों में सम्मिलित होने के लिये की क्योंकि इसका कोई हिसाब अलग से नहीं रखा जाता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४१३ पर)

सहिला, जिला उन्नाव में खेत बढ़ाये जाने के संबंध में हरिजनों का शिकायती पत्र

*३६—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सहिला, परगना भगवन्तनगर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव के हरिजनों ने जिला अधिकारियों के पास सितम्बर, १९५७ में यह शिकायत की है कि किसी खेत के बढ़ाये जाने के कारण उस खेत का पानी उनके द्वारा निर्मित कुयें में भर रहा है और इस कारण कुवां और कुयें का पानी खराब हो रहा है और उक्त खेत के बढ़ाये जाने के कारण बैलगाड़ियों के जाने आने का मार्ग भी नहीं रह गया ?

श्री चरण सिंह—जी हां, ग्राम सहिला के हरिजनों ने एक आवेदन पत्र सितम्बर, १९५७ में दिया था।

*३७—श्री भगवती सिंह विशारद (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उपर्युक्त शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरण सिंह—उक्त आवेदन-पत्र पर जाच की गई और जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५ डी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। अनधिकार भूमि बढ़ाने वाले की बेदखली की आज्ञा हो चुकी है और दखलदिहानी की कार्यवाही हो रही है।

हरदोई जिले में डेवलपमेंट एग्जीबीशन पर व्यय

*३८—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई में जनवरी मास, १९५८ में जो डेवलपमेंट एग्जीबीशन की गई उस में सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—हरदोई में जनवरी मास १९५८ में जो किसान मेला एवं डेवलपमेंट कांफ्रेंस हुई थी उसमें सरकार द्वारा २,८५२ रुपये ६३ नये पैसे व्यय किये गये।

*३९—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त डेवलपमेंट एग्जीबीशन करने के लिये कोई कमेटी बनाई गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उसके सदस्यों, प्रधान तथा मन्त्री की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, इस सम्बन्ध में कोई कमेटी नहीं बनाई गई।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह मेला कितने दिन हुआ है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो आपको ज्यादा मालूम होगा क्योंकि आप खुद वहां के रहने वाले हैं। मुझे तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह २,८५२ रुपये ६३ नये पैसे जो खर्च हुए हैं वे किस मद से खर्च किये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिला नियोजन समिति, हरदोई ने १,००० रुपये, जिला पशुधन अधिकारी ने २५० रुपये, जिला कृषि अधिकारी, हरदोई ने ४५० रुपये, जिला सूचना अधिकारी ने ३०० रुपये, जिला उद्योग अधिकारी ने ४५० रुपये, जिला गन्ना अधिकारी ने २६४ रुपये ५७ नये पैसे, अल्प बचत अधिकारी ने ५० रुपये, हरिजन अधिकारी ने ८८ रुपये ६ नये पैसे दिये।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी स्वीकृति जिला नियोजन कमेटी से ली गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, प्लानिंग कमेटी से स्वीकृति ली गयी थी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एग्जीबीशन से सरकार को आमदनी भी हुई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो प्रचार के लिये होता है, आमदनी के लिये नहीं किया जाता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अधिकारियों ने अपने पास से रुपया दिया, वह विभाग से दिया या कर्मचारियों से चन्दा लेकर दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो विभागीय प्रचार का काम था ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मेले का मुख्य प्रबन्धकर्ता कौन था और यह रुपया किस की मार्फत खर्च हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिला नियोजन अधिकारी की ।

भ्रष्टाचार विरोधी समितियों को जिलेवार अनुदान

*४०---श्री मोहनलाल वर्मा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने जिलों में Anti-corruption Committees बनी हुई हैं ? १९५६-५७ में उन कमेटियों के खर्च के लिये कुल कितना रुपया जिलेवार दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रदेश के समस्त जिलों में भ्रष्टाचार विरोधी समितियां बनी हुई हैं । १९५६-५७ में ५०० रुपया प्रति जिले के हिसाब से कुल २५,५०० रुपया समितियों को दिया गया ।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस रुपये को खर्च करने के सम्बन्ध में कोई आदेश भी यहां से जिलों में गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, जनरल आदेश हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रचार में यह रुपया व्यय किया जाय ।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या यह सत्य है कि यह रुपया केवल नोटिस और इश्तहारों आदि में ही व्यय किया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मैं समझता हूं जरूर ऐसा होता है, प्रचार तो एक बहुत बड़ा साधन होता है करप्शन को दूर करने का ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५०० रुपया का कमेटी का व्यय बताया गया है इसमें किसी पेड सर्वेन्ट का भी वेतन शामिल है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, पेड पर कुछ खर्च नहीं हुआ और न होना चाहिये था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यह रुपया किस-किस काम में खर्च किया गया, क्या इस बात की कोई रिपोर्ट सरकार के पास आई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हर जिले की ब्योरेवार रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन किस जिले में कितना व्यय हुआ इस की रिपोर्ट मेरे पास जरूर है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एण्टी करप्शन कमेटी में जो रुपया व्यय होता है, उसके खर्च करने में एण्टी करप्शन आफिसर की भी राय ली जाती है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, कमेटी अपनी राय से खर्च करती है ।

*४१-४३—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—[२१ मार्च, १९५८ को प्रश्न संख्या ६५-६७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

झांसी तहसील के बबीना मिलीटरी कैम्प में बम दुर्घटनाओं से मृत व्यक्तियों के कुटुम्बियों को मुआवजा न मिलना

*४४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि झांसी तहसील के मवई व नगाद ग्राम के छः ग्रामीण पुरुष व महिलायें बबीना मिलीटरी कैम्प के दो बमों के फटने के फलस्वरूप बुरी तरह से घायल होने के कारण नवम्बर में झांसी सिविल अस्पताल में भर्ती हुये हैं ?

श्री चरण सिंह—जी हां ।

*४५—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बमों के फटने से कितने व्यक्ति व जानवर जख्मी हुये तथा मरे ?

श्री चरण सिंह—इन बमों के फटने के कारण किसी मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई । ४ स्त्रियां व २ पुरुष घायल हुए । ३ बैल मरे व २ भैंसे और १ बैल जख्मी हुआ ।

*४६—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं से कितने व्यक्ति व जानवर मरे तथा घायल हुए थे और सरकार से उनके कुटुम्बियों तथा मालिकों को कितना-कितना मुआवजा मिला था ?

श्री चरण सिंह—गत तीन वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं से ११ मनुष्यों की मृत्यु हुई व २५ घायल हुए । तीन जानवर मारे गये व ६ घायल हुए । इनके कुटुम्बियों या मालिकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न मुआवजा देने का कोई प्रश्न ही उठता है ।

धनुआ ग्राम, जिला इटावा में नलकूप लगाने में असफलता पर तकावी का रुपया मुआफ करने की प्रार्थना

*४७—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, भोगनीपुर डिवीजन लोअर गैंजेज कैनाल, इटावा द्वारा धनुआ ग्राम, जिला इटावा में ट्यूबवेल नं० २ बनाया गया था और इस ट्यूबवेल के वास्ते १०,००० रुपये उपरोक्त विभाग को सोसाइटी की ओर से दिया गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिलाधीश, इटावा ने धनुआ नलकूप संख्या २ सहकारी समिति को एक नलकूप बनाने के लिये १०,००० रुपये तकावी के रूप में दिया था । एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, भोगनीपुर डिवीजन गंगा नहर ने समिति की ओर से इस नलकूप के निर्माण का कार्य कराया था ।

*४८—श्री भजनलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि ट्यूबवेल का कार्य ४ दिसम्बर, सन् १९५३ को प्रारम्भ हुआ व जून, सन् १९५६ तक दो बार बोरिंग करके जाली (स्ट्रेनर) डाली गई परन्तु दोनों बार टूट गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां ।

*४९---**श्री भजनलाल**---यदि हां, तो क्या सरकार कृपया यह भी बतलायेगी कि कोआपरेटिव सोसाइटी के ट्यूबवेल नं० २ को जो हानि हुई है उसकी सरकार पूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं, सरकार किसी भी नलकूप की सफलता या असफलता के लिये आश्वासन नहीं देती । इस प्रकार हानि की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भजनलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर, भोगनीपुर डिवीजन, लोअर गंजेज कैनाल इटावा की ओर से जो नलकूप ग्राम धनुआ में बनाया गया था उसकी कार्यकुशलता ठीक न होने की वजह से २ बार परिश्रम करने के बाद भी उसमें असफलता रही ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह बात तो नहीं है, उन्होंने तो काम ठीक ही किया लेकिन किसी तरह से अटक कर उसकी जाली फट गई और वह तो अब भी बनाने के लिये तैयार है, लेकिन सोसाइटी अन्य खर्च देने को तैयार नहीं होती है ।

श्री भजनलाल---क्या सरकार बतायेगी कि यह नलकूप कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस सोसाइटी ने सिविल जज के यहां दावा कर रखा है । यह तो सोसाइटी क ऊपर है यदि वह खर्च दे तो उसको सफल बना सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे कि कुछ इनएक्सपीरियंस्ड इंजीनियरों द्वारा कार्य असफल हो जाता है इसलिये उस पर सरकार दोबारा विचार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसको मैं स्वीकार नहीं करता कि इनएक्सपीरियेंस की वजह से यह खराब हुआ ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि ट्यूबवेल को किसी प्राइवेट फर्म ने बनाया है या सरकारी कर्मचारियों ने बनाया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के भोगनीपुर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बनवाया, यह जवाब दिया जा चुका है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे एक विशेषज्ञों की समिति द्वारा इसकी जांच करायेंगे कि आखिर वह ट्यूबवेल क्यों असफल हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अभी तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

*५०---**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)---[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१---**श्री अमरनाथ**---[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५२---**श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह** (जिला गोंडा)---[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गोंडा जिले के परगना बूढ़ापार व सादुल्लानगर के गांव समाज में निहित जंगल की भूमि पर निशानदेही

*५३—श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला, परगना बूढ़ापार व सादुल्लानगर, तहसील उतरौली में जंगल की जो भूमि गांव समाज में निहित हो गई है उसकी निशानदेही करके अब तक बन विभाग से अलग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार तुरन्त अलग करने का कोई आदेश जारी करेगी ?

श्री चरण सिंह—प्रश्न में उल्लिखित बन भूमि की निशानदेही हो चुकी है और सीमान्त रेखा का परिचय ग्राम समाज के चेयरमैनों को भी करा दिया गया है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह निशानदेही कब और किन अधिकारियों द्वारा की गई ?

श्री चरण सिंह—यह फारेस्ट आफिसर्स और रेवेन्यू आफिसर्स दोनों ने मिलकर की। कब की है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महज ग्राम सभा के चेयरमैनों को सिर्फ रेखाओं का परिचय ही कराया गया या कतिपय ग्राम सभा प्रधानों को उक्त भूमि का कब्जा भी दिला दिया गया ?

श्री चरण सिंह—क्योंकि दूसरा फरीक जो है वह गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है—फारेस्ट डिपार्टमेंट, इसलिये रेखा का परिचय कराना काफी है क्योंकि वह कब्जा समझा ही जायगा कि फारेस्ट डिपार्टमेंट ने छोड़ दिया। अगर कहीं कठिनाई आ रही हो तो माननीय मित्र मुझे बतायें, फारेस्ट डिपार्टमेंट से पूंछताछ कर ली जायगी।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई शिकायती-पत्र प्रधान, ग्राम समाज से आया है कि अभी तक उनको उनकी सम्पत्ति नहीं बताई गई ?

श्री चरण सिंह—जी, मुझे याद नहीं पड़ता है कि ऐसी कोई शिकायत आयी है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह निशानदेही किन्हीं पुराने निशानों के आधार पर कराई गई है या बाकायदा जरीब चलाकर फिर से निशानदेही कराई गई ?

श्री चरण सिंह—अब कैसे निशानदेही मौके पर उन लोगों ने की है, इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष—कभी-कभी कल्पना बहुत ऊंची और दूर तक जाती है।

*५४-५५—श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर में ग्राम सेवकों के चुनाव में परिगणित जाति के अभ्यर्थी

*५७--श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में सन् १९५६ व १९५७ ई० में कितने बार ग्राम सेवकों के चुनाव हुये और प्रत्येक में कितने अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र आये थे तथा उनमें कितने आवेदन-पत्र परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--१९५६ में एक बार तथा १९५७ में दो बार जिनमें क्रमशः १,२५० तथा ५२५ व ४४९ आवेदन-पत्र आये। '१९५६ के परिगणित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या अभी मालूम नहीं हो पायी किन्तु १९५७ में उनकी संख्या क्रमशः २७ और १८ थी।

*५८--श्री रामसूरत प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त चुनावों में कितने-कितने अभ्यर्थियों के नाम सरकार के पास भेजे गये और उनमें कितने अभ्यर्थी परिगणित जाति के थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--सन् १९५६ में १९४ जिनमें २ परिगणित जाति के थे तथा १९५७ में क्रमशः १८२ व ८६ जिनमें क्रमशः ४ व ५ परिगणित जातियों के थे।

*५९--श्री रामसूरत प्रसाद--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त चुनावों में कितने थारू जाति के अभ्यर्थी सम्मिलित हुये थे, क्या उनके नाम नियोजन आयुक्त के पास भेजे गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--१९५६ के चुनाव की संख्या अभी मालूम नहीं है। १९५७ के दूसरे चुनाव में ही केवल एक थारू अभ्यर्थी सम्मिलित हुआ जिसका नाम विकास आयुक्त को भी प्राप्त हुआ।

श्री रामसूरत प्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ ई० में जब कुल ग्राम सेवकों के २६८ नाम भेजे गये तो क्यों अनुसूचित जाति के ९ ही नाम भेजे गये जबकि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ४५ आये थे और प्रतिशत के अनुसार उनकी संख्या लगभग ४९ होनी चाहिये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उनकी परीक्षा ली गई थी उनमें से ज्यादा से ज्यादा इतने ही लोग नम्बर पा सके इसलिये उन्होंने उन्हीं को सरकार के पास भेजा।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ग्राम सेवकों की योग्यता का सरकार ने क्या मापदंड निश्चित किया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अब तो ग्रेजुएट्स भी होते हैं। पहले इससे इंटरमीडियेट्स लिये जाते थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ग्रामसेवकों की योग्यता के सम्बन्ध में ज्यादा ध्यान डिग्री पर दिया जाता है या उनके शारीरिक काम पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सभी बातों पर।

नौगांव खाई विकास क्षेत्र, जिला टिहरी-गढ़वाल में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़क पर व्यय

*६०--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टिहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टिहरी-गढ़वाल नौगांव खाई विकास क्षेत्र के लिये जो ९०,००० (नब्बे हजार) रुपया श्रमदान द्वारा सड़क निर्माण के हेतु मंजुर हुये थे उसमें से अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका और कितनी सड़क बनी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जितनी सड़क अभी तक बनी है इसकी लम्बाई १ मील २ फर्लांग है और उस पर अभी तक २,५०० रुपये खर्च हुआ है ।

*६१---श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)---[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६२---श्री भूपकिशोर (जिला एटा) (अनुपस्थित)---[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

एटा जिले में मद्य-निषेध कानून के अन्तर्गत कच्ची शराब बनाने तथा पीने के लिये मुकदमे

*६३---श्री भूपकिशोर (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में मद्य-निषेध कानून लागू है ? यदि हां, तो उस जिले में कितने मुकदमे सन् १९५४ से नवम्बर सन् १९५७ तक कच्ची शराब बनाने तथा पीने के चलाये गये ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी हां, एटा जिले में मद्यनिषेध कानून लागू है । इस जिले में सन् ५४ से नवम्बर सन् ५७ तक कच्ची शराब बनाने के जुर्म में ३७ मुकदमे तथा अन्य आबकारी जुर्म सम्बन्धी ७१७ मुकदमे, जिसमें शराब पीने के जुर्म के मुकदमे भी शामिल हैं, चलाए गए ।

बस्ती जिले में टेस्ट वर्क्स

*६४---श्री रामलाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत दिसम्बर, १९५७ से अब तक जिला बस्ती के अन्तर्गत कहां-कहां टेस्ट वर्क्स का काम किया गया ?

श्री चरण सिंह---बस्ती जिले में दिसम्बर, १९५७ से किये जाने वाले टेस्ट वर्क्स की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१४ पर)

टेस्ट वर्क्स से सम्बन्धित अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में जानकारी

*६५---श्री रामलाल (अनुपस्थित)---टेस्ट वर्क्स से सम्बन्धित सड़कों पर जो गैंग मोहर्रिर और वर्क इंचार्ज तथा अन्य कर्मचारी जो अफसर इंचार्ज और मजदूरों के अलावा भर्ती किये जाते हैं वह उसी स्थान और उसके आस-पास के होते हैं या सरकारी अधिकारियों के मर्जी के मुताबिक मुकर्रर किये जाते हैं और क्या इस सम्बन्ध में कोई सरकारी आदेश भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---टेस्ट वर्क्स के रूप में किये जाने वाले कामों पर वर्क चार्ज स्टाफ अधिकांशतः क्षेत्रीय ही होते हैं, बाहरी लोग तभी भर्ती किये जाते हैं जब उसी क्षेत्र में अपेक्षित योग्यता के लोग नहीं मिलते ।

इस सम्बन्ध में कोई सरकारी आदेश नहीं हैं, फेमीन कोड के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न का अंतिम भाग उठता नहीं ।

*६६---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---[बारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

इलाहाबाद में अंग्रेजों के क्लब घर में कार्यालय तथा किरायेदार

*६७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो अंग्रेजों का क्लब घर था उस इमारत में कौन से कार्यालय हैं या कौन-कौन उसमें किराया देकर रहते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(१) अंग्रेजों के क्लब घर, इलाहाबाद की इमारत में निम्नलिखित कार्यालय हैं :—

(अ) आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का कार्यालय ।

(ब) आयुक्त, इलाहाबाद डिवीजन, इलाहाबाद का कार्यालय ।

(२) निम्नलिखित अधिकारी इस इमारत में किराया देकर रहते हैं :—

(अ) श्री के० के० शर्मा, आई० ए० एस०, वाइस प्रिंसिपल, आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद ।

(ब) श्री बी० के० टंडन, पी० सी० एस०, लेक्चरर, आफिसस ट्रेनिंग स्कूल, इलाहाबाद ।

(स) श्री नफीसुल हसन, अध्यक्ष, लोक-सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(३) इसके अतिरिक्त स्कूल के प्रशिक्षणार्थी भी होस्टल के कमरों में स्कूल के सत्रावधि में सरकार द्वारा नियत किये गये किराये पर रहते हैं।

*६८-६९—श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)—[तेरहवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १२९-१३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में चकबन्दी का कार्य

*७०—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिल में शाहगंज तहसील की चकबन्दी कितने दिनों में खत्म होकर पूर्ण होगी ?

श्री चरणसिंह—सम्भवतः दिसम्बर, १९५९ तक ।

*७१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहगंज की चकबन्दी हो जाने के बाद जौनपुर जिले में आइन्दा किस तहसील में चकबन्दी होने वाली है ?

श्री चरणसिंह—इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शाहगंज में कुछ गांवों में चक बने थे और कुछ कागजों में गलती हो गई जिसकी वजह से फिर से चकबन्दी हो रही है ?

श्री चरणसिंह—जी, यह बात ठीक है । रिकार्ड आफ सर्वे आपरेशन और खास करके सर्वे आपरेशन में गलती हुई नातजुर्बेकारी से । इसलिये फिर हो रही है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री जी उन गांवों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अगर ज्यादा हों तो मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री चरणसिंह—मेरे पास न कम हैं और न ज्यादा । क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि यह सब भी पूछा जायगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय माल मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि दिसम्बर, १९५९ तक खत्म होगी तो क्या यह भी बता सकेंगे कि यह प्रारम्भ कब हुई ?

श्री चरण सिंह—मैं ठीक महीना तो नहीं बता सकता । लेकिन काफी अर्सा हुआ और जौनपुर में देर यों लगेगी कि वहां १८८४ में सेटिलमेंट हुआ था, वहां कागजात बहुत खराब हैं, इसलिये देर लगेगी ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बतायेगी कि कागजात सर्वे में गलती हो जाने से दोबारा जो चकबन्दी अब हो रही है उसमें जो खर्चा पड़ेगा क्या वह भी किसानों से वसूल किया जायगा ?

श्री चरणसिंह—कुल ४० गांवों में ऐसा हुआ जब कि वहां कई सौ गांव होंगे और खर्चा हर किसान और हर गांव में कितना गवर्नमेंट को करना पड़ा इस आधार पर यह वसूल नहीं किया जाता बल्कि सारे सूबे के लिये एक ही दर होगी हर किसान के लिये चाहे कम समय लगा हो या ज्यादा समय लगा हो ।

जौनपुर जिले में तहसीलवार मालगुजारी में छूट

*७२—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में पृथक्-पृथक् तहसीलों के अन्दर कितना-कितना रुपया १३६५ की खरीफ के लगान में किसानों को छूट दिया गया है ?

श्री चरण सिंह—जौनपुर जिले में १३६५ फसली की खरीफ फसल की क्षति के सम्बन्ध में अभी तक शासन को प्रारंभिक (Preliminary) रिपोर्ट प्राप्त हुई है । अन्तिम (Final) रिपोर्ट के आने पर किसानों को मालगुजारी व लगान में नियमानुकूल छूट दी जायगी । प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार किसानों को मालगुजारी और लगान में जो छूट देने का प्रस्ताव है वह तहसीलवार इस प्रकार है :—

क्रम-संख्या	तहसील का नाम		प्रस्तावित सहायता की धनराशि	
			मालगुजारी	लगान
			(In areas to which Z.A+L. R. Act does not apply)	
			रु०	रु०
१	जौनपुर	.. ..	३,०७,९२७·४८	२१,३१९.००
२	मडियाहूं	.. ..	३,५७,४७९·९३	१,६१७.९०
३	मछलीशहर	.. ..	३,०१,४३३.८८	४,५०४·३८
४	शाहगंज	.. ..	३,७१,२८१·६१	७४३·३४
५	केराकत	.. ..	२,४४,२४५·०९	२,०१६ ३६
		योग ..	१५,८२,३६७·९९	३०,२००·९८

इस रकम की वसूली निलम्बित कर दी गई है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन काश्तकारों से मालगुजारी और लगान ६५ की खरीफ के पहले से वसूल हो गयी है उन्हें रुपया वापस किया जाने वाला है ?

श्री चरण सिंह—मैं तो यह मानता ही नहीं हूं कि वह वसूल हो रहा है । आपको नोटिस में ऐसा है तो बतला दें, वह ऐडजेस्ट हो जायगा या वापस हो जायगा ।

बदायूं जिले में तीन साल से अधिक के गजटेड पुलिस अधिकारी

*७३--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में गजटेड पुलिस अफसरान ३ साल से अधिक के कितने हैं ? अगर हैं, तो क्या सरकार उनके तबादलों पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केवल एक। निकट भविष्य में अन्य अफसरों के साथ इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जायगा।

श्री टीकाराम--इस विचार की कोई मियाद होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, ऐसे मामलों में निकट भविष्य का अर्थ हुआ करता है प्रायः अगली जुलाई तक।

वाराणसी जिले के कटेहर परगने में पड़ावों की जमीन पर नाजायज कब्जे की शिकायत

*७४--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा चौबेपुर, बरसड़ा जुझार पट्टी, परगना कटेहर, जिला वाराणसी में पड़ाव की जमीन सरकारी है ? यदि हां, तो वह कितने एकड़ है ?

श्री चरण सिंह--इस गांव में अब कोई पड़ाव की जमीन नहीं है। पहले १४.७२ एकड़ का पड़ाव था परन्तु ६ मई, १९४३ को यह जमीन गवर्नमेंट इस्टेट करार दे दी गई।

*७५--श्री ऊदल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पड़ाव की सरकारी जमीनों पर जुझार पट्टी, परगना कटेहर के किसी व्यक्ति ने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया है ?

श्री चरण सिंह--जी नहीं। इस जमीन का एक काश्तकार ५५ रुपया सालाना लगान पर है।

श्री ऊदल--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि इस्टेट गवर्नमेंट की पड़ाव वाली सरकारी जो जमीन ह उस पर कुछ लोग नाजायज तौर पर कब्जा करके कैफियत के खाने में अपना नाम इन्दराज कर देते हैं ?

श्री चरण सिंह--अगर इन्दराज सरकारी पड़ाव के नाम से हो रहा है तब भी वह गवर्नमेंट इस्टेट है। कैफियत के खाने में या किसी खाने में दज कर देने से कोई गलती नहीं हो जाती। कलेक्टर ने लिखा है कि लगान पर जमीन दी गयी ह और ५५ रुपया सालाना लगान देता है।

श्री ऊदल--एक साहब मैजिस्ट्रेट हैं और उन्होंने नाजायज तौर से १४ एकड़ जमीन के ऊपर अपना नाम कैफियत के खाने में दर्ज कर लिया है और आज भी वह जमीन सरकारी कागजों में पड़ाव सरकारी के नाम से ह। तो क्या माल मंत्री इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह--किसी जांच की आवश्यकता में महसूस नहीं करता। गवर्नमेंट की जमीन पर कैफियत के खाने में नाम दर्ज करा देने से किसी की जमीन नहीं हो जाती।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो पड़ाव के नाम से जमीनें हैं वे सब सरकारी हैं और उनको सार्वजनिक स्थान माना जाता है ?

श्री चरण सिंह--पहले सेना के ठहरने के लिये कुछ जगहें थीं। लड़ाई द कुछ ऐसी जमीनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने छोड़ना शुरू कर दिया और

गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश से कहा कि इन जमीनों को ले ले। तो कुछ जमीनें हमारे पास हैं। उनको पी० डब्ल्यू० डी० मैनेज करता है या रेवेन्यू करता है और कुछ जमीनें उन्होंने सीधे लोगों को नीलाम कर दीं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की जायदाद सार्वजनिक है, तो ये भी सार्वजनिक हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को पता है कि कलेक्टर साहब ने जिस व्यक्ति को दी है ५५ रुपये पर, वह स्वतः खेती नहीं करता बल्कि दूसरे शिकमी पर बिकवाता है ?

श्री चरणसिंह---यह मुझको इल्म नहीं है और अगर ऐसा करता है तो जुर्म नहीं करता।

*७६-७७---**श्री मदन गोपाल वैद्य** (जिला फैजाबाद)---[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १२७-१२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७८---**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)---[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

गाजीपुर जिले में रबी की फसल को हानि के कारण मालगुजारी में छूट

*७९---**श्री रघुवीर राम** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में गत रबी फसल की मालगुजारी में विभिन्न तहसीलों में अलग-अलग कितनी छूट दी गयी है ?

श्री चरणसिंह---रबी १३६४ फसली में गाजीपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में मालगुजारी में निम्नलिखित छूट दी गयी है :---

तहसील का नाम				छूट की धनराशि
१---गाजीपुर	..	..	..	१,०९,९५० रुपये ९ आना
२---जमानियां	..	..	..	१,१९,२८९ रुपये
३---मुहम्मदाबाद	..	..	..	२,५६,६९५ रुपये
४---सैदपुर	..	..	..	२,४६,८९५ रुपये
		योग	..	७,३२,८२९ रुपये ९ आना

*८०---**श्री रघुवीर राम**---क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले में गत रबी की फसल की बरबादी के सम्बन्ध में जिलाधीश ने रिपोर्ट कब दी है ?

श्री चरणसिंह---इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट २८ मई, १९५७ ई० को दी।

*८१---**श्री रघुवीर राम**---क्या सरकार गत रबी की फसल की बरबादी से सम्बन्धित जिलाधीश की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---उक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४१५-४१७ पर)

श्री रघुवीर राम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जितनी छूट दी गयी है उसकी किसानों को पर्चियां दी गयीं या नहीं ?

श्री चरणसिंह---जिस मालगुजारी की छूट दी गयी है वह कम से कम वसूल नहीं हुई है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार ओलागर्दी में खीरी जिले में प्राइवेट फारेस्ट के लगान में छूट दी गयी है उसी तरह से गाजीपुर में प्राइवेट फारेस्ट के लगान में छूट दी गयी है ?

श्री चरण सिंह—मैं समझा नहीं कि प्राइवेट फारेस्ट से इसका क्या वास्ता है ?

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश गाजीपुर ने फाइनल रिपोर्ट कब भेजी ?

श्री चरण सिंह—मैं तो सवाल के जवाब में बतला चुका हूं, अब नहीं बतलाऊंगा।

श्री उग्रसेन—माननीय माल मंत्री ने तो प्रारंभिक रिपोर्ट के बारे में बतलाया था।

श्री चरण सिंह—वह (फाइनल रिपोर्ट) जुलाई में भेजी है।

गोरखपुर कमिश्नरी में खोले गए टेस्ट वर्क्स

*८२—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर कमिश्नरी में गत १३ जनवरी के बाद किन-किन स्थानों पर टेस्ट वर्क्स खोले गये हैं तथा तिथिवार उन पर काम करने वालों की उपस्थिति क्या रही है ?

श्री चरण सिंह—१३ जनवरी, १९५८ के बाद गोरखपुर कमिश्नरी में जिन स्थानों पर टेस्ट वर्क्स खोले गये तथा उन पर औसत दैनिक उपस्थिति संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४१८ पर)

*८३-८४—श्री मदन पांडेय (अनुपस्थित)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

तराई कालोनाइजेशन में क्वार्टरों की कीमत घटाकर वसूल करने की सिफारिश

*८५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि भूमि-व्यवस्था कमिश्नर ने सरकार से सिफारिश की है कि तराई कालोनाइजेशन में सरकार द्वारा बनाये गये क्वार्टरों की कीमत घटा कर वसूल की जाये ? यदि हां, तो सरकार ने इस सिफारिश के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, विषय सरकार के विचाराधीन है।

*८६—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके द्वारा तराई कालोनाइजेशन स्कीम में कितने क्वार्टर बनाये गये, और उनमें से कितने बनाये जाने के तीन वर्ष के अन्दर ही क्षत विक्षत या आमूल मरम्मत के काबिल हो गये ?

श्री चरण सिंह—३,२९५ क्वार्टर तराई कालोनाइजेशन स्कीम में सरकार द्वारा बनाये गये उनमें से कोई भी क्वार्टर बनाये जाने के तीन वर्ष के अन्दर ही क्षत विक्षत या आमूल मरम्मत के लायक नहीं हुए।

*८७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

तहसीलदार व हाकिम परगना, खलीलाबाद, जिला बस्ती की इजलास में गांव समाज संबंधी मुकदमे

*८८—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में गांव समाज सम्बन्धी कितने मुकदमे तहसीलदार, खलीलाबाद और हाकिम परगना, खलीलाबाद के यहां अलग-अलग चल रहे हैं? इनमें सब से लम्बी अवधि से किस गांव का मुकदमा चल रहा है?

श्री चरण सिंह—तहसीलदार, खलीलाबाद की इजलास में ग्राम समाज सम्बन्धी २,४०३ मुकदमे चल रहे हैं जिनमें सब से लम्बी अवधि से यानी १९-९-५७ से चलने वाला मुकदमा ग्राम गुलरिहा तप्पा मेहदावल का है।

हाकिम परगना, खलीलाबाद के इजलास में ग्राम समाज सम्बन्धी ५६ मुकदमे चल रहे हैं जिनमें सब से लम्बी अवधि यानी ३१-८-५६ से चलने वाला मुकदमा ग्राम तामा तप्पा सिरसी का है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो मुकदमे १९५६-५७ से चल रहे हैं उनके अब तक फैसल न होने का कारण यह है कि तहसीलदार और हाकिम परगना बहुत जल्द जल्द बदले गये?

श्री चरण सिंह—मैं तो मानता नहीं कि बहुत अर्सा हो गया। १९५६ का एक मुकदमा सारी तहसील में है और ५७ का सब से पुराना मुकदमा सितम्बर, १९५७ का तहसीलदार के यहां है। तो वह अफसरान तो मुबारकबाद के पात्र हैं।

*८९—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

बलिया व गाजीपुर जिलों में मालगुजारी की वसूली में सख्ती की शिकायत

*९०—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि खरीफ की फसल आधी से अधिक खराब होने के बाद भी बलिया और गाजीपुर जिले में सख्ती के साथ मालगुजारी की वसूली की जा रही है? यदि हां, तो क्यों।

श्री चरण सिंह—बलिया और गाजीपुर जिले में मालगुजारी की वसूली में कोई सख्ती नहीं की जा रही है बल्कि नियमानुसार वसूली हो रही है।

*९१—श्री गौरीशंकर राय (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बतायेंगे कि पिछले साल की रबी की मुल्तवी मालगुजारी की भी वसूली की जा रही है?

श्री चरण सिंह—रबी १३६४ फसली की मुल्तवी मालगुजारी की वसूली नियमानुसार खरीफ १३६५ फसली के शुरू में की जा रही थी परन्तु सरकारी आदेशानुसार जिन खातों में आठ आने या आठ आने से अधिक की क्षति खरीफ १३६५ फसली में रही है उनमें पिछली मुल्तवी मालगुजारी की वसूली रोक दी गई है तथा उन खातों में जिनमें कि क्षति ६ आने से ८ आने तक हुई है उनमें मुल्तवी मालगुजारी की केवल आधी वसूली इस फसल में की जा रही है।

गाजीपुर जिले में मुल्तवी लगान वसूल करने में सख्ती की शिकायत

*९२—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार के पास गाजीपुर जिले से ऐसी शिकायतें आयी हैं कि वहां के मुल्तवी लगान की वसूली मुर्गा बना कर तथा तीन-तीन चार-चार घंटे बैठा कर की जा रही है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

*९३—श्री यमुना सिंह—क्या यह सही है कि उपर्युक्त सस्ती परगना पचोतर तथा सदपुर तहसील में हो रही है ?

श्री चरण सिंह—प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कार्यों की सूची की मांग

*९४—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मुख्य मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों में किये जाने वाले कार्य की सूची (list of subjects dealt with in the various departments of the Secretariat) प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी सूची का संकलन हो चुका है और मुद्रण के लिये उसे प्रेस भेजा गया है । मुद्रित प्रतियां प्राप्त होने पर सदन में शीघ्र ही प्रस्तुत की जायेंगी ।

*९५—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि यह सूची सन् १९५२ में विधान मण्डल के सदस्यों को सरकार द्वारा वितरित कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः इस सूची को सदस्यों में वितरित कराने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संकलन के मुद्रण में देरी देखते हुए इस सम्बन्ध में कुछ संक्षिप्त सूची ही देने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जो सूची मेरे पास है वह छपी हुई है और ९५ पेज की है और इस वक्त जो सूची छपने गयी है वह कोई १००–१२५ पेज की है । इसमें मैं क्या संक्षिप्त रूप में रखूं, मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस सूची की आवश्यकता को देखते हुये और विधान सभा के सदस्यों की जानकारी में वह आ जाय इसकी भी आवश्यकता को देखते हुए कोई ऐसा साधन सोचेंगे कि उसकी जानकारी एक साल पुरानी हो जाने पर भी की जा सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव दे सकें तो मैं उनका अनुगृहीत होऊंगा ।

तहसील सहसवान, जिला बदायूं के सैलाबी इलाके में लगान वसूली

*९६—श्री उल्फत सिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सहसवान, जिला बदायूं में उस इलाके में जहां सैलाब आया है लगान वसूली हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ।

श्री चरण सिंह—तहसील सहसवान, जिला बदायूं के उस इलाके में जहां सैलाब आया था, मालगुजारी में नियमानुसार प्रस्तावित छूट की रकम के अलावा बाकी रकम की वसूली हो रही है । प्रस्तावित छूट की रकम की वसूली निलम्बित है ।

ग्राम दहगवां, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में बंजर भूमि पर भट्ठा

*९७—श्री उल्फत सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम दहगवां, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में बंजर भूमि पर भट्ठा लगा है ? यदि हां, तो किस की आज्ञा से लगा है ?

श्री चरण सिंह—जी हां । यह भट्ठा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व से उक्त भूमि पर लग रहा है जिसको सर्वश्री अशर्फी लाल, बांके लाल और गनेशीलाल ने भूतपूर्व जमींदार से लेकर लगाया था । ये लोग उक्त भूमि का किराया जमींदारी विनाश के बाद से सरकार को अदा कर रहे हैं ।

मैनपुरी जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, करहल पर व्यय

*९८—श्री नत्थू सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, करहल में आज तक कितना धन जनहित में और कहां-कहां खर्च किया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—करहल में ३१ जनवरी, १९५८ तक जनहित में २१,४६६ रुपया व्यय हुआ। कहां-कहां खर्च हुआ इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४१९–४२३ पर)

जिला मैनपुरी, वेहड़ी इलाके के मदनपुर ब्लाक में पक्की सड़क व अस्पताल की आवश्यकता

*९९—श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदनपुर ब्लाक, जिला मैनपुरी वेहड़ी इलाके में पक्की सड़क बनवाने तथा अस्पताल खुलवाने पर क्या प्रगति कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां तक सड़क के निर्माण का प्रश्न है, जिला बोर्ड, मनपुरी से नियत समय के अन्दर यथा विधि प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जाने पर, इस कार्य के लिए निर्धारित अनुपात में अनुदान देने की सम्भावना पर जिला नियोजन समिति, मैनपुरी अथवा सम्बन्धित क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया जायगा, निर्माण-कार्य जिला बोर्ड को ही सम्पन्न करना है।

मदनपुर का ब्लाक एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड है। खण्डों की राष्ट्रीय प्रसार सेवा अवधि में वहां राज्य-सरकार द्वारा अस्पताल नहीं खोले जाते, न अस्पताल खोलने के लिये कोई अनुदान ही दिया जाता है। अतः अस्पताल खोलने का प्रश्न ही अभी नहीं उठता।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की तरफ से कोई अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो जब खुलेगा तब की बात है, अभी तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार अपनी योजना के अनुसार ब्लाक के सेंटर में अस्पताल खोलने का आगे जो विचार कर रही है उसमें यहां अस्पताल खोलने की सोचेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी तो सम्भवतः इंटेंसिव ब्लाक बने हों न, मुमकिन है इस बीच में कोई नयी योजना आ जाय।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, हसनपुर, जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत कार्यों पर व्यय

*१००—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक, हसनपुर, जिला मुरादाबाद में अब तक क्या-क्या रचनात्मक कार्य किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस ब्लाक में होने वाले कार्यों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४२४–४२५ पर)

*१०१—श्री सुक्खनलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक, हसनपुर में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है, उसमें कितना वेतन, भत्ते में हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस खंड में खुलने की तिथि से ३१ जनवरी, १९५८ तक कुल १,०३,८२३ रुपया व्यय हुआ, जिसमें से वेतन पर २१,५८८ रुपया और भत्तों पर १०,२७६ रुपया खर्च हुआ।

*१०२–१०३—श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम का लागू होना

*१०४—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अरवन एरिया जमींदारी अबालीशन अधिनियम प्रदेश में लागू हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह— उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ तो सारे उत्तर प्रदेश में प्रचलित है लेकिन अभी कृषि क्षेत्र का परिच्छेद केवल १० म्युनिसिपैलिटियों और ३४ टाउन एरियों में हो रहा है। इस काम के समाप्त होने के बाद धारा ८ के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में जमींदारी समाप्त कर दी जायेगी।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह मालूम है कि नागर-क्षेत्र जमींदारी समाप्त होने में देरी होने के कारण वहां के जमींदार काश्तकारों के साथ नाजायज बर्ताव कर रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, ऐसा नहीं मालूम है और वजह भी उसकी यह है कि वहां सब बेदखलियां बन्द हैं, लिहाजा ज्यादती करने का सवाल नहीं उठता है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १० म्युनिसिपैलिटीज और ३४ टाउन एरियाज के अतिरिक्त शेष म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज में वह इसे कब तक लागू करेगी ?

श्री चरण सिंह—शनैः शनैः।

जिला प्लानिंग आफिसर, हरदोई, के विरुद्ध विधायकों द्वारा शिकायत

*१०५—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हरदोई के सभी दलों के विधायकों ने सामूहिक रूप से जिला प्लानिंग अफसर, हरदोई के विरुद्ध जनता का असन्तोष व्यक्त करते हुये पिछले सत्र में एक शिकायती पत्र सरकार को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हरदोई के चार विधायकों व एक एम० पी० ने शिकायत की।

हरदोई के जिला नियोजन अधिकारी का तबादला किया जा रहा है और शिकायती पत्र में जो शिकायतें की गई थीं, उस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

श्री बुलाकी राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जांच तो ठीक समय के अन्दर ही समाप्त हो जायगी।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई में यह प्लानिंग आफिसर कब से है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ठीक तारीख तो मालूम नहीं है लेकिन एक दो साल से है।

श्री बुलाकी राम—क्या सरकार बतायेगी कि इस प्लानिंग आफिसर का ट्रांसफर आर्डर जारी हो चुका है? यदि हां, तो कब?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जारी नहीं हुआ है। विचार किया जा रहा है।

श्री मोहन लाल वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि विधायकों ने जो आवेदन-पत्र दिया है उसमें मुख्य-मुख्य चार्जेज क्या हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

पर्यटन केन्द्रों का आय-व्यय

*१०६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने और कहां-कहां पर्यटन केन्द्र स्थापित हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४२६ पर)

*१०७—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक पर अलग-अलग सरकार का क्या व्यय वार्षिक होता है और प्रत्येक से अलग-अलग क्या आय प्रतिवर्ष होती है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४२७ पर)

*१०८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन पर्यटन केन्द्रों में से कितने प्रथम पंचवर्षीय योजना में और कितने द्वितीय योजना में अभी तक खोले गये हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४२८ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आय का कोई आंकड़ा रखा नहीं जाता या वह होती ही नहीं है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—थोड़ी सी आय दिखायी गई है वह २८.३१ और ११०५.१८ रुपये हैं। यथार्थ में जैसे मैंने पहले कहा था इसमें कोई आमदनी स्पष्ट रूप से दिखायी नहीं देती। वह तो अवश्य आमदनी होती है इसकी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कभी सरकार ने इस बात के जानने की कोशिश की है कि फारेन एक्सचेंज भी इस सरकार को इसके द्वारा प्राप्त होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका कोई अन्दाजा नहीं हो सकता है और दुनिया में नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब पर्यटक वहां आते हैं तो रुपया खर्च करते ही होंगे, इतना ही कहा जा सकता है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां पर्यटन केन्द्र स्थापित किये ह वहां आवास-गृह आदि की सुविधा दने की कोई स्कीम है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, हर जगह हमने किया है ।

डुमरियागंज, जिला बस्ती में चकबन्दी के कार्य में प्रगति

*१०९—**श्री रणबहादुर सिंह** (जिला बस्ती)—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में डुमरियागंज में चकबन्दी कब समाप्त होगी ? क्या उसके बाद बस्ती तहसील में चकबन्दी करने का विचार है ?

श्री चरण सिंह—सम्भवतः अक्तूबर में ।

अभी इस बात का निश्चय नहीं किया गया है कि तहसील डुमरियागंज के बाद कौन-सी तहसील चकबन्दी योजना के अन्तर्गत ली जावेगी ।

*११०-१११—**डाक्टर खमानी सिंह** (जिला मुरादाबाद)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*११२—**श्री बाबूराम** (जिला बरेली)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*११३—**श्री गौरीशंकर राय**—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*११४-११५—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—[तेरहवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या १०६-१०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जिला वाराणसी के कतिपय ग्राम समाजों की सम्पत्ति सूची

*११६—**श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के परगना बरह, महुआरी तथा महाइच के ग्राम समाजों की सम्पत्ति की पूरी सूची सम्बन्धित सभापतियों को दे दी गई है ?

श्री चरण सिंह—जी हां ।

मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील में भुखमरी की शिकायत

*११७—**श्री राजकुमार शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने मिर्जापुर जिले में भुखमरी की स्थिति के संबंध में सरकार को पत्र लिख कर और ३१ जनवरी को मुख्य मन्त्री जी से मिलकर बातें की हैं और मुख्य मंत्री ने दो दिन में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह—जी हां, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने २ दिन में नहीं शीघ्र कहा था। उचित जांच करवाई गई व आवश्यक सहायता दी गई ।

*११८—**श्री राजकुमार शर्मा**—क्या यह सही है कि चुनार तहसील के किरियात, पहाड़ी हिस्सा और हवेली तथा भूइली के धारा मठना, भड़वल, चन्दौली, सदेवा, महेवा और बहुआर गांव में भुखमरी के कारण दशा दयनीय है और दुद्धी में लोग घास खा रहे हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

झांसी जिले में नहरी जमीन का लगान न वसूल करने का आदेश

*११९—**श्रीमती बेनीबाई** (जिला झांसी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि किसानों की भूमि में होकर जो नहरें झांसी जिले में निकाली गई हैं उन किसानों से अब भी उस भूमि का लगान लिया जाता है ? यदि लिया जाता है, तो क्यों ?

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या १०९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री चरण सिंह—जी हां। ऐसे किसानों से मालगुजारी वसूल न करने के आदेश सितम्बर सन् १९५६ में जारी हो चुके थे पर झांसी जिले के स्थानीय अधिकारियों की गलती के कारण वसूली होती रही। वसूली तुरन्त स्थगित करने के लिए आदेश फिर से जारी हो रहे हैं।

कानपुर तथा उन्नाव बस स्टैन्ड से यात्रियों के सामान गायब होने की शिकायत

*१२०—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले २ वर्षों से कानपुर और उन्नाव बस स्टैंड से या इन दोनों के बीच से कितनी बार यात्रियों के सामान गायब होने की शिकायत उनको मिली है ?

डाक्टर सीताराम—पिछले दो वर्षों में केवल तीन व्यक्तियों के सामान खोने की शिकायतें हुईं।

*१२१—श्री बलवान सिंह—क्या सरकार भविष्य में ऐसी चोरियां न हों इसकी उचित व्यवस्था के लिये इस मामले की पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच करायेगी और इस प्रकार अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर सीताराम—सामान इत्यादि की चोरियों की सूचना सदैव पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस के उच्च अधिकारियों को रीजन भर में ऐसी चोरियों की रोकथाम के लिये कहा गया है।

विदेशियों की मूर्तियां हटाये जाने वाले स्थानों का उपयोग

*१२२—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उन स्थानों का क्या उपयोग किया जावेगा जिन स्थानों से गत अगस्त की सरकारी आज्ञा से विदेशियों की मूर्तियां उखाड़ कर हटा ली गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका अभी निर्णय नहीं किया गया है।

*१२३—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार उपरोक्त ऐसे स्थानों पर देश-भक्तों, शहीदों अथवा धार्मिक नेताओं की मूर्तियों की स्थापना पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस पर अभी विचार नहीं किया गया है।

*१२४-१२६—श्री वीरेन्द्र वर्मा—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

जिला गोरखपुर में भ्रष्टाचार निवारक कमेटी द्वारा शिकायतों पर कार्यवाही

*१२७—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में भ्रष्टाचार निवारक कमेटी (Anti-corruption committee) में १-१-५७ से ३१-८-५७ तक कितनी शिकायतें पेश हुईं और किस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या नतीजा सूचनार्थ कमेटी के सामने पेश हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल १३ शिकायतें आईं और सभी में संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा समुचित जांच की गई। इनमें से १ शिकायत निराधार पाई गई और जांच का परिणाम समिति को सूचित किया गया। ४ शिकायतों में प्रारम्भिक जांच द्वारा संबंधित मामले अदालत के विचाराधीन पाये गये, इसलिये समिति की स्वीकृति से उनमें आगे जांच नहीं की गई। शेष ८ शिकायतों में समिति की इच्छानुसार पुनः जांच की जा रही है।

ग्राम मखइमपुर जिला, आजमगढ़ में चकबन्दी-कर न देने के कारण गिरफ्तारी

*१२८—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि ग्राम मखइमपुर, परगना निजामाबाद, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ में जनवरी, १९५८ में चकबन्दी कर देने में असमर्थ कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई ?

श्री चरण सिंह—जी हां, केवल एक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया।

*१२९—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि ग्राम मखइमपुर, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ के उपर्युक्त गिरफ्तार व्यक्तियों को कितने दिन तक बन्द रक्खा गया ?

श्री चरण सिंह—उपर्युक्त व्यक्ति ने गिरफ्तार होते ही बकाया अदा कर दिया अतएव हवालात में उन्हें बन्द नहीं किया गया।

*१३०-१३१—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[दसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ११५-११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अभावग्रस्त क्षेत्रों की समिति द्वारा शिकायतें

*१३२—श्री प्रतापसिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये जो समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिशें क्या थीं और उनमें से कितनी सिफारिशों को कार्य रूप में परिणत किया गया है ?

श्री चरण सिंह—समिति की सिफारिशें संलग्न तालिका में दिखा दी गई हैं। सभी सिफारिशों पर उचित कार्यवाही की गई।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४२९ पर)

*१३३—श्री प्रताप सिंह, श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार उपरोक्त समिति की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट शासन को नहीं प्रेषित की अतः यह प्रश्न उठता ही नहीं है।

*१३४—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*१३५—श्री रणबहादुर सिंह—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१३६-१३८—श्री जगदीश नारायण (जिला मुरादाबाद)—[तेरहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१३९-१४०—श्री रामस्वरूप वर्मा—[तेरहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या १०५-१०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में बाढ़ अरक्षित भूमि की मालगुजारी की माफी हेतु प्रार्थना

*१४१—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में महुला से लेकर रौनापार तक के बांध के सम्बन्ध में २६-८-५७ के प्रश्न ८९ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ की जो ३७.४८४ एकड़ कृषि योग्य तथा ९०७० एकड़ अन्य भूमि जिसकी वार्षिक मालगुजारी १,१६,४१८ रुपये है और जो बाढ़ से अभी तक अरक्षित है, उसे अलाभकर जोत घोषित कर उसकी मालगुजारी माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

बस स्टेशनों पर कैन्टीनों से आय

*१४२—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में किन-किन बस स्टेशनों पर कैन्टीनें चल रही हैं ?

डाक्टर सीताराम—राज्य में जिन-जिन बस स्टेशनों पर कैन्टीनें चल रही हैं उनकी सूची सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४३० पर)

*१४३—श्री गनेशीलाल चौधरी—इन कैन्टीनों के चलाने या भाड़े पर उठाने के लिये सरकार ने क्या नियम बनाये हैं और क्या सरकार इन नियमों को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इन कैन्टीनों के ठेके नीलाम किये जाते हैं और जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक रुपये की होती है उसी को ठेका दिया जाता है और उससे इकरारनामा (agreement) लिखा लिया जाता है।

*१४४—श्री गनेशीलाल चौधरी—इन कैन्टीनों से सरकार को वर्ष में क्या आमदनी होती है ?

डाक्टर सीताराम—इन कैन्टीनों से सरकार को वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में १,०८, ९३२ रुपये ८ आने ८ पाई की आमदनी हुई।

कानपुर जिले में राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्रों, अमरौधा व घाटमपुर में कुटीर उद्योग

*१४५—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर जिले में राष्ट्रीय प्रसार क्षेत्रों, अमरौधा और घाटमपुर में अक्तूबर, १९५३ से १९५७ के नवम्बर में कौन-कौन से कार्य हुये हैं? क्या सरकार बतायेगी कि इन क्षेत्रों में कोई कुटीर उद्योग भी प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन ब्लाकों में होने वाले कामों की सूचियां सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत हैं। प्रगाढ़ विकास योजना के अनुसार अमरौधा खंड में काष्ठ-कला और सिलाई तथा घाटमपुर खण्ड में लुहारगिरी और चर्म-कला के प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४३१-४३३ पर)

कानपुर जिले के अमरौधा राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र में सिंचाई-कार्य के लिये व्यय

*१४६—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर जिले के अमरौधा राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र के उद्घाटन से लेकर आज तक कौन-कौन से काम सिंचाई बढ़ाने के हुये हैं और उनमें अनुदान कन्ट्रीब्यूशन मिलाकर तारीख ३०-६-५७ तक कितना रुपया खर्च हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन कामों की और उन पर होने वाले व्यय की भी सूचियां सदस्य महोदय की मेज पर रखी हैं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४३१-४३३ पर)

जिला नैनीताल की पिछड़ी पट्टी चौगढ़ बिल्ज्यूला एवं मल्लीरौ के भूमिहीन हरिजनों के लिये व्यवस्था

*१४७—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल की अत्यधिक पिछड़ी पट्टी चौगढ़ बिल्ज्यूला एवं मल्लीरौ के भूमिहीन हरिजनों के हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरण सिंह—उक्त पट्टियों के भूमिहीन हरिजनों को भूमि देने के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, किन्तु कुमायूं के समस्त भूमिहीन हरिजनों के निमित्त सरकार ने निम्नलिखित व्यवस्था की है:—

(१) जिला नैनीताल की नौ पट्टियों में १,७९२ एकड़ भूमि वनविच्छेद (disforest) की है, जो ११ उपनिवेशों (colonies) में विभक्त है और जिसमें से १,५८६ एकड़ भूमि दी जा चुकी है और २०६ एकड़ भूमि देना शेष है।

(२) जिला नैनीताल के मालधन चौड़ क्षेत्र में ३,००० एकड़ भूमि वनविच्छेद (disforest) की है, जिसमें से अब तक २,३५० एकड़ भूमि दी जा चुकी है और ३५० एकड़ भूमि जिला नैनीताल के भूमिहीन हरिजनों को दी जाने वाली है।

(३) उपर्युक्त ३,००० एकड़ भूमि पर बसने वाले हरिजन परिवारों के लिये सरकार ने निम्नलिखित सुविधायें भी दी हैं—

१—२०,००० रुपया भूमि को ट्रैक्टरों द्वारा तोड़ने के लिये।

२—१०,००० रुपया मकान बनाने में सहायता देने के लिये तथा उनको ६ महीने तक गुजारे के लिये जब तक पहली फसल तैयार न हो।

३—बीज तथा बैलों आदि के खरीदने के लिये तकावी देने की सुविधा विचाराधीन है।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें

*१४८—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में १९५२ से १९५७ तक प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने-कितने रोड ऐक्सीडेंट हुये?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१४९—श्री माताप्रसाद—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दुर्घटनाओं में से कितनी दुर्घटनायें डीजल आयल से चलने वाली ट्रकों से हुईं?

डाक्टर सीताराम—डीजल आयल से चलने वाली ट्रकों से हुई दुर्घटनाओं की अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

*१५०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[हटा दिया गया।]

ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के लिये तकावी तथा सहायता

*१५१—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसकी ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के लिये तकावी अथवा सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति में परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, अधिक अन्न उपजाओ योजनाओं के अन्तर्गत कुओं पर दी जाने वाली तकावी तथा सहायता के सम्बन्ध में जो परिवर्तन हुए वे संलग्न हैं।

(देखिये परिशिष्ट 'स' आगे पृष्ठ ४३४ पर)

नियोजन अनुदानों में कुओं के निर्माणार्थ धनराशि में तथाकथित वृद्धि

*१५२—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार नियोजन अनुदानों में कुओं के निर्माण की धनराशि में अधिक वृद्धि करने पर विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

(देखिये परिशिष्ट 'स' आगे पृष्ठ ४३४ पर)

तहसील दातागंज, जिला बदायूं में माल के मुकदमे

*१५३—श्री टीकाराम (बदायूं)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं की तहसील दातागंज में माल सम्बन्धी कुल कितने मुकदमे १९५६-५७ में दायर हुये और कितने फैसल हुये ?

श्री चरणसिंह—तहसील दातागंज में सन् १९५६-५७ के शुरू में ९९० मुकदमों का बकाया था और साल के अन्दर कुल ४,३३९ मुकदमे दायर हुये। कुल ५,३२९ मुकदमों में से ४,४८६ मुकदमे अन्दर साल फैसल हो गये।

जिला हरदोई में श्रमदान द्वारा सड़क निर्माण

*१५४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में श्रमदान से अब तक कितने मील सड़कें बनाई जा सकी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ४३५ पर)

अलीगढ़ जिले में निजी मोटर रूट

*१५५—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में वे कौन-कौन से रूट्स हैं जिन पर प्राइवेट मोटरें चलती हैं ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१५६—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार निम्न सूची के अनुसार सदन को सूचना देगी :—

(अ) उन व्यक्तियों के नाम व पते जिन की मोटरें इन रूटों पर चल रही हैं ?

(ब) इनमें से कितने Displaced मोटर वाले हैं, कितने राजनीतिक पीड़ित तथा कितने अन्य ? इनके नाम मय पते के बताने की कृपा की जाय ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

फतेहपुर जिले में किसानों को कुओं की तकावी हेतु रुपया वितरण

*१५७—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जिले में सन् १९५७ ई० में कुओं की तकावी का कितना रुपया किसानों को दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५७ में फतेहपुर जिले में सिंचाई के कुओं के निर्माण के लिये किसानों को २,५०० रुपया तकावी ऋण के रूप में दिया गया।

अतारांकित प्रश्न

विभिन्न ट्रांसपोर्ट रीजनों में प्राइवेट कैरियर लाइसेंसों का वितरण

१—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न ट्रान्सपोर्ट रीजनों में १९५३ से अब तक हर वर्ष कितने प्राइवेट कैरियर के लाइसेंस दिये गये व किस आधार पर ?

डाक्टर सीताराम—सूचना अनुसूची 'द' में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ४३६ पर।)

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनीज को यातायात विभाग द्वारा लाइसेंस वितरण

२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज के अलावा कौन-कौन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी हैं जिन्हें यातायात विभाग ने मोटरों के लाइसेंस दिये हैं और उनको कितने-कितने लाइसेंस सन् १९५३ से अब तक प्रति वर्ष दिये गये ?

डाक्टर सीताराम—†सूचना अनुसूची 'ख' में प्रस्तुत है।

आर० टी० ओज द्वारा लाइसेंस के विरुद्ध रिट पेटीशंस

३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार को ज्ञात है कि विभिन्न आर० टी० ओज के व आर० टी० ओज द्वारा लाइसेंस देने की आज्ञाओं के खिलाफ सन् १९५३ से अब तक बहुत रिट पेटीशन्स हुये ? अगर हां, तो अलग-अलग रीजनों में कितने-कितने ऐसे हुये और उनमें से कितनों के केस में फैसला हो चुका है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना अनुसूची 'ग' में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

विभिन्न रीजनों में रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटियों के सदस्य

४—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बतायेगी कि विभिन्न रीजनों में Regional Transport Authority के कौन-कौन सदस्य हैं तथा किस आधार पर ये कमेटियां नियुक्त की जाती हैं ?

डाक्टर सीताराम—सूचना अनुसूची 'घ' में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ४३८–४३९ पर)

सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, कृषि विभाग, कानपुर, द्वारा प्राइवेट कुओं में बोरिंग सम्बन्धी सर्कुलर

५—श्री राजेन्द्र दत्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, कृषि विभाग, कानपुर से उस सर्कुलर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जो उन्होंने करीब दो ढाई साल हुये प्राइवेट कुओं में बोरिंग के सिलसिले में जारी किया था कि कुओं में बोरिंग कराने पर कोई खर्च वसूल नहीं किया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त सर्कुलर की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ४४० पर)

जिला खीरी में उल्ल नदी पर नकहाघाट व दुमहनी नदी में मकसोहा घाट पर पुल

६—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में उल्ल नदी पर नकहाघाट में और दुमहनी नदी में मकसोहा घाट में पुल बनवाना मंजूर हुआ था ? आज कई वर्ष हो गये और पुल क्यों नहीं बनाया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला खीरी में उल्ल नदी पर नकहाघाट में पुल बनवाना अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। जिला नियोजन समिति मे मकसोहा घाट में पुरानी चौका पर पुल बनवाना स्वीकार किया है। इस पुल का अनुमानित व्यय ५०,००० रुपये है और यह स्वावलम्बन के आधार पर (जिसमें सरकार तथा जनता का आधा-आधा भाग है) बनवाया जायगा। जनता का भाग एकत्रित होने में कठिनाई के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। अब यह धनराशि लगभग इकट्ठी हो गई है तथा नियोजन विभाग का शेष धन अर्थात् २५,००० रुपये का अनुदान प्राप्त होते ही कार्य आरम्भ होगा।

---

†छापी नहीं गयी।

उन्नाव में प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास ७ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री राजनारायण जी का है जिसमें वह कहते हैं कि "गत ३१ मार्च को उन्नाव में होने वाले प्रान्तीय सोशलिस्ट पार्टी के शान्तिपूर्ण द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में साढ़े १० बजे दिन स्थानीय पुलिस ने पूर्ण गैर जनतान्त्रिक ढंग पर हमला किया और सम्मेलन को भंग करने की तानाशाही कोशिश की। संविधान के अन्दर प्रत्येक भारतीय नागरिक को शांति के साथ विचार व्यक्त करने, प्रदर्शन करने तथा सम्मेलन करने इत्यादि इत्यादि का अधिकार प्राप्त है। पुलिस ने करीब १०० लट्ठबन्द जवानों के साथ जिस निरंकुश-स्वेच्छाचारी ढंग पर सम्मेलन को भंग करने की अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीका अख्तियार किया, उसने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हुये संविधान की मर्यादा तोड़ दी है। जिससे सारे प्रदेश का वातावरण क्षुब्ध है और विषम परिस्थिति पैदा हो गई है।

अतः यह सदन आज जनहित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक उपर्युक्त विषय पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके बारे में मैं माननीय राजनारायण जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने जो गैर कानूनी तरीका सम्मेलन को भंग करने का अख्तियार किया या तानाशाही कोशिश की तो वह सफल कोशिश हुई या असफल कोशिश हुई। क्या उन्होंने सम्मेलन को भंग कर दिया?

दूसरी चीज यह भी वह बतावें कि किस तरह से यह घटना सरकार से सम्बन्ध रखती है और केवल स्थानीय शासन से सम्बन्ध नहीं रखती है जिससे इस विषय पर सदन में विचार किया जा सके।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, ३०-३१ तारीख को प्रान्तीय सम्मेलन उन्नाव में होने जा रहा था....

श्री अध्यक्ष—आप यह बतायें कि पुलिस ने किस तरह से सम्मेलन भंग किया?

श्री राजनारायण—पुलिस ने बिल्कुल साफ लाउड स्पीकर छीन लिया और हमारी बैटरी को भी पुलिस के जरिये से उठवा लिया। इसके बाद हमसे कहा कि हम गिरफ्तार हैं और चलिये। जो हमारे डेलीगेट थे उनको भी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया।

दूसरी बात यह है कि २९ तारीख को हमारे पास एक तार उन्नाव से आया जो राज्य सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री श्री वासुदेव ने भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा कि जिलाधिकारी हमारे सम्मेलन को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और बाधा प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका तार पाकर मैंने माननीय मुख्य मंत्री से फोन पर बात करनी चाही, लेकिन मालूम हुआ कि मुख्य मन्त्री जी दिल्ली चले गये हैं। फिर गृह मन्त्री जी को फोन किया तो वह भी नहीं मिले। फिर चीफ सेक्रेटरी श्री गोविन्द नारायण को फोन किया। उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं जिलाधीश से सम्बन्ध स्थापित करूंगा और पता लगाऊंगा कि क्या बात है और इसकी सूचना उन्होंने मुझे भी देने को कहा। उन्होंने जिलाधीश से सम्बन्ध स्थापित किया और लगभग साढ़े ४ या ५ बजे के उन्होंने मुझे फोन किया। चीफ सेक्रेटरी ने हमको बताया कि अब वहां पर सब बातें ठीक हो गई हैं। लाउड स्पीकर का भी प्रबन्ध हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं वहां पर जा रहा हूं तो अगर वहां पर कोई दिक्कत हो तो उनसे फिर सम्बन्ध स्थापित कर लूं। वैसे उन्होंने कोई भी दिक्कत वहां पर न होने की बात कही थी। जब मैं ३० तारीख को वहां पहुंचा तो हमारे साथियों ने बताया कि वहां पर पहले १४ तारीख को १४४ का आदेश लागू कर दिया गया था जिसमें साढ़े ११ बजे से लेकर ढाई बजे तक लाउड स्पीकर प्रयोग करने की छूट थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप यह भी बतायें कि सरकार का सम्बन्ध इसमें किस तरह से आता है ?

श्री राजनारायण—फिर श्री गोविन्द नारायण, चीफ सेक्रेटरी से सम्बन्ध स्थापित किया । तब यह मालूम हुआ कि एक आर्डर १४ तारीख का था और फिर उसके बाद एक आर्डर २७ तारीख का था, लेकिन जैसे-जैसे हमारे सम्मेलन की तारीख निकट आती गई उसी प्रकार से वह अपने आदेश में परिवर्तन करते गये। जो १४ तारीख का आर्डर था उस में न तो कुछ बढ़ाया गया और न और परिवर्तन किया गया। उस १४ तारीख के आर्डर में केवल साढ़े ११ बजे से लेकर ढाई बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की छूट थी। मैं वहां जिलाधीश के पास गया और उस के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी फोन किया और हमने यह कोशिश की कि मैं अपनी तरफ से पूरी सफाई दे दूं। विद्यार्थियों की परीक्षा हो रही है। हमारी तरफ से कोई भी कोशिश या इच्छा नहीं थी कि हम उनकी परीक्षा में बाधा डालें। हमने जिलाधीश से यह भी कह दिया कि १४४ न भी होती तो भी हम १० बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग न करते। ७ बजे से १० बजे तक परीक्षा होती है और १० के बाद हम आरम्भ करते। उन्होंने साढ़े ११ से ढाई तक लाउड स्पीकर प्रयोग करने की इजाजत दी। मैंने कहा कि १० बजे परीक्षा समाप्त हो जाती है, तो १० बजे से हम को लाउड स्पीकर के प्रयोग की इजाजत क्यों न मिले ? इससे शान्ति को कौन सा खतरा आयेगा ? इससे स्टेट की सिक्योरिटी को कौन सा खतरा है ? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने मुख्य मंत्री जी को फोन किया। कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। वह उस में थे। गृह मंत्री जी को फोन किया वह भी नहीं मिले। चीफ सेक्रेटरी भी वहीं थे। उनके पी० ए० वर्मा जी मिले। उन्होंने मेरी सब बातें सुनीं और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है और आप फोन जिलाधीश को दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—यह किस तारीख का वाकया है ?

श्री राजनारायण—यह ३१ तारीख को साढ़े ९ बजे की बात है। तो मैंने वह फोन फिर जिलाधीश को दे दिया और उन्होंने फिर वर्मा जी से बातचीत की। उस के बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया और कहा कि राजनारायण जी, और उन्होंने लिखा भी है, मैं उसको पढ़ देता हूं, कि दफा १४४ का जो आदेश है उसमें आज कोई एक्जेम्प्शन या रिलैक्सेशन नहीं किया जा सकता और अगर आप. . .

श्री अध्यक्ष—मैं विषय के मेरिट्स पर नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार से उक्त घटना से क्या सम्बन्ध आता है ?

श्री राजनारायण—तो सरकार का सीधा संबंध आता है। मैंने साढ़े ९ बजे चीफ सेक्रेटरी को उन के पी० ए० के जरिये जानकारी करा दी। मुख्य मंत्री जी के यहां जो मिले उन को भी सूचित किया कि आप मुख्य मंत्री जी को इससे सूचित कर दें कि हमारे सम्मेलन को सुचारुरूप से चलने देने में यहां के लोग बाधक हो रहे हैं और इसके बाद जब आप मौका देंगे तो मैं साबित करूंगा कि किस तरह से सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन सुचारु रूप से न हो इसके लिये ऊपर से ले कर नीचे तक साजिश थी। मैं यह नहीं कहता कि मुख्य मंत्री जी उस में सम्मिलित थे या गृह मंत्री जी उसमें सम्मिलित थे, लेकिन कुछ उच्चाधिकारी, जिनके हाथ में प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वह उस में थे।

श्री अध्यक्ष—आप बहस क्यों करते हैं। मैं तो संबंध की बात पूछ रहा था।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—दो लफ्ज कहने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं राजनारायण जी से बात कर रहा हूं। आप क्यों बीच में बोल पड़े? (मुख्य मंत्री जी से) क्या आप को कोई आक्षेप है इस विषय पर बहस करने के बारे में या सरकार से इस घटना से संबंध होने के बारे में, या इसकी निश्चितता के बारे में?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यह मामला वहां के जुडिशियल अफसर की अदालत में पहुंचा दिया गया है। मुकदमे की सुनवाई के लिये १४ तारीख तय हो चुकी है और जहां तक मैं जानता हूं...

श्री अध्यक्ष---मुकदमा अदालत में कैसे पहुंचा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने रिपोर्ट की थी और इस प्रकार जुडिशियल अफसर की अदालत में मुकदमा गया। उन्होंने १४ तारीख फैसले के लिये नियुक्त कर दी है और जहां तक मुझे मालूम है श्री राजनारायण जी के नाम पर सम्मन इश्यू हो चुका है, उनको मिला हो या न मिला हो। तो ऐसी हालत में यह मामला सबजूडिस हो जाता है और इसलिये यह सारी बातें अप्रासंगिक होंगी और इसलिये इस पर बहस करना उचित न होगा।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि इसीलिये अपनी गिरफ्तारी से संबंधित कामरोको प्रस्ताव मैंने पेश नहीं किया है। मेरा कहना यह है कि संविधान के अन्दर जो डेलीगेट्स को अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है उस को रोकने के लिये १०० लट्ठबन्द पुलिस सिपाहियों ने आ कर हमला किया। मैंने यह विषय रखा है। मेरी गिरफ्तारी जायज है या नाजायज---जो पूर्णतया नाजायज सिद्ध होगी, यह दूसरी बात है।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है और उन्नाव की पुलिस के बारे में एक नहीं, अनेक घटनायें ऐसी हो चुकी हैं। इसी सदन में माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने इसी उन्नाव की पुलिस की हरकतों पर लज्जा से सिर झुकाया था और श्रीमन्, जब कोई मंत्री लज्जा से अपना सिर नीचे झुकाते हैं तब सारे सदन का सर नीचे झुक जाता है, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों। इसलिये इस मसले पर बहस हो जाना अत्यन्त आवश्यक है। जब वहां पर सोशलिस्ट पार्टी का जल्सा हो रहा था और वहां का वातावरण क्षुब्ध नहीं था तो दफा १४४ लगाने की कोई बात मालूम नहीं होती। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि एक सोशलिस्ट पार्टी की ही बात नहीं, बल्कि जितने भी विरोधी दल हैं, उन सब के साथ सरकार का ऐसी ही हरकतें होंगी। इसलिये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है तथा इस प्रकार से सरकार प्रदेश की सारी विरोधी पार्टियों को कुचलना चाहती है।

श्री अध्यक्ष---आप वैधानिकता के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप तो मेरिट्स पर बात कर रहे हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि यह प्रश्न वैधानिक है या नहीं और कामरोको प्रस्ताव इस घटना पर आ सकता है या नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया कि यह प्रश्न अदालत के सुपुर्द कर दिया गया है और एक मुकदमा श्री.राजनारायण जी के ऊपर धारा १४४ भंग करने के बारे में है। माननीय राजनारायण जी भी यह कहते हैं कि धारा १४४ के अनुसार यह आज्ञा दी गयी थी कि लाउड स्पीकर्स का उपयोग फलां वक्त न किया जाय। अब १४४ की आज्ञा की वैधानिकता क्या है और अवैधानिकता क्या है, यह विषय भी और माननीय राजनारायण जी के ऊपर जो मुकदमा है, वह भी, दोनों ही विषयों के प्रश्न अदालत के सामने हैं। जो आज्ञा दी गयी थी वह वैधानिक थी या अवैधानिक थी, यह बात भी अदालत के सामने आ जायगी। इस तरह की आज्ञा वैधानिक है या अवैधानिक है, संविधान के संबंधित अनुच्छेद के विरुद्ध यह आज्ञा है या नहीं, यह प्रश्न भी इसके सम्बन्ध में उठ सकते हैं। इसलिये ऐसे विषय में चर्चा करना, जो कि विषय अदालत के सुपुर्द है, अदालती कार्यवाही पर असर डाल सकता है। अतः इस पर बहस करना सदन के लिये उचित नहीं है। इसलिये इस वक्त मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। अदालत का फैसला होने के बाद और अगर वह फैसला उन्नाव के अफसरान के विरुद्ध होता है, तब प्रश्न को आप यहां उठा सकते हैं और नीति निर्धारण के बारे में भी आप कह सकते हैं कि इस तरह की नीति निर्धारित की जाय कि जिससे इस तरह की घटनायें भविष्य में न हो सकें।

इसी तरह से दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामस्वरूप वर्मा जी का है कि "गत ३१-३-५८ को उन्नाव के जिलाधीश ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रान्तीय वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर लाउड स्पीकर के प्रयोग पर अविवेकपूर्ण ढंग से पाबन्दी लगा कर अधिवेशन के कार्यक्रम को ही भंग करने का कुत्सित प्रयास नहीं किया वरन् जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया है। जिस प्रकार उक्त अवैध आज्ञा को लागू कर श्री राजनारायण एम० एल० ए० को सभा मंच से बोलते हुए बर्बरतापूर्ण ढंग से गिरफ्तार किया गया उस से तमाम प्रदेश में लोगों में रोष एवं असंतोष का वातावरण छा गया है और प्रदेश में एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः उक्त आवश्यक एवं सार्वजनिक महत्व के विषय पर विवाद करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है"।

इसमें भी वही विषय है जो कि अदालत में उठाया जा सकेगा। इसकी भी मैं अनुमति नहीं देता हूं।

सोशलिस्ट पार्टी, आजमगढ़ के संयुक्त मंत्री श्री विष्णुदेव प्रसाद पर पुलिस की साजिश से गुंडों द्वारा हमले के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---तीसरा कामरोको प्रस्ताव है कि "गत २८-३-५८ को जिला सोशलिस्ट, पार्टी, आजमगढ़ के संयुक्त मंत्री श्री विष्णुदेव प्रसाद पर साढ़े बारह बजे दिन में मधुबन के पुलिस जुल्म के विरोध में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित मधुवन की सभा में जाते हुए स्थानीय पुलिस ने साजिश करके गुन्डों द्वारा प्राणघातक हमला करवाया क्योंकि श्री विष्णुदेव पिछले कुछ महीनों से थाना मधुबन के इंचार्ज के भ्रष्टाचार और गुन्डों के साथ साठ-गांठ का पर्दाफाश व विरोध करने में लगे हुये थे। दिन दहाड़े पुलिस साजिश पर गुन्डों द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ता पर इस प्राण-घातक हमले के कारण वहां की जनता में आतंक एवं भय छा गया है और सारा वातावरण क्षुब्ध है।

अतः इस प्रकार उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसमें मैं यह जानना चाहूंगा कि श्री उग्रसेन जी ने जो यह लिखा है कि "प्राणघातक हमला हुआ" तो क्या इसमें कोई व्यक्ति मार भी डाला गया है?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा यह कामरोको प्रस्ताव श्री विष्णु-देव जी के ऊपर हमला होने के सम्बन्ध में है, जो मधुबन थाना के इनचार्ज की साजिश से कुछ गुंडों द्वारा उनके ऊपर किया गया था। वहां पर पुलिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एक मीटिंग में वे भाषण देने जा रहे थे जबकि थाना इनचार्ज की साजिश से कुछ गुंडों ने दिन-दहाड़े साढ़े १२ बजे गड़ासे से हमला किया और उनके पैर में मारा। उनकी बड़ी बुरी हालत है और इस समय वे आजमगढ़ अस्पताल में पड़े हुए हैं। यही नहीं, बल्कि बराबर लगातार वहां का थानेदार भ्रष्टाचार के लिये गुंडों को प्रोत्साहन देता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सोशलिस्ट पार्टी बराबर काम करती है और ऐसी ही एक सभा में साढ़े १२ बजे श्री विष्णुदेव जी जा रहे थे। अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह से पुलिस की साजिश से प्राणघातक हमला हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी तरह से पहले भी दुबे जी को जो सोशलिट पार्टी के ही हैं, पुलिस की साजिश से कुचल कर मार डाला गया। आये दिन सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की घटना होती रहती है। यह बड़े ही सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है और हम लोगों के लिये तो जीवन और मरण का प्रश्न है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास इस सम्बन्ध में चिट्ठी भी आयी और एफ० आई० आर० में पता नहीं पुलिस क्या कर रही है। पुलिस

[श्री उग्रसेन]
की साजिश से इस तरह का काम हो रहा है । यह बहुत ही सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, इसलिये इस पर विचार करना चाहिये । माननीय मन्त्री जी की जानकारी के लिये मैंने उनके पास तार भी दिया और चिट्ठी भी लिखी गई है । इन सारी बातों पर उनको जरूर प्रकाश डालना चाहिये । आखिर हम लोग कैसे काम करें ?

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस कामरोको प्रस्ताव के नोटिस पाने के बाद मैंने वहां से टेलीफोन से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की । इस वक्त तक जो सूचना मिली है वह यह है कि श्री विष्णुदेव प्रसाद पहले पी० एस० पी० में थे जो पिछले कुछ दिनों से पी० एस० पी० को छोड़ कर सोशलिस्ट पार्टी में चले गये हैं । जब से वे एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गये हैं तब से कुछ न कुछ संघर्ष वहां जारी है और संघर्ष के वे केन्द्र बन गये हैं । पुलिस की साजिश का कोई सवाल नहीं है । यह ठीक है कि जब वे जा रहे थे, तो साढ़े १२ बजे दिन में उनके ऊपर हमला हुआ । कुछ लोगों का नाम भी उन्होंने लिखाया है । जिन लोगों का नाम उन्होंने लिखाया है, उनमें से कुछ पर पहले से ११० का मुकदमा चल रहा है, इसलिये कोई साजिश का सवाल नहीं होता है । इस मामले में भी अगर प्रमाण हुआ तो उन लोगों पर मुकदमा चलेगा, इसमें कोई रत्ती भर सन्देह नहीं है । जहां तक प्राणघातक हमले की बात है, जैसा कि माननीय उग्रसेन जी ने कहा, कोई प्राणघातक हमला नहीं हुआ था, बहुत हल्की चोट उनको आयी और उस चोट के बाद उन्होंने मीटिंग को ऐड्रेस भी किया । अगर प्राणघातक हमला होता तो वे मीटिंग को ऐड्रेस नहीं कर सकते थे । इस वक्त तक टेलीफोन से यही सूचना मुझको मिली है ।

श्री उग्रसेन—माननीय मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य के बाद मुझे भी कुछ मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं तो सिर्फ सरसरी तौर पर यह जानना चाहता था कि इस विषय का सरकार से क्या सम्बन्ध है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो चीजें सामने रखीं, उससे मालूम होता है कि कोई सम्बन्ध होने की बात है नहीं ।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे कुछ जानकारी है जो मैं देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैंने प्रस्तावक से जानकारी ले ली, आप उनके वकील नहीं हैं ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, राजनारायण जी को विशेष जानकारी है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं बतलाना चाहता हूं कि २९ तारीख को मेरे पास तार आया, मैं बनारस गया था, वहां से मैं शाहगंज गया । यह पार्टी का सम्बन्ध है, इसलिये मुझे थोड़ा सा मौका दीजिये । रात को ११ बजे मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास टेलीफोन किया । श्रीमन्, मैं रात रात भर जागता हूं क्योंकि कहीं न कहीं से तार आता ही रहता है, मुझे जवाब दिया गया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी आराम कर रहे हैं । फिर मैंने माननीय गृह मन्त्री जी को टेलीफोन किया तो वहां से भी यही जवाब मिला कि वे आराम कर रहे हैं, इसके बाद फिर मैंने जिलाधीश को फोन किया १२ बजे रात में । मैंने जिलाधीश को बतलाया कि श्री विष्णुदेव प्रसाद के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है और गड़ासे से उनका पैर भी कट गया है, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप उनके लिये अस्पताल तक ले जाने के लिये एम्बुलेंस गाड़ी भिजवा दीजिये । जिलाधीश ने कहा कि डाक्टर केदार का फोन मेरे पास आया था, लेकिन मैं एम्बुलेंस नहीं दे सकता जब तक कि उसका पैसा जमा न हो । मैंने उनसे कहा कि मान लीजिये, एक आदमी गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिये क्या रास्ता है .....

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप दूसरी बात कह रहे हैं । पहले आप चोट लगने की बात कह रहे थे ।

श्री राजनारायण—चोट उनको इतनी करारी लगी है कि गड़ासे से उनका पैर कट गया, यह कहिये कि वे किसी तरह से बच गये । और जाकर किराया जमा करके एम्बुलेंस भेजी गई और किसी तरह से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया । इस सम्बन्ध में मैं केवल २ बातें निवेदन करूंगा कि वहां पर उनकी चोट की परीक्षा डाक्टर ने जो की उस की रिपोर्ट कुछ और है और जो सिविल सर्जन ने दूसरी परीक्षा की उसकी कुछ और रिपोर्ट है.....

श्री अध्यक्ष—वह मीटिंग में बोले या नहीं ?

श्री राजनारायण—जी नहीं, हमारी जानकारी है कि वह मीटिंग में नहीं गये और मुख्य मन्त्री जी जैसा कहते हैं उसकी जानकारी मैं पुनः करूंगा .....

श्री अध्यक्ष—आप इसकी तहकीकात फिर से करते रहें । चूंकि इस हमले से और सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं आता और जो आक्षेप अभी स्थानीय पुलिस पर किया गया इस विषय में, उस के विषय में जो सूचना माननीय मुख्य मन्त्री ने दी है ....

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है ....

श्री अध्यक्ष—उससे यह बात स्पष्ट है कि जिनका नाम उन सज्जन ने लिया, जिनके चोट लगी है, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि किसी हालत में भी यह विषय निश्चित नहीं है कि कोई अत्याचार या साजिश पुलिस की तरफ से हुई है और अगर हुई है तो जब मुकदमा चल रहा है उसी के सबूत में माननीय सदस्य इस चीज को ला सकते हैं और अदालत में पेश कर सकते हैं ...

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, गौर करें कि इस तरह से तो हमारे सबके कत्ल हो जायेंगे और कोई कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकेगा ।

श्री अध्यक्ष—ऐसी डरने की कोई बात नहीं है ।

मौदहा के उप-निर्वाचन के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक प्रस्ताव श्री मोहनलाल वर्मा का है, उसे मैं पढ़कर नहीं सुनता हूं क्योंकि यह भी चालू चुनाव के सम्बन्ध में है और उसी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है ।

(श्री मोहनलल वर्मा के खड़े होने पर)

आप अपने स्थान पर बैठें ।

मैं इस चीज को बहुत गलत समझता हूं कि जिस वक्त चुनाव जारी हों उस वक्त कोई भी पार्टी यहां पर चुनाव में लाभ उठाने के लिये चुनाव की चर्चा करे और कहे कि किस तरह मोटर में बैठ कर फलां पार्टी ने प्रचार किया । इस तरह की चीज अगर कामरोको प्रस्ताव का विषय बनकर आती है और सदन को एक प्रोपेगेन्डा की मशीन बनाने का प्रयत्न होता है तो मैं ऐसी बात को प्रोत्साहन देने के लिये तैयार नहीं हूं । अगर कोई ऐसी अनुचित बात हो रही हो तो वह एलेक्शन पेटीशन जब होगी उसमें पेश की जा सकती है ।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—इस सम्बन्ध में मैं नहीं कह रहा हूं, बाकी मुझे अर्ज यह करना है कि ....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, चुनाव का जिक्र आप नहीं करें । मुझे सब पता है । इस तरह से प्रचार की कोशिश की जाती है । उधर चुनाव कमिश्नर को भी रिपोर्ट भेजी जाती है और इधर सदन का भी उपयोग प्रोपैगेन्डे के लिये किया जाता है । इस तरह से यहां पर एक

[श्री अध्यक्ष]

दूसरे की शिकायतें लाकर चुनाव के ऊपर असर डालने की बात को मैं पसन्द नहीं करता, सदन को तो किसी तरफ से प्रचार करने से अलिप्त रहना चाहिये और यही मेरा प्रयत्न है कि सदन उससे अलिप्त रहे ।

जगबूड़ा पुल पर बैलगाड़ियों आदि पर कर लगाने के विरोध में श्री प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सचना

श्री अध्यक्ष—एक प्रस्ताव और है श्री गोविन्द सिंह बिष्ट का कि "जगबूड़ा पुल जिला नैनीताल से पास होने वाली गरीब थारू बोक्साओं आदि की बैलगाड़ियों व साइकिलों पर जो अवांछनीय व अनैतिक पुल-कर सरकार ने लगाया है उसे समाप्त किये जाने की न्यायोचित मांग के सरकार द्वारा ठुकराये जाने पर इस प्रतिष्ठित सदन के माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह तथा उन क १७ अन्य साथी सत्याग्रह करते हुए अप्रैल, १९५८ में गिरफ्तार किये गये है जिससे जनता में बड़ा असन्तोष है और शान्ति भंग होने का डर पैदा हो गया है । इस महत्वपूर्ण, निश्चित व सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये सदन आज अपनी बैठक (कार्यवाही) स्थगित करता है ।"

यह विषय जहां तक इसमें गिरफ्तारी होने का कारण बताया गया है पुल पर टोलटैक्स का विरोध करना, ऐसा है जिसको कि माननीय सदस्य को स्वयं इस सदन में उठाना चाहिये था । इस सदन के सदस्य होने के नाते अगर वह इस प्रश्न को महत्व देते थे तो उनको यहां सदन में ही उठाना चाहिय था । यह युक्त नहीं था कि जो सदन का सदस्य है वह बाहर जाकर अधिकारियों की वैध आज्ञा को भंग करे । अगर वह समझते थे कि उस पुल के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए था तो उस प्रश्न को वे उठाते सदन में ।

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अगर आप आज्ञा दें तो एक मिनट म अर्ज कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—तो यह बताइए आप कि वह प्रश्न किस तरह से कामरोको प्रस्ताव का विषय बन सकता है ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जहां तक श्रीमन्, मुझे ज्ञात है एक बार, अगर मैं गलती नहीं करता तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने इस सदन में यह फरमाया था एक प्रश्न के उत्तर में कि उस पुल पर साइकिलों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा । लेकिन मुझे कुन्न नारायणदत्त जी ने खुद बताया कि वहां साइकिलों पर भी टैक्स लिया जा रहा है । तो जब यहां इस माननीय सदन के सामने और श्रीमन् के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया, उसका उत्तर दिया गया, उसके बाद फिर टैक्स लगा दिया गया तो यह दो बातें इसमें आ जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष—आपने तो जो प्रश्न उठाया है वह तो उनके सत्याग्रह करने से जो गिरफ्तारी हुई उससे जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके ऊपर विचार करने के लिये उठाया है । आपका कोई प्रश्न यह नहीं है कि साइकिलों पर कर क्यों लगाया या उससे लोगों में असन्तोष है, उसके ऊपर विचार करने के लिये यह आपका प्रस्ताव नहीं आया है . .

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी के आश्वासन के बावजूद कि साइकिलों पर टैक्स नहीं लग रहा है, उन्होंने कहा कि साइकिलों पर टैक्स नहीं लगता है , लेकिन सरकार लगा रही है । तो सरकार का सीधा सम्बन्ध आता है और आश्वासन देने के बाद जि सरकार अवैध घोषित कर चुकी है, वह टैक्स अगर लिया जाता है और कोई सदस्य उसके लिये मांग करता है तो वह तो एक लीगल चीज है . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—तो वही तो मैं कह रहा था कि आपका जो प्रश्न है वह उस ढंग का नहीं है। आपने उसके ऊपर मांग नहीं की है। आपने तो कहा है कि वह क्यों गिरफ्तार हुए यद्यपि उन्होंने कानून तोड़ा और सत्याग्रह किया . . .

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, अवांछनीय और अनैतिक टैक्स वगैरह जो मैंने लिखा है, यहां तो संक्षेप में ही लि है, ई बड़ा भारी पोथा तो नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मैंने वहां का दृश्य खुद देखा है...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

श्री उदय शंकर (जिला बस्ती)—श्रीमन्, माननीय उग्रसेन जी अभी अपने ऐडजर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में प्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें अपना लिटरेचर बांट रहे हैं। क्या यह माननीय अध्यक्ष द्वारा एजर्नमेंट मोशन को आउट आफ आर्डर डिक्लेयर करने के बाद उचित है कि वह इस तरह से करें ?

श्री अध्यक्ष—यह वैधानिक प्रश्न मैं समझता हूं कि उठता नहीं है। मैंने तो किसी को बांटते देखा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो उक्त प्रस्ताव मैंने आउट आफ आर्डर किया उसे पहले मैंने पढ़ा था। यह नहीं था कि मैंने नहीं पढ़ा हो। अगर मैं न पढ़ता, उसके बाद अगर वह प्रेस के पास पहुंच जाता तो मैं समझता हूं कि यह अवैधानिक होता और उसमें अवश्य इस सदन की मानहानि का प्रश्न आता। लेकिन ऐसी बात नहीं हुई है। जिसको मैंने पढ़ के सुना दिया उसको प्रेस वाले छाप सकते हैं। उसके साथ-साथ यह भी छपेगा कि अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। अगर अखबारों के पास इतना स्पेस हो तब भी वह पूरे प्रस्ताव छापेंगे। अगर आठ-आठ दस-दस सदन में उपस्थित होंगे तो सम्पूर्ण प्रस्ताव अखबार वाले छापते भी नहीं हैं।

अब जहां तक प्रस्ताव का विषय है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। एक सुझाव में श्री गोविन्दसिंह जी को देता हूं। अगर वे कहते हैं कि यह जो कर वसूल हो रहा है वह सरकार द्वारा दिये गये प्रश्नों के उत्तरों के विरुद्ध हो रहा है तो पहले पुनः प्रश्न पूछकर इस विषय को निश्चित कर लें .....

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—अगर खुद कोई सूचना माननीय मन्त्री जी दे दें तो मैं आप का बहुत मशकूर हूंगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी अगर मौजूद हों और कोई सूचना वह देना चाहें तो दे दें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पिछले महीने में मैंने यह बात कही थी कि अब हमने जो साइकिलों पर टोल लगता है उसको हटाने के आदेश दे दिए हैं। यह मेरा खयाल है, मुझे ठीक पता नहीं, उस स्थान पर जो काम कर रहे हैं उनके पास शायद यह इत्तला अभी नहीं पहुंची जिसके लिए मुझे खेद है। लेकिन वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जायगी और आगे के लिए जहां तक साइकिलों पर टोल की बात है, वह वहां बन्द हो जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय प्रताप सिंह जी ने जब सत्याग्रह करने का इरादा किया था तो मुझसे उनसे बात हुई

थी। उन्होंने कहा था कि मैंने मंत्री जी से बात की है और इसके बारे में निश्चित मत है कि वहां साइकिलों पर टैक्स नहीं लिया जायगा। फिर भी उल्लंघन होता रहा। जो बैलगाड़ियां निकलती हैं उनके पास अगर टैक्स का पैसा नहीं होता है तो पी० डब्ल्यू०डी०के कर्मचारी उनका सामान उतार लेते हैं। इसलिये यह सार्वजिनक महत्व का है।

श्री अध्यक्ष—वह तो खुद कह रहे हैं कि साइकिलों पर टैक्स नहीं लगेगा और उन इस बात का खेद है कि उनकी आज्ञा अभी तक वहां नहीं पहुंची है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई जल्दबाजी करके कोई कानून को तोड़ना शुरू कर दें। मैं प्रस्ताव उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता।

सोशलिस्ट पार्टी के प्रान्तीय सम्मेलन में बाधायें डाले जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव श्री मुल्ला प्रसाद हंस जी का है। यह भी उन्नाव वाली मीटिंग के सम्बन्ध में है। मैं इसको भी पढ़ता नहीं हूं और अनुमति नहीं देता हूं।

हसनगंज थाना, जिला उन्नाव, में श्री फरीद अहमद पर गुंडों द्वारा हमले के बारे में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—यह कामरोको प्रस्ताव श्री सजीवनलाल जी तथा श्री भीखालाल जी का है—

"हसनगंज थाना, जिला उन्नाव में कल ता० २ अप्रैल, सन् १९५८ को कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता श्री फरीद अहमद पर गुन्डों द्वारा लाठियों और कातों से घातक हमला हुआ। इसके पूर्व ही हम माननीय पुलिस मंत्री महोदय को इस बात की लिखित सूचना दे चुके थे कि उक्त थानेदार महोदय इस तरह के घातक हमलों की योजना बना रहे हैं फिर भी उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा थाने की स्थिति सुधारने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे थानेदार को इस प्रकार के हमलों के लिये लगातार प्रोत्साहन मिला। उक्त घटना के फलस्वरूप हसनगंज तहसील की जनता में घोर असंतोष की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस क्षेत्र में पुलिस द्वारा जन जीवन की सुरक्षा पर आघात तथा इससे उत्पन्न विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे जब इसकी इत्तला मिली तो मैंने टेलीफोन से दरियाफ्त कराया, लेकिन अभी तक मुझे कोई सूचना नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—तो परसों तक आप इसके बारे में सूचना प्राप्त कर लें। तब तक के लिये मैं इसको स्थगित करता हूं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आगामी चुनाव के संबंध में जानकारी की मांग

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं, श्रीमन्, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। मैंने २५, ३० मेम्बरों से दस्तखत कराके एक दरख्वास्त मंत्री महोदय को दी थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव गर्मियों में न करा के जाड़े में कराये जायं और फिलहाल इन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग कर दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल का विधान बना कर उसका चुनाव कराया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले एक, दो सूचना देना चाहता हूं सदन को. फिर उसके बाद आप इस प्रश्न को उठायें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं १ मिनट चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जो राज सत्ताधारी हैं वह भी समाजवाद लाना चाहता है। देश का निर्माण समाजवाद में होगा और दूसरी तरफ समाजवादियों के लाउड स्पीकर छीन लिये जाते हैं, दफा १४४ लगा दी जाती है। तो क्या बिड़ला का समाजवाद होगा या टाटा का समाजवाद होगा? जहां समाजवादियों को पुलिस पीट रही है, यह कैसा समाजवाद है?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, १ मिनट आपका हो गया।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, १ मिनट और मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—अब नहीं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, प्रजातन्त्र है। १ मिनट का समय और दिया जाय।

जब किसानों और मजदूरों की सरकार बनेगी तो लाउड स्पीकर उधर का भी छीन लिया जायगा। इसलिये हम और आप हिल मिल कर काम करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी भी मीटिंग नहीं हो पायेगी, जिस समय हमारे हाथ में शासन आयगा।

विधान सभा सदस्य, श्री प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री जोशी, एस० डी० एम० तराई, जिला नैनीताल ने खबर भेजी है। ३१ मार्च को वहां से उन्होंने भेजी है। इसके पहले एक वायरलेस आ चुका था।

"Shri Pratap Singh M. L. A. of this district arrested to day under section 353 I. P. C. for having obstructed the employees of P. W. D. at Jagbura bridge in this district in the discharge of their official duties in collection of toll tax levied under law at the said bridge and forcibly allowing the vehicles to pass the bridge without the payment of Toll Tax. He was arrested at Jagbura Bridge on Tanakpur-Pilibhit Motor Road in police station Tanakpur of this district at 4.30 p.m. on the said date and is at present lodged at police station Tanakpur of this district."

इसके बाद जो इत्तला आई है वह यह है कि उनको हल्द्वानी जेल में ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी व जमानत पर छूटने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक खबर श्री राजनारायण जी के बारे में आयी थी कि वे सेक्शन १४४ को तोड़ने के ऊपर गिरफ्तार कर लिये गये और उसके बाद वे जमानत पर छोड़ दिये गये।

कुंवर श्रीपाल सिंह—मैं सुन नहीं पाया, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी को दफा १४४ तोड़ने पर गिरफ्तार किया गया और फिर जमानत पर छोड़ दिया गया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम द्वारा विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—यह श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब का पत्र मेरे नाम से आया है। ३१ मार्च को उन्होंने भेजा है।

[श्री अध्यक्ष]

"Please accept my resignation from the membership of Vidhan Sabha with effect from April 2, 1958, and oblige."

इसमें २ अप्रैल से उनका इस्तीफा है। मंजूर करने के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जैसे ही सूचना मिल जाती है कि फलां तारीख से किसी माननीय सदस्य का इस्तीफा है, उसी रोज से अपने आप वह अमल में आ जाता है। तो २ तारीख से वे इस आदरणीय सदन के सदस्य नहीं रहे।

१९५७-५८ के लिये निर्मित स्थायी समितियों के सदस्यों का पद काल ३० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ाने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—एक सूचना विधान परिषद् की तरफ से आयी है। सचिव, सभा विधान उसे पढ़ कर सुनायेंगे—

सचिव विधान सभा—"आपके पत्र संख्या ६५१ ए (८४-एस) ५८, दिनांक २४ मार्च, १९५८ के संदर्भ में मुझे सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ मार्च, १९५८ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्य-विधि के नियम १ के उपनियम (ङ) के अनुसार उक्त समितियों के सदस्यों का कार्यकाल वित्तीय वर्ष होता है, परन्तु चूंकि वित्तीय विधान सभा का निर्माण अप्रैल, १९५७ में होने के फलस्वरूप १९५७-५८ के लिये समितियों का संघटन सितम्बर, १९५७ में हुआ था, अतः यह सदन निश्चय करता है कि इन समितियों का निर्वाचन, जिसके कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है वह स्थगित किया जाय, तथा उक्त नियम को निलम्बित करते हुए १९५७-५८ के लिये निर्मित स्थायी समितियों के सदस्यों का पद काल ३० सितम्बर, १९५८ तक बढ़ा दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष—यह दोनों सदनों की राय से निश्चय हुआ है कि उक्त समितियों का समय ३० सितम्बर तक के लिये बढ़ा दिया गया।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् के लिये सदस्यों के चुनाव के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—परसों जो विधान परिषद् के लिये सदस्यों का चुनाव इस आदरणीय सदन के सदस्यों द्वारा होने वाला है वह सुबह ८ बजे से दोपहर १ बजे तक होगा। इस सूचना के अनुसार निर्वाचन होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम का इस्तीफा हिन्दी में न होने के कारण आपत्ति

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सदन की भाषा हिन्दी है। तो क्या किसी माननीय सदस्य का इस्तीफा अंग्रेजी में आ सकता है और वह स्वीकार भी किया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—जिस भाषा में मेरे पास पत्र आया है उसको तो उसी भाषा में मुझे यहां पढ़ करके सुना देना चाहिये। उसके बाद हिन्दी में अनुवाद कर देना चाहिये। अगर माननीय सदस्य चाहें तो हिन्दी का अनुवाद कर दूं, लेकिन मैंने समझा था कि सब लोग समझ गये उस बात को, इसलिए उसमें मैंने कोई आपत्ति नहीं समझी।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के आगामी चुनाव तथा सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—श्रीपाल सिंह जी, आप कुछ पूछना चाहते थे ?

कुंवर श्रीपाल सिंह—मैं श्रीमन्, यह पूछना चाहता था कि मुख्यमंत्री जी को मैंने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बारे में एक दरख्वास्त दी, जिस पर २५-३० सदस्यों के दस्तखत थे, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव जो गर्मियों में होने वाला है वह न कराया जाय, जाड़ों में कराया जाय और मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भंग करने के बाद इस बीच में जिला परिषद् का जो एक विचार है बनाने का, उसका विधान वगैरह बना करके उसके आधार पर चुनाव कराये जायं, उसके बाद ही मैं...

श्री अध्यक्ष—ठीक है। श्री बलवान सिंह जी।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—मैं एक सूचना चाहता हूं। इंटरमीडियेट एजुकेशन बिल जो सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था, वह मेरी जानकारी है कि वापस आ गया है और मेरा खयाल है कि यह हाउस ५ तारीख तक चलेगा। क्योंकि इस बिल से हजारों अध्यापकों.....

श्री अध्यक्ष—आज शाम को मीटिंग होने जा रही है।

श्री बलवान सिंह—श्रीमन्, वह बिल दो रोज में पास हो सकता है। दो रोज सदन की बैठक और हो जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी तो वह सदन के सामने आया नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी सूचना देंगे कि कार्यक्रम क्या होगा और इसके बारे में भी सूचना देंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के बारे में श्रीपाल सिंह जी ने प्रश्न उठाया है।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, जहां तक कार्यक्रम की बात है कुछ थोड़ी सी सूचना तो इसके सम्बन्ध में मैं पहले भी इस माननीय सदन के सामने रख चुका हूं यानी यह कि इस सदन की बैठक आज तो हो ही रही है, कल छुट्टी है, ५ तारीख को और होगी। जैसा कि आज मेरी तरफ से एक प्रस्ताव पेश होने वाला है, मैं माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि परसों शनिवार है, फिर भी बैठा जाय। काम जो कुछ भी होगा उसका इशारा कर चुका हूं और आज जो हमारे सामने कार्यक्रम है उसमें ६, ८, १० नम्बर पर काम दिय हुए हैं—यू० पी० रिक्वीजीशन आफ मोटर वेहिकिल्स बिल, यू० पी० जमींदारी अबालिशन एंड लैंड रिफार्म्स बिल और यू० पी० सेल्स टैक्स वैलिडेशन बिल। यह आज ही खत्म हो जाय तो अच्छा है, और मुझे आशा है कि ५ तारीख तक तो जरूर ही खत्म हो जायगा। उसके बाद इस सदन की बैठक नहीं होगी। माननीय सदस्य चाहते हैं कि स्पष्ट सूचना मिल जाय, तो मैं अभी सूचित करना चाहता हूं कि फिर अगली बैठक २१ जुलाई को होगी, बीच में सदन की बैठक नहीं होगी। कार्यक्रम के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा।

जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की बात है, यह सही है कि माननीय श्रीपाल सिंह जी ने और कुछ और सदस्यों ने कई सदस्यों के दस्तखत से एक कागज मुझको दिया था। इसके अलावा और भी बहुत से सदस्यों का ऐसा खयाल था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव मई में न कराया जाय, उसमें सब लोगों को कष्ट होगा, लू का मौसम है, इत्यादि-इत्यादि। तो जब कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की ऐसी राय हो तो उसको मानना हमारा कर्तव्य हो जाता है और इस बात को हमने मान लिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---हम लोगों ने इसका विरोध किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो मैं कह रहा था उसको अगर माननीय सदस्य ने सुनने का कष्ट किया होता तो उनको व्यक्त करने की जरूरत नहीं होती कि हमने विरोध किया है। मैंने यह कहा था कि "बहुत से सदस्यों का ऐसा खयाल था और उन्होंने समर्थन किया है" यह नहीं कि सबने किया है। जो लोग विरोध करते हैं और जिनको शौक है विरोध करने का, उनके लिये मैं नहीं कहता। बहरहाल मैं यह कहता हूं कि चुनाव नहीं होगा।

इसके साथ-साथ दूसरी बात यह है कि इस सुझाव को हमने मान लिया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स तोड़ दिये जायं। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की आयु ३० जून को खत्म होती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कब खत्म होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य कभी-कभी गजट पढ़ लिया करें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आयु, जिसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के लिए बताता हूं कि ३० जून को खत्म होती है और उनके न रहने पर जो नये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का कानून है उस को बनाने में कुछ देर लगेगी। तो हमारा विचार है कि जुलाई का जो सदन हो, उसकी जो बैठक हो उसमें बड़े-बड़े शहरों की म्युनिसिपैलिटियों के सम्बन्ध में जो कारपोरेशन वाला बिल है वह आ जाय और इस बीच में हम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल वाला कानून बना लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का कानून आ जाय, आप के दोनों सदनों के पास जाय तो चुनाव हो जायगा। लेकिन सवाल है कि इस बीच में क्या होगा ? इसके लिए हमने निश्चय किया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस के हाथ में रहेगा। उनको सलाह देने के लिए जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हैं वह रहेंगी और उसके अलावा जो मौजदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वह अपने में से ५ सदस्य चुन लेंगे। तो प्लानिंग कमेटी और ५ सदस्य मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से चुने हुए दोनों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सलाह देंगे। इस सम्बन्ध में मुझ से विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह सुझाव दिया कि जो ५ सदस्यों का चुनाव है यह प्रपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन के तरीके से हो तो अच्छा है। इसको हमने स्वीकार कर लिया है कि प्रोपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन के तरीके पर ५ सदस्यों का चुनाव हो और मैं आशा करता हूं कि यह जो प्रबन्ध है इंटेरिम, यह भी अधिकांश माननीय सदस्यों को--- यदि सबको नहीं---स्वीकार होगा।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मुझे यह निवेदन करना है कि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव का मामला करीब ८ वर्ष पुराना है और आज भी जब माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा कर रहे थे इसके पूर्व की कार्यवाही सदन में पढ़ी जाय तो जब २६ अक्तूबर को मुख्य मंत्री जी के यहां चाय पार्टी थी उस में हमको भी बुलाया, मगर मैं उस समय जेल में था जब निमंत्रण आया था। हमारे रामस्वरूप जी वर्मा डिप्टी लीडर यहां थे, उन्होंने कहा कि २६ तारीख को वहां जाना है या नहीं। वैसे मैं २४ नवम्बर को यहां आ गया था।

श्री अध्यक्ष--- आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण---मैं वही पूछ रहा हूं कि नवम्बर में यह हुआ कि चुनाव नहीं होगा, मार्च में हो जायगा। मार्च जब आया तो कहा गया कि मई में हो जायगा और प्रोसीडिंग उठाकर पढ़ लिया जाय, मैंने कहा था कि मैं निश्चित मत का हूं कि मई में चुनाव नहीं करायेंगे। तब कहा गया.....

श्री अध्यक्ष---आप की भविष्यवाणी सही निकली फिर आप नाराज क्यों हैं ?

श्री राजनारायण--- हम इस प्रकार जनता में अविश्वास फैला रहे हैं कि बार-बार तय करना कि चुनाव करेंगे और स्वयं बार-बार टाल देना, तो कनफ्यूशियस ने कहा था.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---मतलब यह है कि आप यह कह रहे हैं कि "मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त"। जनता का अविश्वास सरकार में होगा, आप को इसमें क्या परेशानी है? यह गलत बात है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जनता हमारा भी विश्वास नहीं करेगी। जब सम्पूर्णानन्द जी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जीवन का इतना बड़ा भाग लगा दिया वह बाबाखिलाफी करने लगे तो राजनारायण क्यों जनता का विश्वास होगा? इसलिये वह यह घोषणा करें कि आगामी चुनाव कब होगा? क्योंकि हमारी दिक्कत है। हमने अपने सोशलिस्ट पार्टी के विधान में यह तय किया है कि वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी मेम्बरी वोटर्स की एक प्रतिशत हो जायगी। और अगर हमको यह तारीख .....

श्री अध्यक्ष---यह इससे बिल्कुल असंगत है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, दूसरी दिक्कत सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष---आप की दिक्कत वे नहीं सुनना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि चुनाव कब होगा।

श्री राजनारायण---दूसरा प्वाइंट यह है कि यह बोर्ड आज क्यों न भंग हो जायं? मैं जानता हूं कि बोर्डों में कांग्रेस का बहुमत है और यह सरकार लेजिस्लेटिव कौंसिल का जो चुनाव होने जा रहा ...

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठें।

श्री राजनारायण---इसलिये मेरा कहना है कि आज भंग हों ताकि लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनाव में वे अपना वोट न दे पायें।

श्री अध्यक्ष---मैं बहस करने की इजाजत नहीं देता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जिला बोर्डों के ५ सदस्य सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से चुन कर नियोजन समितियों में जायेंगे। दो सदस्य जिला बोर्ड के पेश्तर से ही नियोजन समितियों में हैं। तो मैं जानना यह चाहता हूं कि क्या इन २ के अलावा ५ और सदस्य होंगे या वे २ इन ५ में शामिल होंगे?

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि २१ जुलाई को सेशन होगा और उस में जिला परिषदों के निर्माण पर विचार किया जायगा। तो क्या इस समय यह मुमकिन हो सकेगा कि उसके लिये सेलेक्ट कमेटी बना दी जायं?

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला परिषदों के सम्बन्ध में जो घोषणा की है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे तो ऐसा विश्वास है कि यह सदन ही नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश की जनता यह चाहती थी कि इस ग्रीष्म ऋतु में वह चुनाव न हो।

श्री अध्यक्ष---मैं भाषण की इजाजत नहीं दूंगा। आप कुछ पूछना चाहते हों तो पूछ लें।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह---एक तो मैं यही जानना चाहता था कि जो ५ मेम्बर बोर्ड के नियोजन समिति में चुने जायंगे वे मौजूदा २ के अतिरिक्त होंगे या उन २ को मिला कर ५ होंगे।

दूसरा मेरा यह सुझाव भी है कि जिला बोर्डों के जो आज कल प्रेसीडेंट हैं वे तो मेम्बर हैं ही, लेकिन अगर उसके और भी पदाधिकारी ले लें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्रश्न यह है कि ३० अप्रैल तक इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भंग कर देने में माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या कानूनी आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—कोई कानूनी आपत्ति का सवाल नहीं है। यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं यह जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रबन्ध में प्लानिंग कमेटी किस हैसियत से काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष—वह तो ऐडवाइजरी होगी, ऐसा उन्होंने कहा है।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी इतने प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक तो यह कि जो सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्लानिंग कमेटी में आज हैं उनके अतिरिक्त ५ लिये जायंगे या उनको मिला कर ? दूसरे यह कि ३० अप्रैल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को भंग करने में क्या आपत्ति है ? तीसरा प्रश्न राजनारायण जी का यह था कि जो पहले वादा किया था कि चुनाव मई में होगा वह वादा तो पूरा नहीं हो सका, तो बिल पास होने के बाद आगे के लिये कौन तारीख चुनाव की निश्चित होगी इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी कोई सूचना दे सकते हैं या नहीं ?

श्री राजनारायण—चौथा प्रश्न यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनाव में मौजूदा बोर्ड भाग न लें तो उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, वह सवाल तो खत्म हो गया।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक पहले सवाल का सम्बन्ध है, मैं तो समझता हूं कि बहुत ही स्पष्ट बात है। प्लानिंग कमेटी के जो मौजूदा सदस्य हैं उनके अलावा ५ सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और लिये जायंगे। तो जो आदमी आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नियोजन समिति में हैं वे तो रहेंगे ही, उनके अतिरिक्त ५ आदमी और लिये जायंगे।

दूसरा सवाल यह है कि आज ही इनको तोड़ दिया जाय। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को आज ही तोड़ दिया जाय यह असम्भव बात है। इस सवाल पर हर पहलू से गौर किया गया और यह नहीं हो सकता है। अन्य बातों को मैं छोड़ देता हूं लेकिन एक छोटी सी बात है। इन सब बातों के संबंध में और भी बातें हैं। कौंसिल में कुछ जगहें हैं, उनके लिये इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीख तय है। यदि इन बोर्ड्स को आज ही तोड़ दिया जायगा तो सारे का सारा इलेक्टोरल रोल गड़बड़ हो जायगा। इसलिये हम इकतरफा चीज नहीं कर सकते हैं। इसलिये मौजूदा बोर्ड्स रहेंगे और मेम्बर्स का जो हिस्सा है वह ले सकते हैं।

एक बात माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने कही, वह मेरी समझ में नहीं आई—सेलेक्ट कमेटी मुकर्रर करने की बात। जब बिल ही मौजूद नहीं है तो सेलेक्ट कमेटी कैसे मुकर्रर हो सकती है ? इसका तरीका मुझे तो मालूम नहीं है, शायद उनको मालूम हो।

एक सवाल और था वायदा तोड़ने का। वायदे की बात ऐसी होती है और व्यक्तिगत बात दूसरी होती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में बहुत सी बातों पर, हर पहलू से गौर करना पड़ता है। माननीय राजनारायण जी जो कुछ भी कहें उसका बहुत मूल्य है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि बहुत से माननीय सदस्य कोई बात कहें तो उस का ज्यादा मूल्य होता है। फिर जिस समय वादा किया गया था उस समय इन माननीय सदस्यों की बात का पता नहीं था। अब यह बताना कि नये चुनाव कब होंगे, असम्भव बात है। महीना भी नहीं बतला सकता हूं, साल भी नहीं बतला सकता हूं, इसलिये कि ऐसा करना माननीय सदन का अपमान करना होगा। यह हम कह सकते हैं कि जब जुलाई में सेशन होगा तो कारपोरेशन बिल पेश होगा। अब यह सदन उस पर कितना समय लगायेगा, उसको कौन कह सकता है ? और हम सदन को बांध नहीं सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य—इसके माने हैं सालों चुनाव नहीं होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, यदि माननीय सदन २० साल लेना चाहता है तो हमें कुछ अखतियार नहीं है। यह सदन की मर्जी के ऊपर है, वह चाहे तीन साल ले, चाहे तीन दिन ले।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८

सचिव विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ मार्च, १९५८, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ मार्च, १९५८, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ३० मार्च, १९५८, को प्राप्त हो गई और वह १९५८ का उत्तर प्रदेश का १३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Bill, 1958] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ४४१–४४२ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८ [U. P. Sales Tax (Validation) Bill, 1958] को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ४४३–४४५ पर)

विधान सभा की बैठक शनिवार, ५ अप्रैल, १९५८ को भी करने के संबंध में संकल्प

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती परन्तु कतिपय आवश्यक विधेयकों के शीघ्र अधिनियम बन जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये तथा उक्त उपनियम (२) को निलम्बित करते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार, दिनांक ५ अप्रैल, १९५८ को भी होगी।

मैं समझता हूं कि ज्यादा निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है और सदन ने सिद्धान्त रूप से इसको स्वीकार कर लिया है।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहूंगा कि श्रीमन्, उस दिन चुनाव है और सभी जानते हैं कि इसके पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी देखा होगा जब लेजिस्लेटिव कौंसिल का चुनाव हुआ था तो उस दिन सदन की कार्यवाही चल रही थी और उस दिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने निवेदन किया था कि आज लोगों का ध्यान चुनाव में है इसलिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय और मैं समझता हूं कि उस दिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। फिर वही चुनाव आ रहा है। श्रीमन्, आप इस बात को जानते हैं कि राजनीतिक दलों की क्या दशा हो रही है। मुझे दो दिन तक रात में नींद नहीं आई।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

मैं आप से ईमानदारी से कहता हूं कि हम डेढ़ लाख के प्रतिनिधि हैं तो जब हम भी बिकने लगते हैं तो दलगत राजनीति कहां रह गई है ? जब एक दल के माननीय सदस्य दल के मैंडेट को तोड़कर दूसरी जगह जा कर अपना वोट करते हैं तो फिर क्या राजनीति रह गई ? विचित्रनारायण जी शर्मा से हमारी बातचीत फोन पर डेढ़ घंटे तक होती रही जिसमें प्रदेश की राजनीति पर बातें चलीं। मेरा निवेदन यह है कि २ बजे तक जब तक चुनाव चले, बैठक न हो। चुनाव के बाद अगर वे चाहते हैं तो बैठ जायं। माननीय मुख्य मंत्री जी को जैसी और लोगों की सम्मति मालूम है वैसी ही हमारी सम्मति भी मालूम है किन्तु इस समय किसी परिस्थितिवश वह दूसरों की सम्मति के अनुगामी हो रहे हैं .....

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि क्या यहां पर एलेक्शन की बातें की जा सकती हैं ? वह तमाम माननीय सदस्यों पर यह लान्छन लगा रहे हैं कि किसी पार्टी का सदस्य रहते हुये उन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया।

श्री अध्यक्ष—आप उनके साथ इतनी हमदर्दी तो रखें। उन को २ दिन तक रात में नींद नहीं आई।

श्री राजनारायण—इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर २ बजे के बाद बैठक कर लें, यह उनके लिये ज्यादा लाभकर होगा। अगर मेरा यह सुझाव मान लिया जाय तो मैं इसको संशोधन के रूप में बाद को रख दूंगा। अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो फिर इसके बाद जो निश्चित होगा उसके मुताबिक हम अपना काम करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आज हमारे इस दल के कोई नेतागण उपस्थित नहीं हैं। तो क्या विरोधी दल के नेताओं से सहमति हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने किसी समय प्राप्त करने की कृपा की है कि शनिवार का दिन लिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसमें कुछ ज्यादा निवेदन नहीं करना है। जिस कठिनाई का माननीय राजनारायण जी ने जिक्र किया उसका परिहार तो यों हो जाता है कि यहां पर वोट सवेरे दिन के ८ बजे से हैं और सदन की बैठक ११ बजे से है। इस ३ घंटे के समय में अधिकांश माननीय सदस्य अपना वोट दे ही चुके होंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या हमारे नेतागण से इस सम्बन्ध में बातचीत कर ली गई है ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—मैंने और नेताओं से बातचीत कर ली है और उनकी स्वीकृति मुझे मिल गई है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती परन्तु कतिपय आवश्यक विधेयकों के शीघ्र अधिनियम बन जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये तथा उक्त उपनियम (२) को निलम्बित करते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार, दिनांक ५ अप्रैल, १९५८ को भी होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७*

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ [The U. P. Requisition of motor vehicles (Emergency Power) (Amendment) Bill, 1957] पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह एक कानून है जो सन् १९४७ से लागू है । इस कानून के मातहत सरकार को यह अधिकार है कि खास-खास हालतों में जो प्राइवेट मोटर वेहिकिल्स हैं उनको भी अपने अधिकार में ले लें और उनका इस्तेमाल करें, लेकिन चन्द साल हुए कि कांस्टीट्यूशन में दफा ३१ आ गयी । इस दफा में लिखा हुआ है कि किसी शख्स की जायदाद रिक्वीजीशन की जाय तो उसको उसका मुआवजा दिया जाय और उसका उसूल कानून में ही बना दिया जाय या उसकी मिकदार तय कर दी जाय । चुनान्चे इस संशोधन के हो जाने के बाद यह आवश्यकता हुई कि इस कानून में संशोधन करके इस बात का अहतमाम कर दिया जाय कि जो मोटरें इसके मातहत रिक्वीजीशन की जायंगी उनका क्या मुआवजा और किस निर्ख से दिया जायगा । यह एक बिलकुल साधारण कानून है और जैसा मैंने कहा, कांस्टीट्यूशन में चूंकि तरमीम हो गयी है इसलिये इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ी । इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इसको पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—(जिला कानपुर) मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । नियमावली का नियम ९५ इस प्रकार है:

"When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member incharge of the Bill may make one of the following motions in regard to his Bill, namely :

(*a*) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified, or.."

और आगे है कि:

"Proivded that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for three days before the motion is made, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह बिल १९-७-५७ को प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद सदन स्थगित हो चुका है । और उसके बाद सदन की दूसरी बैठकें हुईं और काम हुआ इसलिये हमको तीन दिन का मौका नहीं मिला और न इसकी कापी मिली है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको विचार के लिये अनुमति न प्रदान की जाय और इसको आप नियम विरुद्ध घोषित करके विचार के लिये मौका न दें ।

श्री अध्यक्ष—नियम में यह है कि ३ रोज पहले बिल की कापी मिलनी चाहिये । तीन रोज के बजाय आपको साल भर का मौका मिला तो भी आपको काफी नहीं मालूम हो रहा है, यह ताज्जुब की बात है । इसमें है कि कम से कम तीन रोज, तो इसका मतलब तीन रोज ही नहीं हैं । आप को तो एक साल से नोटिस मिल गया और इसकी वजह से यह अवैधानिक नहीं हो जाता उस पर विचार करने को प्रस्तुत करने के लिये । यह दूसरी बात है कि सहूलियत

*१९ जुलाई, १९५७ की कार्यवाही में छपा ।

[श्री अध्यक्ष]

के हिसाब से, एक दो दिन पहिले फिर से नोटिस दे देना चाहिये था। मुझे यह भी मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने २८ तारीख को यह कह दिया था कि वे तारीख ३ को मोटर वेहिकिल्स बिल ले लेंगे। तो इसलिये यह लिया गया और मैं इस वैधानिक आपत्ति को अस्वीकृत करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, इस विधेयक में सरकार की ओर से जो अधिकार लिये जा रहे हैं वह मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित हैं। मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के निरंकुश अधिकार सरकार के हाथ में देना, वह सोचे कि कहां तक उचित होगा। जो सूची इसमें दी गयी है और जो रेट मुकर्रर किये गये हैं मैं उनको बहुत अधिक समझता हूं और इसके अलावा इस में जनता की राय जानने के लिये भी कोई मौका नहीं दिया गया है। यह बिल अवश्य इस सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन सदन स्थगित हो चुका है उसके बाद, और दूसरी बैठकों में माननीय सदस्यों का ध्यान दूसरे बिलों और बजट आदि को पास करने में रहा और इस-लिये वे इस ओर अपना ध्यान नहीं दे सके। तो भी मेरी राय है कि जो रेट्स मुकर्रर किये गये हैं वह अनुचित हैं। जब तक हम मोटर मालिकों से जानकारी प्राप्त न कर लें तब तक हम संकोच में रहते हैं। मोटरों के हस्तगत करने व मुआवजा देने के कुछ नियम होने चाहिये ताकि हम यह देख सकें कि कहां तक वे मुनासिब हैं। ऐतराजात की सुनवाई के लिये भी मौका होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को जल्दी पास करने का विरोध करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं इस बिल का विरोध इसलिये करता हूं कि इससे सरकार के हाथ में ऐसा अस्त्र दिया जा रहा है जो संविधान की धारा १९ के विपरीत पड़ता है जिसमें वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। इस बिल से सरकार मोटर लेकर मोटरवालों का सामान ले जाकर पैसा कमाने का अधिकार छीन रही है। अगर सदन इसे पास भी कर देगा तो हाईकोर्ट में जाकर यह इनवैलिड होगा, जिससे सदन की प्रतिष्ठा में भी थोड़ी सी कमी आयेगी। दूसरे, यह केन्द्र का प्रश्न है और बगैर संविधान की धारा १९ को परिवर्तित किये यह विधेयक यहां नहीं लाया जा सकता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बिल पर विचार करने की स्वीकृत नहीं देंगे।

***श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में है "कि संविधान के अनुच्छेद ३१ के उपबन्धों को ध्यान में रख कर सरकार को परामर्श दिया गया है कि हस्तगत गाड़ियों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले मुआविजे के सिद्धांतों की अधिनियम में व्यवस्था करना अपेक्षित है, तदनुसार अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाता है।" सिर्फ इतना लिखा है। सदन के किसी माननीय सदस्य को ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये, माननीय रामस्वरूप जी वर्मा को सुनने के बाद, कि कहीं रामस्वरूप जी मुआविजा देने के पक्ष में हैं। उनके कथन में इतनी ही बात है कि किसी का जीवन निर्वाह करने का साधन न छीना जाय.....

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और आप अपने भाषण को सवा दो बजे जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जिस उद्देश्य और कारण को लेकर यह विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है उसमें संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने के संबंध में असाधारण अधिकार ऐक्ट, १९४७ की वर्तमान धारा ४ में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जब भी राज्य सरकार किसी भी मोटर गाड़ी को हस्तगत करे, मोटर मालिकों को ऐसा मुआविजा देगी, जिसको राज्य सरकार निर्धारित करे। अब राज्य सरकार के हाथ में इस विधेयक के जरिये यह अधिकार दिया जा रहा है कि माननीय मंत्री जी जिस ढंग से निश्चित करें उसके मुताबिक मुआविजा दिया जाय।

इस मुआविजे के बारे में, जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का संबंध है, उसने पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि किसी भी संपत्ति को हस्तगत करके मुआवजा देने के मूल सिद्धान्त को हम नहीं मानते। हमने जब जमींदारी अबोलीशन हुआ था, तब भी यह स्पष्ट कर दिया था कि जमींदारों को मुआविजा न दिया जाय और उसी तरह से जितनी भी संपत्ति सरकार इस रूप में ले, मुआविजा देना ठीक नहीं है। हां, इतना हम जरूर मानते हैं कि जिसकी रोजी का अपहरण हो, उसके लिये सरकार पुनर्वास की व्यवस्था अवश्य करे। चाहे वह खेती की व्यवस्था हो चाहे दूसरे उद्योग धंधों की व्यवस्था हो। अगर कोई अपना जीवन निर्वाह किसी कार्य से कर रहा है और सरकार उस साधन को अगर छीनती है तो सरकार के लिये यह जायज है कि उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करे।

अब सरकार ने अपने इस विधेयक में कहीं भी इस बात की गुंजायश नहीं की है कि किस तरह की गाड़ियों को वह लेगी। जो अपने सुख और ऐश्वर्य के लिये गाड़ियां रखते हैं, महज इधर उधर चहलकदमी करने के लिये, उन गाड़ियों को सरकार लेगी या उन लोगों की गाड़ियां लेगी जो कि सही मानों में उन गाड़ियों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर इसमें यह बात होती तो हमें उसके समझने में आसानी होती और हम यह कहते कि ऐशोइशरत के लिये जो गाड़ियां हैं, सरकार उनको ले ले और अगर राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिये सरकार को यदि ऐसी गाड़ियों की आवश्यकता हो तो सरकार उनको अवश्य ले ले। मगर जहां तक जीवन निर्वाह के साधन की बात है वहां पर सरकार को बहुत ही सफाई के साथ में रहना चाहिये और सरकार को बताना चाहिये कि उनकी गाड़ियों के लिये सरकार क्या मुआविजा देना चाहती है। बराबर सरकार असाधारण शक्ति अपने हाथ में ले लेती है और निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग होता है। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय चौधरी साहब भी यहां मौजूद हैं, क्योंकि जब मैं सिद्धान्त की बात करता हूं तो यह उचित समझता हूं कि चौधरी साहब जैसे लोग रहें क्योंकि वह समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक ही वाक्य में कह देते हैं कि कोई बात नहीं कही गयी, इसलिये उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। तो उस तरह की बात मैं ज्यादा नहीं कहता। मैं अब भी चाहता हूं कि इस पर विचार हो, इच्छा सबकी है कि देश सम्पन्न और सुखी हो, देश की गरीबी और बेकारी निर्मूल हो।

सरकार भी बराबर कहती है कि उसकी इच्छा है लेकिन बावजूद इस इच्छा के हो नहीं पा रहा है। मैं मूल प्रश्न को सामने रखता हूं कि जितने विधेयक आये हैं, सभी सदस्यगण और मंत्रिगण उस पर लागू करें कि क्या सरकार प्रबल होती चली जाय और जनता निर्बल होती चली जाय? यानी जनता के पास जितनी ताकत पहले थी वह ताकत भी धीरे-धीरे कानून बना कर, संशोधन करके छीन ली जाय और सरकार-सर्वशक्ति सम्पन्न हो जाय। तो ऐसी हालत में जम्हूरियत या जनतंत्र चल सकता है या नहीं, यह सीधा सवाल हमारा चौधरी साहब से है। मेरा यह कहना है कि हरिगज-हरगिज जनतंत्र नहीं चल पायेगा। इसीलिये कानून ऐसा बनाना चाहिये जिसमें किसी मंत्री का दिमाग अगर खराब हो, या उसके

[श्री राजनारायण]

किसी विभाग का दिमाग खराब हो और वह कोई तूफान बरपा करना चाहे तो वह कर ही न पावे और उसके निरंकुश होने का मौका ही न आ पावे। इसीलिये हम चाहते है कि जो जनतंत्र होगा, वहां शक्ति मर्यादित होगी। मर्यादा से बनी हुई शक्ति का विकेन्द्रीयकरण होगा और जब हम मूल प्रश्न को उठाते हैं तो सरकार की तरफ से व्यावहारिकता और कार्यकुशलता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और सरकार की ओर से ही नहीं, बल्कि मैं देखता हूं कि जो विरोधी पार्टियां शैशवावस्था में हैं, उनकी तरफ से भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि यह व्यावहारिक नहीं है, यह कार्यकुशलता नहीं है। जहां व्यवहार और सिद्धान्त में इतना बड़ा जमीन और आसमान का फर्क होगा, वहां निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और कुनबा-परस्ती फैलेगी। इसीलिये समाजवाद के मूल सिद्धान्त में यह बात मानी गयी है कि थ्योरी और प्रैक्टिस में इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिये, जो कथनी हो वही करनी होनी चाहिये। कथनी तो थ्योरी और प्रैक्टिस कार्यक्रम हो गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि १० वर्ष से, यानी सन् ४६ से कांग्रेस सरकार अनवरत चल रही है, १० साल पूरा मुकम्मिल बीत गया, ११ वां साल भी बीत गया, अगर गणतंत्र को माना जाय तो ८ वां, ९ वां साल चल रहा है और इतने साल के अनुभव और ज्ञान के बाद भी सरकार उस हैसियत को नहीं रखती है। तो वह निश्चित रूप से बतलाये कि वह इस विधेयक द्वारा क्या देना चाहती है और क्यों देना चाहती है ?

माननीय मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि भाई इसको आज ही पास करना है, इस पर मैंने कहा कि कहिये तो मैं बिलकुल बोलूं ही नहीं। तो इन शब्दों के साथ मैं उनसे निवेदन करता हूं कि डेफिनिटनेस जब तक नहीं आयेगी तब तक इसके बढ़ने की बराबर गुंजायश रहेगी और आगे चल कर भ्रष्टाचार की वही हालत हो जायगी। सरकार के हर विभाग में इस प्रकार की बातें होती चली जायेंगी। मंत्री लोग चाहें कितना ही कहें कि हम इस काम को कर रहे हैं या करना चाहते हैं मगर उनके जरिये वह काम पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि जब तक इसकी पूरी व्यवस्था न हो उस समय तक इस पर सदन में विचार न हो। सरकार को चाहिये कि वह एक डेफिनिट विधेयक निश्चित रूप से सदन के सामने लावे ताकि वह आगे चल कर सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

श्री सैयदअली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री राजनारायण जी की तकरीर को बड़े गौर से सुना और मैं उसके जवाब में यह अर्ज करना चाहता हूं कि शायद उन्होंने उस तरमीम को जो मैं आज पेश कर रहा हूं, गौर से नहीं पढ़ा वरना उनके तमाम शकूक जो पैदा हो रहे हैं वह रफा हो जाते। पहला सवाल उन्होंने यह उठाया कि मुमकिन है कि मोटर वेहिकिल्स को रिक्वीजिशन किया जाय तो कोई अधिकारी अपने ऐशोआराम के लिये या अपने और किसी काम के लिये रिक्वीजिशन कर लें। इसके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि जो पहले की दफा ३ है उसमें साफ-साफ वह कारण लिखे हैं कि जिनके लिये गाड़ियां रिक्वीजिशन हो सकती हैं और उसमें अंग्रेजी के अल्फाज इस तरह से हैं —

"If in the opinion of the State Government it is necessary or expedient to do so for purposes essential to the life of the community or for maintaining public order or for facility of public transport, it may pass an order in writing requisitioning any motor vehicle."

यह ३ शर्तें हैं जिन की बिना पर यह ली जा सकती हैं यानी 'फार परपजेज एसेन्शियल टु दि लाइफ आफ दि कम्यूनिटी' यानी जनता की जिन्दगी कि हिफाजत के लिये अगर जरूरी हो, जैसे कहीं बलवा वगैरह हो जाय और गाड़ियों की जरूरत हो जाय। 'मेनटेनिंग पब्लिक आर्डर' के लिये या तीसरी सूरत यह कि 'फार फेसिलिटी आफ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट' के लिये, एक दम कोई आफत आ जाय या बाढ़ आ जाय और लोगों को सेफ्टी की जगह पर ले जाने के लिये सवारियों की जरूरत हो, इस तरह की ३ सूरतों में मोटर गाड़ियां रिक्वीजिशन की जा सकती हैं।

इसी तरह से उनकी जो दूसरी शिकायत है उसमें भी ज्यादा अहमियत नहीं है। यह जो तरमीम आ रही है वह इसी गरज से आ रही है। पहले जो दफा थी उसमें यही अल्फाज थे कि जितना मुआविजा स्टेट गवर्नमेंट तय करे उतना ही दिया जाय.....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जब कोरम नहीं था तब सदन की कार्यवाही, श्रीमन्, कैसे चलती रही?

श्री उपाध्यक्ष—जब तक एतराज न किया जाय, तब तक कोरम तो माना ही जाता है और कार्यवाही चलती रहती है।

(कोरम पूरा होने पर)

श्री सैयद अली जहीर—जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, उन का जो दूसरा उज्र है उस की भी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि जो दफा पहली है उस में यह था कि—

"Whenever in pursuance of section 3 the State Government requisitions any motor vehicle the owner thereof shall be paid such compensation as the State Government may determine."

लेकिन चूंकि अब हमारे संविधान में दफा ३१ आ गई है लिहाजा इसकी जरूरत हुई कि वह उसूल निर्धारित किये जायं कि जिनके हिसाब से मुआवजा दिया जायगा, जिसके लिये २ शिड्यूल बढ़ाये जा रहे हैं और उनके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि पूरे पूरे फार्म में लिखा है कि किस हिसाब से मुआवजा रिक्वीजिशन के बाद दिया जायगा। लिहाजा यह बात भी साफ है और वह कोई एतराज ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इस पर विचार न किया जाय। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि यह मंजूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ [The U. P. Requisition of Motor Vehicles (Emergency Powers) (Amendment) Bill, 1957] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू०पी० ऐक्ट २७, १९४७ की धारा ४ का संशोधन।

२—संयुक्त प्रांत का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट सन् १९४७ की (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

मुआविजा

"जब कभी धारा ३ के अनुसरण में राज्य सरकार किसी मोटर गाड़ी को हस्तगत करे तो उसके मालिक को उक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन आज्ञा में उल्लिखित प्राधिकारी के कब्जे में गाड़ी आने अथवा उसके द्वारा गाड़ी अपहृत करने के दिनांक से उस दिनांक तक के लिये जब मोटर गाड़ी कब्जे से छोड़ दी जाय, अनुसूची में निर्दिष्ट (Provided in the schedule) तथा प्रवृत्त (as may be applicable) दर से मुआविजा दिया जायगा।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट २७, १९४७ में नयी धारा ४–क का बढ़ाया जाना ।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ४–क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"४–क जब धारा ३ के अधीन गाड़ी हस्तगत कर ली गई हो, तब ईंधन, स्नेहक (fuel and lubricant) आदि के कारण व्यय ।

(१) निम्नलिखित के संबंध में पल्ययों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायगा—

(क) ऐसे अस्थायी हस्तगतीकरण (requisition) के फल-स्वरूप गाड़ी के प्रयोग के संबंध में मार्ग कर (Road tax),

(ख) ऐसी गाड़ी के प्रचालन (propulsion) के निमित्त अपेक्षित ईंधन तथा स्नेहक (fuel and lubricant),

(ग) ऐसी दशा में जब गाड़ी कम्प्रिहेन्सिव बीमा पालिसी (Comprehensive Insurance Policy) द्वारा रक्षित न हो तब हस्तगत करने की अवधि में, किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप गाड़ी की टूट-फूट की मरम्मत, और

(२) निम्नलिखित के सम्बन्ध में परिव्ययों का भुगतान गाड़ी के मालिक द्वारा किया जायगा :—

(क) ड्राइवर तथा क्लीनर अथवा कंडक्टर का वेतन, तथा

(ख) गाड़ी को मार्ग पर चलने योग्य बनाये रखने के निमित्त उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये सामान्य मरम्मत :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मोटर साइकिल की दशा में ड्राइवर अथवा क्लीनर के सम्बन्ध में उपर्युक्त परिव्यय नहीं दिये जायेंगे :

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जब गाड़ी का मालिक उपर्युक्त परिव्यय देने से इंकार करे अथवा देने में असफल रहे तो राज्य सरकार उन्हें धारा ४ के अधीन मालिक को देय मुआविजे की धनराशि में से काट सकती है ।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

यू० पी० ऐक्ट २७, १९४७ में एक नयी अनुसूची का बढ़ाया जाना ।

४—मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची के रूप में बढ़ा दिया जाय :

अनुसूची

१—बसें (Buses)

	दर
१—२५ सीट से लेकर ३० सीट तक वाली (१५२' : १६१' ह्वील बेस)	२० रु० प्रति दिन
२—२९ सीट से लेकर ३२ सीट तक वाली (१७४' : ह्वील बेस) ..	२० रु० प्रति दिन
३—३४ और उससे अधिक सीट वाली (१९४' : ह्वील बेस) ..	३० रु० प्रति दिन

२—ट्रकें (Trucks)

४—३ टन वाली ट्रकें	..	..	..	२० रु० प्रति दिन
५—५ टन वाली ट्रकें	..	..	..	३० रु० प्रति दिन

३—कारें, जीपें, लैंडरोवर, पिक-अप तथा स्टेशन वैगन

६—कार ७—जीप ८—लैंड रोवर ९—पिक-अप १०—स्टेशन वैगन				२० रु० प्रति दिन

४—मोटर साइकिलें

११—मोटर साइकिलें	..	..	..	साइडकार से रहित ८ रु० प्रति दिन तथा साइडकार के सहित १० रु० प्रति दिन

५—ट्रेलरों सहित ट्रैक्टर

१२—ट्रेलरों सहित ट्रैक्टर	..	..	..	२० रु० प्रति दिन

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं शब्द 'अनुसूची' .....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है। क्या इसकी परिधि बढ़ाये बगैर यह इसमें जुड़ सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले उसको पेश तो कर लेने दीजिए तब एतराज करिए।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—खंड ४ में प्रस्तावित अनुसूची में शब्द 'अनुसूची' के ठीक नीचे शब्द "क–पेट्रोल से चलने वाली मोटर गाड़ियां" रख दिये जायं।

खंड ४ में प्रस्तावित अनुसूची के अन्त में निम्नलिखित भाग 'ख' के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"ख–डिजल तेल से चलने वाली मोटर गाड़ियां—डिजल तेल से चलने वाली मोटर गाड़ियों के लिये देय मुआविजा की दरें अनुसूची के भाग–क में निर्दिष्ट मोटर गाड़ियों के उन्हीं वर्गों पर लागू दरों से ३३ १/३ प्रतिशत अधिक होंगी।"

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्रसिंह विष्ट ने संशोधन जो पेश किया है वह मेरी अल्प बुद्धि में इस ऐक्ट के उद्देश्य और कारणों से बाहर जाता है। इसमें अगर आप तवज्जह देंगे तो पृष्ठ ४ पर उद्देश्य और कारण में दिया हुआ है—

"संयुक्त प्रांत का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट सन् १९४७ ई० की वर्तमान धारा ४ में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जब कभी राज्य सरकार किसी भी मोटर गाड़ी को हस्तगत करे तो उसके मालिक को ऐसा मुआविजा दिया जायगा जिसे राज्य सरकार निर्धारित करे। संविधान के अनुच्छेद ३१ के उपबन्धों को ध्यान में रखकर सरकार को परामर्श दिया गया है कि हस्तगत गाड़ियों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले मुआविजे के सिद्धातों की अधिनियम में व्यवस्था करना अपेक्षित है। तदनुसार अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।"

गरज यह है कि यह जो मंशा उद्देश्य और कारण में दिया है उससे अलग माननीय नरेन्द्र सिंह विष्ट जी का संशोधन कुछ टैक्स वगैरह से मतलब रखता है और डिजल गाड़ियों

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

वगैरह से ताल्लुक रखता है जो कि इस परिभाषा में कहीं भी उसके अन्तर्गत नहीं आतीं। और दूसरे यह भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है यह राज्यपाल महोदय की आज्ञा से किया गया है, ऐसा भी कहीं पर नहीं है। यह फाइनेंस बिल है और इसमें जरूरी है राज्यपाल महोदय की आज्ञा लेना। तो इन दोनों बातों की वजह से इस पर मुझे एतराज है।

श्री सैयद अली जहीर---इसमें तो जहां तक मैं समझता हूं बाद को अगर जरूरत होती है तो उनकी मंजूरी ले ली जाती है। पहले कोई जरूरत नहीं होती कि लिखा जाय कि उनकी मंजूरी हासिल कर ली गई है। जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है इसमें कोई चीज जो इसके आब-जेक्ट्स ऐंड रीजन्स हैं उसके खिलाफ नहीं पड़ती है। यह तो एक बात जो इसमें कमी रह गई थी उसके मुताल्लिक गालिबन यह तरमीम पेश की गई है। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो महज पेट्रोल से नहीं चलतीं बल्कि डीजल आयल से भी चलती हैं। अगर यह न होता तो एक ही निर्ख दोनों के लिये होता। तो इस बात का फर्क करने के लिये कि पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनको किस निर्ख से मुआविजा दिया जायगा और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को किस निर्ख से मुआविजा दिया जायगा, इसी गर्ज से यह तरमीम पेश की गई है।

जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है, जो माननीय नरेन्द्रसिंह बिष्ट जी ने पेश की है, मैं इसको मन्जूर करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---सारा बिल फाइनेंशियल बिल है .....

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है मुझे भी ठीक मालूम होता है। क्योंकि अनुसूची में मुआविजा देने की बात है, इसी सम्बन्ध में यह संशोधन भी है। उन्होंने दो क्लासि फिकेशन कर दिये, एक तो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां और दूसरी डीजल तेल से चलने वाली गाड़ियां। मुआविजा तो दोनों को दिया जायगा लेकिन इन दोनों में जो भेद होगा वह इस संशोधन द्वारा स्पष्ट हो जाता है, इस वास्ते यह नियमानुकूल है।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट---माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं अभी बतला दिया है कि इसमें सिर्फ इसीलिये जरूरत पड़ी कि डीजल आयल और पेट्रोल की गाड़ियों में कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं रखा गया था। इसके बिना रखे हुए यह अपूर्ण सा मालूम होता था क्योंकि डीजल आयल की कीमत में भी फर्क है और माल भी ज्यादा ढोती हैं। इसलिये इसका जोड़ा जाना नितांत आवश्यक था। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं, जैसा कि वर्तमान बिल है इसमें आगे आने वाली धाराऐं भी हैं, यह फाइनेंशियल बिल है .....

श्री उपाध्यक्ष---उसके बारे में मैं निर्णय दे चुका हूं। उसके विषय में आप कुछ न कहें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---आपने जो दिया है वह ३३ परसेंट ऊपर दे रहे हैं। तो क्या कोई फायनेन्शियल बिल बिना राज्यपाल महोदय की आज्ञा के पेश किया जा सकता है, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष---इससे पहले एक बिल पेश हो चुका है जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी आज्ञा दे दी। उस पर अब अमेंडमेंट करना है और मुआविजा निर्धारित करना है। इसमें कोई अर्थ सम्बन्धी मामला शामिल नहीं है जिसमें राज्यपाल महोदय की आज्ञा की आवश्यकता हो।

प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित अनुसूची में शब्द अनुसूची के ठीक नीचे शब्द "क—पेट्रोल से चलने वाली मोटर गाड़ियां" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित अनुसूची के अन्त में निम्नलिखित भाग 'ख' के रुप में बढ़ा दिया जाय—

"ख—डीजल तेल से चलने वाली मोटर गाड़ियां—डीजल तेल से चलने वाली मोटर गाड़ियों के लिये देय मुआवजा की दरें अनुसूची के भाग-क में निर्दिष्ट मोटर गाड़ियों के उन्हीं वर्गों पर लागू दरों से ३३.१/३ प्रतिशत अधिक होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना व खंड १

उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७

कुछ प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रान्त का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट सन् १९४७ ई० को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट २७, १९४७ ।

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संयुक्त प्रात का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का ऐक्ट सन् १९४७ ई० को संशोधित किया जाय,

यू०पी० ऐक्ट २७, १९४७ ।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में आसाधारण अधिकारों) का (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के संबंध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ [The U.P. Requisition of Motor Vehicles (Emergency Powers) (Amendment) Bill, 1957] पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो आदरणीय सदन के समक्ष बिल रखा है उसके सम्बन्ध में मुझे एक ही डर लगता है और वह यह कि मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में जो मेन मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट था उसमें कई संशोधन किये गये और सरकार ने जब चाहा तब उसमें अपना एक अमेंडमेंट लागू कर दिया

[श्री उग्रसेन]

और उनके अधिकारों को छीन लिया। इसलिये इस प्रवृत्ति का मैं विरोध करता हूं। जो गाड़ियां प्राइवेट आपरेटर्स चलाते रहे उन सड़कों के बारे में उनको निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं था, उसकी जानकारी उनको करानी चाहिये थी। जिन बसों के लिये परमिट्स दिये गये हैं और जो रूट्स उनको दिये गये हैं कब तक वे उन रूट्स पर चलती रहेंगी और कब वे गाड़ियां ले ली जायंगी---शेड्यूल के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, इसकी जानकारी कम से कम ट्रान्सपोर्ट विभाग को उनको करानी चाहिये। लेकिन जानकारी कोई नहीं करायी गयी और यह अमेंडमेंट ला कर उनके अधिकारों का व्यापक रूप से हरण किया गया। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय मंत्री जी अगर अपनी पालिसी पहले साफ कर दें इस सम्बन्ध में तो जो प्राइवेट मोटर आपरेटर्स हैं उनका कुछ भला हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सैयद अली जहीर---इसके मुताल्लिक मुझे जो कुछ कहना था वह पहले ही कह चुका हूं। कोई खास एतराज नहीं हुआ है। इसलिये मैं ज्यादा न कह कर इतना ही प्रस्ताव करूंगा कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का मोटर गाड़ियों को हस्तगत करने (के सम्बन्ध में असाधारण अधिकारों) का (संशोधन) विधेयक, १९५७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत)

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आज ही भेजा है, अभी इस पर विचार कैसे होगा, क्योंकि हमको अमेन्डमेन्ट देने का मौका भी नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप सुन लीजिये। अगर सरकार का संशोधन अध्यक्ष महोदय ने ले लिया, तो आपका अगर कोई संशोधन होगा तो वह ले लिया जायगा।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है कानूनी मशविरे के बिना पर। कोई उसूल की बात नहीं है और भूमि व्यवस्था अधिनियम में कोई सब्सटैन्शियल अमेंडमेंट करने का विचार नहीं है, केवल एक टैक्निकल अमेंडमेंट है। वैसे बहस तो हर चीज पर हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं इस पर कोई वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपको पावर्स हैं नियम ७२ या ७५ के अन्तर्गत कि बजाय इसके कि पुरःस्थापन के लिये दो दिन या तीन दिन का मौका दिया जाय, आप अपने उस अख्तियार तमीजी के मातहत यह मौका दे दें कि इस पर आज विचार किया जाय क्योंकि इसमें किसी के अधिकारों का अपहरण नहीं हो रहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के प्रति अपना आदर प्रकट करते हुए बड़े विनम्र शब्दों में एक दिशा की ओर आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ बहुमत के बल पर यहां पर सब कुछ कराया जाता है। जब पिछली बार हमारी बिजनेस कमेटी बैठी थी शनिवार को लेने के संबंध में तो उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं था कि इस प्रकार का कोई बिल आने वाला है, लेकिन हमको तो सरप्राइज से लेने की सरकार को आदत सी पड़ गयी है। कहा जाता है कि निर्दोष सा बिल है, लेकिन दुर्भाग्य से जनसंघ को तो उसकी एक प्रति भी नहीं मिल पायी है। हमने नोटिस आफिस

वालों से कह दिया है कि पीजंस होल्स में जो कापी रखी जाती हैं, वह मिलती नहीं हैं तो वह वहां न रख कर पार्टी आफिस में भेज दी जाया करें। तो इसकी तो एक कापी भी हमको मुहैया नहीं हुई है और यह भी मालूम नहीं कि उसमें क्या चीज है। यह आज कोई पहला मौका नहीं हैं, इसके पेश्तर भी कई मौके हो गये हैं और श्रीमन् को हाउस को एडजर्न करना पड़ा था, कि सरकार सरप्राइज सदन के ऊपर डाल देती है। आखिर जो लेजिस्लेशन हम पास करते हैं उनकी एक अहमियत होती है। जब कोई बिल यहां से पास हो जाता है तो कोर्टस् को उनको आबजर्व करना पड़ता है और एक एक कामा और एक-एक फुलस्टाप की गलती कोर्ट के डिसीजन में अन्तर ला सकती है। तो बिना उसका रूप देखे यह माननीय सदन कैसे इस पर कोई राय दे सकता है। यह तो, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहूंगा कि माननीय सदन का अपमान है और जैसा कि माननीय पालीवाल जी कहते हैं, कि संख्या सुर के बल पर सरकार इस विधेयक को पास कराना चाहती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इतनी जल्दी आया और उस पर विचार के लिये भी माननीय मन्त्रीजी ने इतनी जल्दी अनुमति मांगी कि मुझको ताज्जुब हो गया कि इस पर हम कैसे कोई राय इतनी जल्दी दे सकते हैं। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इसके उद्देश्य और कारण में वर्णित भाषा की ओर खींचना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि—"इसमें कुछ गड़बड़ियां बतायी गयी थीं कि जिसके कारण यह बिल लाना पड़ा"। यहां पर दो प्रश्न हैं। धारा ३२ और धारा ३३ के अधीन कुछ शुद्ध करना चाहते हैं। हम लोग जल्दी में उसको हस्तगत नहीं कर सके और यह समझ नहीं सके कि क्या अशुद्धि रह गयी थी और इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक दफा अगर अशुद्धि रह गयी और दूसरी दफा फिर रह जाय तो फिर हमलोगों के ऊपर यह एक लांछन सा होगा।

बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की बात तो अलग है। कभी-कभी तो यह सरकार उस कमेटी की दुहाई दे कर हम लोगों से समय ले लेती है फिर यह बिल उस कमेटी में क्यों नहीं गया?

एक और आपत्ति यह भी है कि इसमें उच्च न्यायालय के किसी फैसले की ओर भी इशारा किया गया है। तो वह फैसला भी हम लोगों के सामने नहीं है कि वह न्यायालय क्या चाहता है और उसका क्या फैसला था।

इन सब कारणों से हम अभी सही विचार इस पर नहीं कर सकते हैं भले ही यहां बैठे रहें और यह पारित हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विरोधी दलों से पहले कोई बातचीत हुई थी?

श्री चरणसिंह—बात तो नहीं हुई लेकिन शायद २७ तारीख को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कह दिया था कि ये दो छोटे बिल आयेंगे। लेकिन मैं तो आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझको कोई आपत्ति नहीं है, आज यह न लिया जाय और अगला सेल्स टैक्स अमेंडिंग बिल भी न लिया जाय। ये दोनों परसों ले लिये जायं। जहां तक मेरा खयाल है और कोई काम नहीं है, यही दो बिल हैं, तो ये परसों ले लिये जायं। और कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी के अधिकार छीने जायं या बहस का मौका न दिया जाय। यह तो सिर्फ सार्वजनिक हित की बजह से किया जा रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय रामस्वरूप वर्मा जी से मैं जानना चाहूंगा कि सम्भवतः उनकी पार्टी के नेता ने सुबह माननीय अध्यक्ष से यह कहा था कि उस दिन चुनाव होने वाले हैं इसलिये और कोई कार्यवाही उस दिन न हो तो अच्छा है। तो क्या वे इस बात के लिये तैयार हैं कि आज हम सदन को स्थगित कर दें और ५ तारीख को इन दोनों बिलों पर विचार हो? ऐसी हालत में जो उनके नेता ने निवेदन किया था उसके विरुद्ध पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस सम्बन्ध में तो यहां व्यवस्था हो चुकी है कि चूंकि चुनाव १ बजे से पहले खत्म हो जायगा और जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि २–३ घंटे में लोग

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

मतदान कर लेंगे तो उस दिन विचार हो सकता है । इतना और कह देना चाहता हूं कि जो इसमें किसी उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया है तो वह कौन उच्च न्यायालय है और उसका क्या फैसला है उसकी भी एक कापी हमें मिलनी चाहिये ।

श्री चरण सिंह—मैं उसे सदन की मेज पर रख दूंगा जिसका मतलब यह है कि एक प्रति आपके यहां भेज दूंगा, जो उसको देखना चाहें वे देख सकते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, दूसरे बिल में भी ऐसा इशारा है कि हाईकोर्ट के कुछ फैसले हुए हैं, नोटिफिकेशन्स हुए हैं और तीन दिन का समय भी डिस्कशन के लिये नहीं मिलता है ।

श्री उपाध्यक्ष—इस संबंध में भी जो कागजात होंगे वह भी हमारे यहां भेज दिये जायं । अब ५ तारीख को दोनों बिलों के बारे में कार्यवाही होगी । अब हम उठते हैं और ५ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन २ बजकर ५७ मिनट पर शनिवार, ५ अप्रैल, १९५८ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
३ अप्रैल, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४६ पर)

क्रम संख्या	नाम टेस्ट वर्क	धनराशि जो अगस्त, ५७ के तीसरे सप्ताह तक व्यय हो चुकी थी		
		रु०	आ०	पा०
१	जिउली गोडहरा	५२१	११	०
२	अहिरौली गोरहरा	४८०	१४	०
३	मार्टिन गंज ठेहना	६५५	५	०
४	घोसी दरगाह	१,९२५	९	०
५	लाटघाट रौनापार	१७३	१४	०
६	तहवरपुर रैंसिहपुर	३,०२०	१४	६
७	बरहद मार्टिनगंज	४३९	१२	०
८	नरसिंहपुर पल्हना	८७७	८	०
९	जहानागंज बाजार से जहानागंज रोड ..	२,९१३	६	०
१०	कम्हरिया बेलनाडीह	१,२१८	७	०
११	सूरजपुर से सूरजपुर बन्द	१,६६७	६	०
१२	मऊ खरसेना	१,९२९	५	०
१३	टिपबन्काबाद से बन्दकिला ..	५१७	९	०
१४	टडवा चौबेपुर	३०९	१४	०
१५	सुरैना से महाराजगंज	४१६	१२	०
१६	रौनापार से महाराजगंज	३७	११	०
	योग	१९,५९५	१३	६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४९ पर)

क्रम-संख्या	जिला गोरखपुर के ग्रामों के नाम जिनमें १ मई, १९५७ से ३० नवम्बर, १९५७ तक आग लगी	तादाद रुपया जो बतौर अहेतुक सहायता बांटा गया	तादाद रुपया जो बतौर तकावी बांटा गया
	तहसील बांस गांव		
१	कनइला ..	.. ..	५५५
२	गायघाट ..	.. २४	..
	तहसील सदर		
३	केवटालियां	.. ..	..
४	गोडवलिया	.. ..	..
	तहसील फरेंदा		
५	फुलमनहा तप्पा	.. ..	..
६	गोपालपुर महड़ा	.. ..	..
७	शाहाबाद ..	.. ..	..
८	मछलीगांव ..	.. ..	..
९	गौरा ..	.. ..	..
१०	भवैटिहा ..	.. ..	..
११	पोखरभिन्डा	.. ..	..
१२	व सन्तपुर तथा भारीवेसी	.. ..	१५५
१३	मानिकापुर	.. ..	२००
१४	पिपरा परसोनी	.. ..	..
१५	बैसार ..	.. ..	..
१६	सैल्दत उर्फ कौल्वह	.. ..	..
१७	झामर ..	.. ..	..
१८	पोखरभिन्डा तप्पा लेहड़ा	.. ..	..
१९	भिरहिरिया	.. ..	..
२०	बुलवा ..	.. ..	..
२१	खड़ खड़िया	.. ..	..
२२	छवौलीं ..	.. ..	..
२३	राम नगर ..	.. ..	..
२४	अवध नगर	.. ..	..
२५	महुअवा ..	.. ..	..
	तहसील महाराजगंज		
२६	खेदेचो ..	.. ..	६०
२७	सिसवा ..	.. ..	६०
२८	बसवार ..	.. ..	..
२९	गिराहिया ..	.. ..	६०

क्रम-संख्या	जिला गोरखपुर के ग्रामों के नाम जिनमें १ मई, १९५७ से ३० नवम्बर, १९५७ तक आग लगी	तादाद रुपया जो बतौर अहेतुक सहायता बांटा गया	तादाद रुपया जो बतौर तकावी बांटा गया
३०	रतनपुर ..	..	४५५
३१	बरवा विन्ध्यापत	..	७०
३२	जगल दुधई उफ चेहरी	..	२००
३३	खजुरिया ..	..	६८५
३४	सेमरा ..	..	२२५
३५	सेमरी ..	..	१००
३६	तरखापुर ..	..	६०
३७	परसाखुर्द ..	..	२००
३८	लक्ष्मीपुर एक डंगा	..	६०
३९	मवबलिया	..	..
४०	धर्मपुर ..	..	८०
४१	रामपुर चकिया	..	१००
४२	सद्धापुर ..	..	८०
४३	जखाऊर्द सिचहरी	..	..
४४	कम्हरिया ..	..	७०
४५	डिगही ..	..	..
४६	लखिया थरूवा	..	५२५
४७	इमिलिया ..	..	२९०
४८	रानीपुर	..	८०
४९	उसका ..	..	१९०
५०	पत्तरगवां ..	..	१,२२०
५१	रेहाव ..	..	६०
५२	मिश्रीलिया ..	..	..
५३	चैनपुर ..	..	१८५
५४	पिपरा बाजार	..	२००
५५	चेलराई ..	..	..
५६	जगल फरजन्द अली	..	४४०
५७	बेलवा उजरुग	..	६०
५८	मिरजापुर पकड़ी	..	६०
५९	पकड़ी नौनिया	..	७०
६०	बोलिपाराजा	..	६०
६१	थासपारा ..	..	६०
६२	डोमाखास ..	..	..
		२४	६,०७५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५२ पर)

नक्शा दर लगान सर्किल रेट तहसील ललितपुर, झांसी

नाम सर्किल	दर पतरी				दर सोंडा				दर मोटी मुस्तकिल नौ तोड़			
	रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना
कहयाना १	७	११	६	१३	..	..	..	..	..	..	..	..
कहयाना २	५	६	५	६	..	..	..	..	..	..	..	..
ग्योंडा १ आबी	६	१	५	६	४	११	३	११	४	११	४	१३	.. ..
खाकी	२	५	२	१	१	१५	१	८	२	५	३	२	.. ..
ग्योंडा २ आबी	५	२	४	१२	४	३	३	५	३	८	..	..	.. ..
खाकी	१	१४	१	१२	१	१२	१	६	१	१५	..	..	.. ..
तरेटा १ आबी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	४	६	.. ..
खाकी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	२	१०	.. ..
तरेटा २ आबी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	३	११	.. ..
खाकी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	१	१५	.. ..
मोटी १ + ...	१	१४	..	..	..	..	..	..	२	३	२	६	.. ..
मोटी १ —	१	१०	१	९	१	९	१	३	१	११	१	१२	१ ५
मोटी २ आबी	५	२	४	८	३	१४	३	०	४	३	..	..	.. ..
खाकी	१	६	१	६	१	६	१	१	१	८	१	२	१ १
सोंडा १	..	..	..	..	..	..	..	..	१	९	..	..	.. ..
सोंडा २	..	..	..	..	..	..	..	..	१	५	..	..	.. ..
बुमट १ आबी	४	११	४	२	३	८	२	११	३	१२	३	५	.. ..
खाकी	१	५	१	६	१	३	०	१५	१	४	१	३	० १४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| | | |

नक्शा दर लगान सर्किल रेट तहसील ललितपुर, झांसी

नाम सर्किल			मुस्तकिल		नौतोड़		मुस्तकिल		नौतोड़		दरकार मुस्तकिल		नौतोड़ मुस्तकिल		नौतोड़	
			रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना	रुपया	आना
खाकी	..	० १५	०	११	०	१३	०	१०	१	०	०	१३	०	१४	०	११
दुमट २ आबी	..	२ ३	..	..	२	०	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
खाकी	..	० १२	०	९	०	११	०	८	०	१४	०	११	०	१४	०	१०
पतरी १ आबी	..	.. ..	..	..	१	११	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
खाकी	..	० १०	०	७	०	१०	०	७	०	१२	०	८	०	१३	०	८
पतरी २ आबी	..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
खाकी	..	० ८	०	५	०	८	०	५	०	९	०	६	०	८	०	७
पतरी ३ ..	..	० ४	०	३	..	..	..	..	०	७	०	५	०	५	०	५
तरी १ ..	..	२ ३	..	..	१	१५	..	..	२	६	..	..	..	..	..	..
तरी २ ..	..	१ ११	..	..	१	६	..	..	१	११	..	..	१	५	..	..
कछार ..	..	.. ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

२ मार्च, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों के दौरे के संबंध में वास्तविक खर्च पर सरकारी व्यय का ब्योरा

	रुपया
१—मंत्री	९७,३४५.३५
२—उपमंत्री	१३,३१९.१५
३—सभासचिव	१७,३१२.५९
४—भूतपूर्व उपमंत्री और सभासचिव	१,१७३.५५
योग ..	१,३०,१५०.६४

१०—जज

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६० पर)

सूची

१--उसका से मेंहदावल सड़क .. .. तहसील नवगढ़

२--चित्तापुर बांध .. .. तहसील नवगढ़

३--गोवर्धनपुर .. .. तहसील नवगढ़

४--करमैनी से डुमरिया बांध .. .. .. तहसील खलीलाबाद

५--उसका से मेंहदावल सड़क (सड़क पूर्ण हो जाने के कारण कार्य बंद कर दिया गया) .. .. तहसील खलीलाबाद

६--डुहिया से बरपरवा बांध .. .. .. तहसील खलीलाबाद

७--झिरझिरवा से पोखरा सड़क (कार्य सड़क पूरी होने के कारण बंद हो गया) .. .. तहसील बस्ती

८--आचला से सौनहा सड़क .. .. .. तहसील बस्ती

९--कप्तानगंज से पोखरा सड़क (सड़क पूरी होने के कारण कार्य बंद कर दिया गया) .. .. .. तहसील हर्रैया

१०--विशेषरगंज से सांडपुर सड़क .. .. तहसील हर्रैया

११--पनघटिया से बांसी बांध .. .. .. तहसील बांसी

१२--डुमरियागंज से बांसी सड़क .. .. तहसील डुमरियागंज

१३--खन्डसरी से इटवा सड़क .. .. .. तहसील डुमरियागंज

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६४ पर)

No. 1413/VII-d, dated May 28, 1957.

FROM

THE COLLECTOR,
GHAZIPUR,

TO

THE COMMISSIONER,
VARANASI DIVISION,
VARANASI.

Subject : **Preliminary report regarding damage caused to Rabi crop due to hailstorm, untimely rains, westerly winds and rust in 1364 fasli.**

SIR,

I have the honour to submit herewith the preliminary report under paragraph 174 of the Revenue Manual in the light of the G. O. no. 1475/ ST/IS—1116(ST)-1957, dated May 4, 1957 regarding the damage caused to Rabi crops in this district by hailstorm, untimely rains, westerly winds and rust.

2. Rabi sowing was considerably delayed this year owing to over-saturation of the land by the last floods. Wherever sowing could be done in time, the seed was damaged by the rains on October 31, and November 1, 1956. A large area had to be resown and about 15,000 acres remained unsown.

3. Germination of seed was fairly good in most areas in spite of these adverse conditions and it appeared at one time that the crop would be good. But thereafter weather conditions did not remain favourable. Repeated rains caused damage to the crop. The district was also visited by hail-storm on three occasions, viz. on January 8/9, January 28 and March 5, 1957. The last hailstorm was the severest and caused considerable damage. It affected 657 villages and 17,000 acres of the crop. In some areas the loss is nominal but in other places the crop was almost totally destroyed.

4. Besides the hailstorm, chilly westerly winds blew for about a week in the end of January, 1957 and severely affected the crop. Due to these repeated rains, hailstorm and adverse weather conditions, wheat, barley and also crops suffered from rust. In many places the crop appeared to be apparently very good but the grain was found shrivelled and very poor in weight. The crops of peas and Masoor were also seriously damaged. The damage to the Rabi crops has, therefore, been very serious. Besides, the successive calamities have reduced the paying capacity of the cultivators so much that realization of a large amount of Government dues during the current *fasal* or in future is impossible. Therefore, large amounts will have to be remitted.

5. Detailed relief statements are under preparation and proposals for remission will be submitted shortly. Meanwhile I have to request you to suspend recovery of an amount of Rs. 7,68,498.34 on account of land revenue relating to 2,300 villages in this district till detailed proposals are submitted to you.

Yours faithfully,

Enclosure—Statement.

(Sd.) K. P. SINGH, I.A.S.
Collector.

No. 1413(i)/of date

COPY forwarded to the Land Reforms Commissioner, U. P., Section 4, Lucknow.

(Sd.) K. P. SINGH, I.A.S.,
Collector.

No. 1413(ii)/of date

COPY also forwarded to the Secretary to Government, U. P., Scarcity Department, Lucknow.

(Sd.) K. P. SINGH, I.A.S.,
Collector.

PRELIMINARY STATEMENT SHOWING LOSS DUE TO HAILSTORM, WESTERLY WIND AND UNTIMELY RAINS TO THE RABI CROP IN 1364 F.

Tahsil	Number of villages affected	Total area of rabi crop in acres	Area affected in acres	Number of villages sustaining loss					Total I. R. of Rabi	Remission proposed
				-6- to less than -8-.	-8- to less than-10-	-10- to less than-12-	-12- to less than 1-	Total loss		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ghazipur ..	484	63,830	34,331	62	340	82	..	484	2,86,030 9 0	1,09,893 12 0
Saidpur ..	907	81,165	60,537	113	67	416	311	907	4,11,377 13 0	2,95,228 0 0
Zamania ..	293	1,08,314	56,605	166	48	..	79	293	2,63,493 9 3	1,16,779 8 6
Mohamdabad ..	616	73,201	54,301	8	54	85	409	616	2,72,594 1 0	2,46,597 1 0
District Ghazipur	2,300	3,26,510	2,05,774	349	509	583	859	2,300	12,34,096 0 3	7,68,498 5 6

Sd. (ILLEGIBILE),
For *Collecter*,
Ghazipur.

अभिलेखागार

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे ३६५ पर)

नाम जिला	नाम टेस्ट वर्क	औसत दैनिक उपस्थिति	विशेष कथन
बस्ती ..	१—विशेसर गंज से सांडपुर सड़क ..	७००	
	२—इटवा से खांडसारी सड़क ..	१०००	
	३—जइला से सोनहा	१५०	
गोरखपुर ..	४—कौडिया शेरपुर चमरहा सड़क ..	..	
	५—मोटी हरपुर सड़क ..	१६०	
	६—कटघर सत्याभार सड़क ..	६०	
	७—परताबल पनियरा सड़क ..	१६०	
	८—मखनहा अकटंहवा बांध ..	६०	
	९—वन्दरिया बर्राह सड़क ..	२००	
	१०—निचलौल बहुआर सड़क ..	..	
	११—खड़खडिया सोनडरा बुजुर्ग सड़क ..	३५०	
आजमगढ़ ..	१२—मझवारा मधुबन		
	१३—अलीनगर मुहम्मदपुर		
	१४—काशा बुढवा गोदाम		
	१५—गल्हना मीरा लालगंज		
	१६—यहिरौली गांरहरा ..		
	१७—निजामाबाद		
	१८—कप्तान गंज गौरहरइया ..		६० से ४०० तक
	१९—पवई मित्तपुर		
	२०—अजमतगढ़ अमुवारी ..		
	२१—रासेपुर तितरा		
	२२—जहानागंज जिगारसंडी ..		
	२३—करहा जहानागंज		
	२४—अतरौलिया खजुरी रोड		
	२५—कायेलसा खजुरी रोड		
	२६—बिलरियागंज रौनापार		
	२७—मझनापार लाटघाट		
	२८—ऊंची गोदाम तवारा		

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड करहल, जिला मैनपुरी में खुलने की तिथि २ अक्तूबर, १६५६ से ३१ जनवरी, १६५८ तक जनहितकार्य तथा जगहें जहां पर वे सम्पन्न हुए उन पर किये गये सरकारी व्यय का ब्योरा

क्रम संख्या	नाम ग्राम		विकास कार्य	संख्या	व्यय (रुपये)
१	२		३	४	५
१	अहलादपुर	..	नवीन कुआं	१	१२५
२	सिगपरा	..	,,	१	६५
३	नगला खुर्द	..	,,	२	१३४
४	बहादुरपुर	..	,,	१	११२
५	नगला तोरका	..	,,	१	२२०
६	बुरामई	..	,,	१	२५०
७	रानीपुर	..	,,	१	१००
८	भूसूपुर	..	,,	१	१६५
६	निनौली	..	,,	१	२४२
	योग	..			१,४४३
१०	तखरऊ	..	सुवार कुआं	१	४५
११	कुतबपुर नसीरपुर	..	,,	३	१८६
१२	पीपार	..	,,	१	५०
१३	अनूपपूर	..	,,	१	६०
१४	दादूपुर	..	,,	३	३५५
१५	ऊधा	..	,,	१	४५
१६	सोज	..	,,	१	५८
१७	टिकरई	..	,,	१	६६
१८	कनकनपुर	..	,,	१	६०
१६	नगला आनन्द	..	,,	१	६०
२०	सिहपुर	..	,,	१	८०
२१	कुरी	..	,,	१	५८
२२	अहलादपुर	..	,,	२	२१२
२३	विनायकपुर	..	,,	१	७०
२४	नगलाप्रति	..	,,	१	४५
२५	कमलपुर	..	,,	१	११५
२६	सरिया	..	,,	१	१२०
२७	नगला दयाल	..	,,	१	३६
२८	सिमरक्त	..	,,	१	५०
२६	नगला गढ़िया	..	,,	१	५८
	योग	..			१,८३२

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	विकास कार्य	संख्या	व्यय (रुपये)
१	२	३	४	५
३०	टीकरहार	.. निर्माण कुआं	१	१४५
३१	लक्ष्मीपुर	.. ,,	१	२४५
३२	मसीरपुर	.. ,,	१	२००
३३	कुतुबपुर मसीदपुर	.. ,,	१	१५०
३४	ऊपा	.. ,,	१	२५०
३५	सहन	.. ,,	१	१६०
३६	रमपुरा	.. ,,	१	१००
३७	बोझी	.. ,,	१	१००
	योग	..		१,३५०
३८	किरथुआ	.. निर्माण स्कूल	१	३३०
३९	लखरऊ	.. ,,	१	२००
४०	पतारा	.. ,,	२	७१२
४१	कुर्री	.. ,,	१	५७४
४२	सौज	.. ,,	१	५००
	योग	..		२,३१६
४३	चंदपुरा	.. पुलिया	२	३०४
४४	बासक	.. ,,	२	२०५
४५	सिमरऊ	.. ,,	१	७०
४६	सिहपुरा	.. ,,	१	१६०
४७	पतारा	.. ,,	१	१३०
४८	मटुआ	.. ..	२	३९०
४९	गोपालपुर	.. ,,	१	१७५
५०	गम्भीरा	.. ,,	२	२९३
५१	मशुपुर	.. ,,	१	१७५
५२	लखरऊ	.. ,,	३	२८८
५३	पृथवीपुर	.. ,,	३	३०४
५४	कुर्री	.. ,,	२	२६०
५५	लक्ष्मीपुर	.. ,,	३	१५२
५६	मीठेपुर	.. ,,	१	५८
५७	उदनाटांडा	.. ,,	१	५८
५८	पिलुआहर	.. ,,	१	५९
५९	नगला शेखन	.. ,,	१	५८
६०	अहलादपुर	.. ,,	२	१४५
६१	सिहपुर	.. ,,	१	५९
६२	भारी	.. ,,	१	५८
६३	मढ़ापुर	.. ,,	१	५८
६४	कुतुबपुर बुर्ज	.. ..	१	५८

क्र० सं०	नाम ग्राम		विकास कार्य	संख्या	व्यय (रुपये)
१	२		३	४	५
			पुलिया		
६५	नायकपुर	..	,,	१	५८
६६	कमलपुर	..	,,	१	५८
६७	सोज	..	,,	१	५८
६८	सहस	..	,,	१	५९
६९	टिमरक	..	,,	१	५८
		योग ..	,,	,,	३,८०८
७०	मोहनपुर	..	निर्माण स्नानागार गार खरचा	१	७५
७१	तखरऊ	..	,,	१	१५०
७२	किरथुआ	..	,,	१	११४
		योग ..	,,	,	२६४
७३	मोहनपुर	..	माली		४०
७४	बिजयपुरा	..			६०
		योग ..	,,	,,	१००
७५	करहल	..	नेत्र चिकित्सा शिविर	१	५००
७६	नगला जाहर	..	सिंचाई कुआं	१	५००
७७	अहलादपुर	..	,,	२	८५०
७८	सउसई मासूमपुर	..	,,	१	५००
७९	तखरऊ	..	,,	१	५००
८०	ओन्हा	..	,,	१	५००
८१	मोहब्बतपुर	..	,,	१	४००
८२	विनायकपुर	..	,,	१	५००
८३	पिरारी	..	,,	१	५००
८४	विनायकपुर	..	रहट	२	५००
८५	मोहब्बतपुर	..	,,	१	२५०
		योग ..			५,०००
८६	पिरारी	..	ग्राम पुस्तकालय	१	२५

क्र०सं०	नाम ग्राम		विकास कार्य	संख्या	व्यय (रुपये)
१	२		३	४	५
८७	भवानीपुर	..	महिला पाठशाला	१	१२५
८८	सुल्तानपुर	..	,,	१	१२५
	योग	..			२५०
८९	करहल	..	प्रौढ़ अध्यापक शिविर	१	९५
९०	कमलपुर	..	औषधि		१४०
९१	चन्दपुरा	..	,,		१४०
९२	अहलादपुर	..	,,		१४०
९३	मोहब्बतपुर	..	,,		१४०
९४	अतराजपुर	..	,,		१४०
९५	कुर्रा	..	,,		१४०
९६	पतारा	..	,,		१४०
९७	सहन	..	,,		१४०
९८	ठुड़गांव	..	,,		१४०
९९	किरयुआ	..	,,		१४०
	योग	..			१,४००
१००	पिरारी	..	प्रौढ़ पाठशाला	१	१२५
१०१	गोपालपुर	..	,,	१	१२५
१०२	अमसीरपुर	..	,,	१	१२५
१०३	उझियाना	..	,,	१	१२५
१०४	नसीरपुर	..	,,	१	१२५
१०५	साज	..	,,	१	१२५
१०६	घूसूपुर	..	,,	१	१२५
१०७	सरसई मासूमपुर	..	,,	१	१२५
१०८	खलरऊ	..	,,	१	१२५
१०९	मेढ़गाव	..	,,	१	१२५
११०	भूरेंपुर	..	,,	१	४५
१११	मीठपुर	..	,,	१	४५
११२	हरेर	..	,,	१	९८
	योग	..			१,४३८
११३	सौज	..	शिशु पार्क हेतु	१	२५०
११४	कमलपुर	..	,,	१	२५०
११५	किरपुआ	..	,,	१	२५०
११६	नगला मदारी	..	,,	१	२५०
	योग	..			१,०००

क्र०सं०	नाम ग्राम	संख्या		व्यय (रुपये)
१	२	३	४	५
११७	अहलादपुरनल	पुस्तकालय	१०	४००
११८	कमलपुर	.. खेलने हेतु सामान		२०
११९	अहलादपुर	.. ,,		२०
१२०	किरतुआ	.. ,,	२०	२०
१२१	मोहब्बतपुर	.. ,,		२०
	योग	..		८०
१२२	राजकीय सिंचाई कार्य	..		९०
	कुल योग	..		२१,४६६

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

तालिका 'क'

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, हसनपुर, जिला मुरादाबाद में उसके खुलने की तिथि २ अक्तूबर, १९५६ से ३१ जनवरी, १९५८ तक किये गये विकास कार्यों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम विकास कार्य	संख्या
१	बीज वितरण	६,९८८ मन
२	खाद वितरण	७,८७५ मन
३	राजकीय नलकूप	२६
४	व्यक्तिगत नलकूप	३
५	पम्पिंग सेट	६
६	नये कुएं बने	८८
७	कुओं का सुधार किया	४०
८	बोरिंग	४८
९	रहट	४२
१०	खाद के गड्ढे बनाए गये	३२४
११	कूप निर्माण	१६
१२	कूप मरम्मत	५८
१३	नल	५२
१४	खरंजा जो बनाया गया	१,१२४ गज
१५	नाली जो बनाई गई	२,४३९ गज
१६	कच्ची सड़क निर्माण	१ मी० २ फ०
१७	कच्ची सड़क मरम्मत	११मी०१फ०१२४गज
१८	लालटेन जो लगाई गई	९०
१९	रोशनदान	९५
२०	उन्नतिशील सांड छांटगये	४
२१	पंचायतघर	१
२२	कृषि यन्त्र वितरित किये गये	१०१
२३	नहाने के चबूतरे	४२
२४	किसान मेला	४
२५	नये उद्यान लगाये गये	९४
२६	प्रारम्भिक पाठशालाएं	२४
२७	जूनियर हाई स्कूल	३
२८	सामुदायिक केन्द्र	७
२९	वाचनालय	११
३०	शिक्षण शिविर	४
३१	समाज शिक्षा केन्द्र	१
३२	सामुदायिक श्रवणयंत्र	१९
३३	नाटक मंडलियां	२

क्रम-संख्या	नाम विकास कार्य	संख्या
३४	भजन कीर्तन	९८१
३५	प्रदर्शनियां	१२
३६	पशु चिकित्सालय	१
३७	पशु औषधि पेटिकायें वितरित की गईं	१०
३८	आई० पी० तथा एच० पी० टीके	९,९२४
३९	पक्षियों के टीके लगाए गये	७६५
४०	पशु शव उपयोग एंव चर्म शोधन (सहकारी समिति) ..	१
४१	पशु प्रदर्शनी	१०
४२	औषधि पेटिकाएं बांटी गई	४३

नोट:—उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त सिंचाई के लिये ऋण भी दिया गया ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७० पर)

११ वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १०६, १०७ तथा १०८ के उत्तर में प्रस्तुत सूचना

इस समय प्रदेश में पर्यटक ब्यूरो, पर्यटक सब ब्यूरो तथा स्वागत केन्द्र इस प्रकार हैं :—

पर्यटक ब्यूरो

१—नैनीताल
२—हरिद्वार
३—वाराणसी
४—आगरा

पर्यटक सब ब्यूरो

१—देहरादून
२—मथुरा
३—लखनऊ
४—फैजाबाद
५—गोरखपुर
६—कोटद्वारा (गढ़वाल)
७—रानीखत

स्वागत केन्द्र

१—बलरामपुर (गोंडा)
२—अल्मोड़ा
३—चित्रकूट (बांदा)
४—काठगोदाम
५—ऋषिकेश
६—श्रीनगर (गढ़वाल)

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७० पर)

आय और व्यय का लेखा इस प्रकार है:—

स्थान का नाम	व्यय (रुपयों में) १९५६–५७	व्यय (रुपयों में) १९५७–५८ (३१–१–५८ तक)	आय (रुपयों में) १९५६–५७	आय (रुपयों में) १९५७–५८
नैनीताल ..	३८,७४५	३०,८२७	..	..
आगरा ..	२,३३२	७,७०८	..	..
हरद्वार ..	३,३५०	६,८५३	..	..
वाराणसी ..	३,६९१	१३,४६६	..	९४८.५० (मोटर बोट से)
देहरादून ..	१,२८२	६,९३१	..	..
मथुरा ..	१,५६१	४,८३३	..	..
लखनऊ ..	१,७१४	३,५७८	..	११.५० (किताबों से)
फैजाबाद ..	१,२४६	३,१३७	..	..
गोरखपुर ..	१,६४७	३,९७५	..	..
कोटद्वारा (गढ़वाल) ..	१,६५४	४,४०१	..	..
बलरामपुर (गोंडा) ..	६७१	२,५३०	..	..
चित्रकूट (बांदा) ..	१,१००	२,७२८	..	..
ऊपर लिखे ब्यूरों का सामान	३,१६०	..	..	..
मुख्य कार्यालय से पर्यटकों को किराये पर दिये गये वस्तुओं से आय ..	..	..	२८.३१	१४५.१८
योग ..	६२,१५३	९०,९६७	२८.३१	१,१०५.१८

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७० पर)

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन कोई भी पर्यटन ब्यूरो आदि नहीं खोला गया। नैनीताल में पर्यटन ब्यूरो और इसके अधीन स्वागत केन्द्र (अल्मोड़ा, काठगोदाम, मुनी की रेती, कोटद्वारा, रानीखेत) में १९४५ ई० में खोले गये थे। द्वितीय पंचवर्षीय काल में पुनर्संगठन (Reorganization) के बाद रानी खेत में पर्यटक सब ब्यूरो कर दिया गया और मुनी की रेती का स्वागत केन्द्र ऋषिकेश तथा कोटद्वारा का स्वागत केन्द्र श्रीनगर हटा दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९५६-५७ में आगरा, हरिद्वार, वाराणसी, देहरादून, मथुरा, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, कोटद्वार, बलरामपुर तथा चित्रकूट में केन्द्र खोले गये हैं।

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७३ पर)

अभाव ग्रस्त क्षेत्रों को तात्कालिक सहायता देने के निमित्त परामर्शदात्री समिति की दिनांक १७ व १८, सितम्बर १९५७ की बैठक में की गई सिफारिशें

१---सरकार बीज के लिये तकावी उदारतापूर्वक वितरित कराये और किसान तकावी के रूप में दी गई धनराशि में से बीजों के लिये व्यवस्था ऐसे साधनों से कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

२---इन ९ जिलों में इन्टरमीडियेट कक्षाओं तक पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों को अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, १९५७ के तीन महीनों की अवधि के लिये शिक्षा शुल्क में रियायत दी जाय और गत वर्ष जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था उसी का इस वर्ष भी पालन किया जाय। यह भी निश्चय किया गया कि इन जिलों को उपर्युक्त धनराशि तुरन्त दे दी जाय जिससे कि विद्यालयों को उक्त रियायत से हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने में कोई विलम्ब न हो सके।

३---यह निश्चय किया गया कि विश्वविद्यालयों में डिग्री कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को रियायत देने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाय।

४---यह निश्चय किया गया कि सस्ते गल्ले की दूकानें जहां आवश्यक हो तथा जहां मांग हो, खोली जाय और जहां आवश्यकता हो उन्हें चालू रक्खा जाय। परन्तु उन्हें बन्द भी किया जा सकता है यदि जिलाधीश की राय में उनकी कोई जरूरत नहीं है।

५---निस्सहाय, निर्धन तथा अपाहिजों को निःशुल्क राशन वितरण की योजना १५ अक्तूबर, १९५७ तक जारी रक्खी जाय।

६---कोयले के कोटे के लिये जौनपुर जिले को भी सम्मिलित कर लिया जाय।

७---श्री जी० सी० लाल, संयुक्त सचिव, नियोजन विभाग से प्रार्थना की जाय कि वह रेलवे अधिकारियों से रेल के डिब्बों के रिजर्व करने के सम्बन्ध में बातचीत करें।

८---टेस्ट वर्क्स पर की जाने वाली मजदूरी की दरों के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

९---कर्घा पर काम करने वाले बुनकरों को अनिवार्यतः सोसाइटीज के माल पर दो आना प्रति रुपया की रिबेट बढ़ाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार या आल इन्डिया हैन्ड लूम सोसाईटी को लिखने की आवश्यकता नहीं है।

१०---इस वर्ष गत वर्ष की भांति कम्बल आदि का प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है।

११---सूत की कताई पर दो आने प्रति रुपया सहायता देने के प्रश्न पर उद्योग विभाग विचार करे।

१२---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जायं।

१३---टांडा पम्प कैनाल, धोरी पम्प कैनाल तथा शारदा पम्प कैनाल पर कार्य तेजी से कराया जाय।

१४---रबी १३६४ फसली का बकाया लगान निलम्बित न किया जाय।

१५---इन जिलों में जहां भी तकावी के देय धन की वसूली हो रही हो, शीघ्र स्थगित की जाय और इस सम्बन्ध में जिलाधीशों को दिये गये अधिकार हटा लिये जायं।

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

रोडवेज बस स्टेशनों पर कैन्टीनों की सूची

१--आगरा क्षेत्र	..	आगरा, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, सैदाबाद, अकराबाद, सासनी, हाथरस, सिकन्दराराऊ, बुलन्दशहर, इगलास, मथुरा, राया, फराह, कोसी, कासगंज, शिकोहाबाद, मैनपुरी अलीगढ़, एटा।
२--इलाहाबाद क्षेत्र	..	जीरो रोड, इलाहाबाद बस स्टेशन, मिर्जापुर, बादशाहपुर।
३--बरेली क्षेत्र	..	बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं।
४--गोरखपुर क्षेत्र	..	गोरखपुर, बलिया, अकबरपुर।
५--कानपुर क्षेत्र	..	कानपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद।
६--लखनऊ क्षेत्र	..	चारबाग, उन्नाव, कैसरबाग, कानपुर, रायबरेली, सीतापुर।
७--मेरठ क्षेत्र	..	नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, रुड़की, सहारनपुर।

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४५ तथा १४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर)

तालिका 'क'

जिला कानपुर में स्थित अमरोधा सघन विकास खण्ड में उसके खुलने की तिथि २ अक्तूबर, १९५४ से ३० नवम्बर, १९५७ तक हुये विभिन्न विकास कार्यों का विवरण

क्र०सं०	विकास कार्य का नाम	संख्या
१	पुलिया	९२
२	स्कूल एवं पंचायत घर	१७
३	कूप मरम्मत	२३
४	खड़ञ्जा	४
५	कूप निर्माण	१
६	स्कूल भवन निर्माण	१
७	हैन्ड पम्प	२
८	छात्रावास	१
९	कला केन्द्र	१
१०	प्राइमरी स्कूल	१
११	पुस्तकालय एवं वाचनालय	१
१२	बीज भन्डार	१
१३	सड़क निर्माण (नौनापुर)	१
१४	,, ,, (पिपरी)	१
१५	पुल निर्माण	२
१६	काष्ठ कला और सिलाई कला के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र ..	२

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों के लिये ऋण भी दिया गया:—

१—भूमि संरक्षण के लिये

२—कृषि यंत्र क्रय हेतु

३—चरागाह बनाने हेतु

४—दुग्ध पशुक्रय हेतु

५—बीज व खाद क्रम हेतु

६—ट्रैक्टर क्रय हेतु

७—ऊन उद्योग के लिये

८—गृह-उद्योग के लिये

९—चर्म-उद्योग के लिये

१०—भूमि सुधार के लिये

११—सिंचाई हेतु पम्पिंग सेट, रहट आदि के क्रय के लिये

तालिका 'ख'

जिला कानपुर में स्थित घाटमपुर सघन विकास खंड में उसके खुलने की तिथि २६ जनवरी, १९५४ से ३० नवम्बर, १९५७ तक हुये विभिन्न विकास कार्यों का विवरण

क्र० सं०	विकास कार्य का नाम	संख्या
१	पंचायत घर और स्कूल	११
२	पुलिया	७४
३	पुल निर्माण	१
४	सड़क निर्माण	३
५	खड़न्जा	..
६	कूप मरम्मत	६
७	नेत्र शिविर	२
८	तालाब घाट	१
९	गच्चूपुर माइनर बढ़ोत्तर	२ मील ३ फ० १६८ गज
१०	चर्मकला और लुहारगिरी	२

इसके अतिरिक्त सिंचाई कार्यों के लिये ऋण भी दिया गया।

तालिका 'ग'

जिला कानपुर में स्थित अमरोधा सघन विकास खण्ड में उसके खुलने की तिथि २ अक्तूबर, १९५४ से ३१ जनवरी, १९५८ तक सिंचाई बढ़ाने के संबंध में किये गये कार्यों का विवरण

क्र० सं०	कार्य	संख्या
१	कूप मरम्मत	२३
२	कूप निर्माण	२
३	हैन्ड पम्प	२
४	रहट	१२
५	पम्पिंग सेट	३

तालिका ज'

जिला कानपुर में स्थित अमरोधा सघन विकास खण्ड में उसके खुलने की तिथि २ अक्तूबर, १९५४ से ३० जून, १९५७ तक सिंचाई बढ़ाने के कार्य तथा उन पर हुये व्यय के आंकड़े

क्र० सं०	कार्य	संख्या	सरकारी व्यय	जनता द्वारा प्राप्त अनुदान	योग
			रु०	रु०	रु०
१	कूप मरम्मत	२३	५,७९०	७,८५३	१३,६४३
२	कूप निर्माण	२	२,३००	१,५२८	३,८२८
३	हैन्ड पम्प	२	१,०००	६३०	१,६३०
४	रहट	१२	६,७००	..	६,७००
५	पम्पिंग सेट	३	८,०००	..	८,०००
	योग ..		२३,७९०	१०,०११	३३,८०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७५ पर)

(१) सन् १९५५-५६ तक ५०० रु० प्रति कुओं के हिसाब से तकावी दी जाती थी। परन्तु सन् १९५६-५७ से तकावी की दरें ५०० रु०, ७५० रु० और १,००० रु० भिन्न-भिन्न जिलों में कुओं की लागत के अनुसार निर्धारित की गई है।

(२) सन् १९५५-५६ तक उक्त तकावी पर ब्याज नहीं लिया जाता था। परन्तु १९५६-५७ से इस पर ३-१/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और सन् १९५७-५८ से ४-१/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया गया है।

(३) सन् १९५५-५६ तक नियमानुसार निर्मित्त कुओं पर १०० रु०, ३०० रु० व ६०० रु० प्रति कुओं की दर से छूट दी जाती थी। परन्तु सन् १९५६-५७ से तकावी ऋण का २५ प्रतिशत छूट में परिणत किया जाता है।

(४) सन् १९५६-५७ तक तकावी ऋण की पहली किस्त की वसूलयाबी तकावी दिये जाने के एक वर्ष बाद की जाती थी। सन् १९५७-५८ से यह अवधि बढ़ा कर दो वर्ष कर दी गई है।

—o—

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७६ पर)

११वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १५४ के उत्तर में प्रस्तुत सूचना

१९५२ से १९५८ तक हरदोई जिले में श्रमदान द्वारा कुल ४५४ मील ४ फर्लांग सड़क का निर्माण हुआ जिसका ब्योरा निम्नलिखित है:—

सन्				मील	फर्लांग
१९५२	..	..	..	७३	—
१९५३	..	..	..	९१	—
१९५४	..	..	..	८४	—
१९५५	..	..	..	१६	—
१९५६	..	..	..	१२८	७
१९५७	..	..	..	३७	५
१९५८	..	..	..	२४	—
			योग ..	४५४	४

नत्थी 'द'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७६ पर)

अनुसूची (क)

रीजनों के नाम	३१ मार्च १९५३ को	३१ मार्च १९५४ को	३१ मार्च १९५५ को	३१ मार्च १९५६ को	३१ मार्च १९५७ को	३१ मार्च १९५८ को	आधार जिन पर प्राइवेट कैरियर के लाइसेंस दिए गए
१—लखनऊ	६८	५१	४९	५५	४०	२	प्राइवेट केरियर के लाइसेंस प्रदान करते समय मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ५३ को दृष्टि में रक्खा गया। इन लाइसेंसों के प्रदान करने के पूर्व यह जांच की गई कि प्रार्थी बड़े पैमाने का उत्पादक या निर्माणकर्ता है। बड़े पैमाने के उत्पादकों अथवा निर्माणकर्ताओं को तो इस प्रकार के लाइसेंस दिये ही गये हैं परन्तु कहीं-कहीं कमीशन एजेन्टों व थोक विक्रेताओं को भी ये लाइसेंस प्रदान किये गये हैं। यह सदैव ध्यान में रक्खा गया है कि लाइसेंस प्राप्त कर्ता लाइसेंस तथा गाड़ी का प्रयोग केवल अपने निजी व्यवसाय के हेतु करें।
२—गोरखपुर	१८	१८	१०	२३	२०	१	
३—इलाहाबाद	३४	५०	२७	४५	३२	८	
४—कानपुर	६६	६५	२५	३०	२९	१	
५—आगरा	३५	३६	२२	३६	१५	..	
६—बरेली ..	५७	३८	३९	३२	३०	४	
७—कुमायूं	५	७	१५	१४	१४	..	
८—मेरठ ..	४१	४४	५६	६३	५५	८	

नत्थी 'ब'

(देखिय अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)

अनुसूची (ग)

रीजन का नाम	सन् ५३ से अब तक हुए रिट पिटीशन की संख्या	फसला हुए रिट पिटीशन की संख्या	अन्य विवरण
१—लखनऊ	३	३	
२—गोरखपुर	१	१	
३—इलाहाबाद	१८	१२	
४—आगरा	१२७	९९	
५—कानपुर	२३	१९	
६—मेरठ	४१	२९	
७—बरेली	४४	४०	
८—कुमाऊं	१६	१	इस रीजन की writ Petitions की दिखलाई गई संख्या में से एक के विषय में अभी कोई सूचना नहीं मिली तथा १४ के निर्णय अपेक्षित हैं ।

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)

अनुसूची (घ)

(१) लखनऊ रीजन ..	१—कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन, चेयरमैन ।
	२—डिप्टी कमिश्नर, लखनऊ, मेम्बर ।
	३—एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, लखनऊ, मेम्बर।
	४—श्री हीरा सिंह, प्रेसीडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, फैजाबाद, मेम्बर ।
	५—श्री वसी नकवी, एम० एल० ए०, रायबरेली, मेम्बर।
	६—रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफिसर, लखनऊ, सेक्रेटरी, मेम्बर ।
(२) गोरखपुर रीजन	१—कमिश्नर, गोरखपुर डिवीजन , चेयरमैन ।
	२—जिलाधीश, गोरखपुर, सदस्य
	३—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी० गोरखपुर, सदस्य ।
	४—श्री शिवबचन राय, सदस्य विधान सभा, देवरिया, सदस्य।
	५—श्री तामेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बस्ती, सदस्य।
	६—प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोरखपुर, सचिव-सदस्य ।
(३) इलाहाबाद रीजन ..	१—कमिश्नर, इलाहाबाद डिवीजन, चेयरमैन
	२—जिलाधीश, इलाहाबाद, सदस्य ।
	३—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, सदस्य ।
	४—श्री उमाशंकर सिंह, प्रधान जिला बोर्ड, जौनपुर, सदस्य।
	५—श्री श्यामलाल यादव, एम० एल० ए०, सदस्य ।
	६—प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, इलाहाबाद, सचिव, सदस्य।
(४) कानपुर रीजन ..	१—कमिश्नर, इलाहाबाद डिवीजन, चेयरमैन ।
	२—श्री अवधेश चन्द्र सिंह, एम० एल० ए०, जिला फर्रुखाबाद, सदस्य ।
	३—श्री बालमुकन्द शास्त्री, प्रेसिडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, औरई, सदस्य।
	४—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कानपुर, सदस्य ।
	५—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, (बी० एन्ड आर०) कानपुर, सदस्य ।
	६—प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कानपुर रीजन, सचिव, सदस्य।
(५) आगरा रीजन ..	१—कमिश्नर, आगरा डिवीजन, आगरा, चेयरमैन ।
	२—जिलाधीश, आगरा, सदस्य ।
	३—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, आगरा, सदस्य।
	४—श्री रामहेत सिंह, एम० एल० ए०, मथुरा, सदस्य ।
	५—श्री वाचस्पति, प्रेसीडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एटा, सदस्य ।
	६—प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, आगरा, सचिव, सदस्य ।
(६) बरेली रीजन ..	१—कमिश्नर, रोहिलखन्ड डिवीजन, बरेली, चेयरमैन ।
	२—जिलाधीश, बरेली, सदस्य ।
	३—अधीक्षण अभियन्ता, सा० नि० वि० ३ सर्किल (भवन व मार्ग) बरेली, सदस्य ।
	४—श्रीमती चन्द्रावती देवी, सदस्य विधान सभा, बिजनौर, सदस्य ।

५—श्री मुनिदेव, अध्यक्ष, जिला बोर्ड, मुरादाबाद, सदस्य ।
६—प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बरेली, सचिव, सदस्य ।

(७) मेरठ रीजन .. १—कमिश्नर, मेरठ डिवीजन चेयरमैन ।
२—जिलाधीश, मेरठ, सदस्य ।
३—श्री शिवदयाल सिंह, अध्यक्ष, जिला बोर्ड, मेरठ, सदस्य ।
४—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, सदस्य ।
५—श्री दीनदयाल शास्त्री, एम० एल० ए०, हरिद्वार, सदस्य ।
६—प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मेरठ, सचिव, सदस्य ।

(८) कुमाऊं रीजन .. १—कमिश्नर, कुमाऊं रीजन, चेयरमैन ।
२—जिलाधीश, नैनीताल, सदस्य ।
३—एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, नैनीताल, सदस्य ।
४—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट, एम० एल० ए०, पिथौरागढ़, सदस्य ।
५—श्री कृष्णदयाल गुप्ता, अध्यक्ष, नोटीफाइड एरिया कमेटी, दोगड्डा, गढ़वाल, सदस्य ।
६—प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सचिव, सदस्य ।

प्रत्येक रीजन में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी की स्थापना तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार, मोटर वहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४४ की उपधारा (१) व (२) के अधीन करती है ।

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'प'

(देखिये अतरांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७७ पर)

Copy of letter no. 7116/P—6, dated December 6, 1954, from the Superintending Engineer, Agricultural Engineering Circle, Kanpur to the Executive Engineer, Tube-well Division, Meerut.

Subject : **Boring on 6" Cavity and 5" Strainer Tube-wells.**

Reference : **Your letter no. 12732/2—E/Agri. dated October 15, 1954.**

Pay and T. A. of boring staff will not be charged from the cultivators if 6"cavity or 5" Strainer tube-well is constructed in a masonry well and will be catogarised as District Borings. If the Cavity or 5" Strainer tube-well is constructed in a pit pay and T. A. of Boring Staff should be charged from the cultivators and will be treated as large tube-wells.

(Sd.) P. NARAIN,
Superintending Engineer,

No. 8162/VF—3 dated Kanpur, December, 1954.

Copy forwarded for information and necessary action to :

(1) The Executive Engineers, Moradabad, Etawah, Jalaun, Banda, Mirzapur, Allahabad, Varanasi, Faizabad, Budaun, Rampur, Bareilly and Jhansi.

(2) The Agricultural Engineer, Central Region, Kanpur.

(3) The Agricultural Engineer, Gonda Region, Gonda.

(4) The Agricultural Engineer, Agra Region, Agra.

(Sd.) H. V. BHARGAVA,
Personal Assistant,
For *Superintending Engineer.*

परिशिष्ट 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९३ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५८

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१।

विधेयक

यह इष्टकर है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को यहां आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजन के लिये संशोधित किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा

(२) यह जुलाई, १९५२ के प्रथम दिन से प्रचलित हुआ समझा जायगा। प्रारम्भ।

२—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३ में खंड (८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय तथा सदैव से ही रखा हुआ समझा जाय:—

"(८) 'आस्थान' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है और सदैव से माना जायगा जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व थी,

खंड (ए), (बी), (सी) या (डी) में वर्णित किसी रजिस्टर के,

और जहां तक कि उसका सम्बन्ध दखामी काश्तकार से है, खंड (ई) में वर्णित किसी रजिस्टर के,

अथवा खंड (ई) में वर्णित रजिस्टर के सम्बन्ध में उल्लिखित प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए, उक्त ऐक्ट की धारा ३३ के अधीन रखे गये किसी रजिस्टर के,

अथवा उसी प्रकार के अन्य किसी रजिस्टर के, जो किसी समय भी प्रचलित अधिकार-अभिलेखों के तैयार करने व बनाये रखने से संबंधित किसी भी अन्य अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश में वर्णित हो अथवा उसके अधीन तैयार किया गया या रक्खा गया हो,

किसी एक इन्दराज के अन्तर्गत हो,

और उसमें किसी आस्थान भाग अथवा उसके अंश का भी अन्तर्भाव है।

स्पष्टीकरण—इस खंड में अभिदिष्ट अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश के अन्तर्गत उन विगत भारतीय राज्यों द्वारा बनाया गया या प्रख्यापित अधिनियम, नियम, विनियम या आदेश भी हैं जिनकी भूमि इस अधिनियम की धारा ४ के अधीन विज्ञापित निहित होने के दिनांक के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य में विलीन या अन्तर्भूत हो गई थी।"

उद्देश्य तथा कारण

शब्द 'आस्थान' का, जैसा कि वह जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था प्रधिनियम की धारा ३ के वर्तमान खंड (८) में परिभाषित है, तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३२ के अधीन तैयार किये गये और रखे गये किसी रजिस्टर क एक ही इन्दराज क अन्तर्गत हो। जिला मिर्जापुर के बिजयगढ़, या अगोरी-बढ़हर के राजाओं द्वारा दायर की गयी याचिका में विचार व्यक्त करते समय उच्च न्यायालयों ने इस परिभाषा की कुछ अशुद्धि की ओर इशारा किया है। वार्षिक रजिस्टरों का रख रखाव लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३३ के अधीन होता है न कि धारा ३२ के अधीन। इस अशुद्धि को दूर करने तथा लैंड रेवेन्यू ऐक्ट द्वारा निरसित पहले के किसी भी प्रधिनियम क अधीन तयार किये गये या रक्खे गये रजिस्टरों में तथा किसी भारतीय राज्य की, जिसकी भूमि निहित होने के दिनांक के पूर्व, उत्तर प्रदेश राज्य में विलीन हो गयी है, विधियों और आज्ञाओं के अधीन तैयार किय गये या रक्खे गये रजिस्टरों में किये गये इन्दराजों के सम्बन्ध में स्थिति को और स्पष्ट करने के लिये यह आवश्यक है कि एक संशोधन, जैसा कि विधेयक म अपक्षित ह, किया जाय।

चरण सिंह,
राजस्व मंत्री।

नत्थी 'ब'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३९३ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) विधेयक, १९५८

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन जारी की गयी कुछ विज्ञप्तियों के तथा उनके अनुसरण में किये गये किसी भी कार्य के वैधीकरण की व्यवस्था के निमित

विधेयक

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन जारी की गई कुछ विज्ञप्तियों के तथा उनके अनुसरण में किये गये किसी भी कार्य के वैधीकरण की व्यवस्था की जाय।

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या १५, १९४८।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (वैधीकरण) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

कुछ विज्ञप्तियों तथा उनके अनुसरण में किये गये कार्य का वैधीकरण।

२—(१) किसी न्यायलय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आज्ञा के होते हुये भी अनुसूची के भाग –क, भाग–ख तथा भाग–ग में निर्दिष्ट विज्ञप्तियां संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की क्रमशः धारा ३–क तथा धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर के जारी की गयी समझी जायंगी मानों कि उक्त धारायें विज्ञप्तियों के जारी होने के दिन उसी रूप में प्रचलित थीं जिस रूप में कि वे इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रचलित थीं और उक्त समस्त विज्ञप्तियां वैध होंगी तथा सदा से ही वैध समझी जायंगी और तब तक प्रचलित बनी रहेंगी जब तक कि वे उक्त धाराओं में से किसी के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति द्वारा संशोधित, परिवर्तित अथवा रद्द न कर दी जायं।

(२) की गई कोई वस्तु या क्रिया (जिसके अन्तर्गत दी गई कोई आज्ञा, की गई कोई कार्यवाही, जारी किये गये कोई निदेश, प्रयुक्त कोई क्षेत्राधिकार, किया गया कोई कर–निर्धारण अथवा लगाया गया या वसूल किया गया कोई कर भी है) जो कि अनुसूची में निर्दिष्ट विज्ञप्तियों के अनुसरण में करने के अभिप्राय से की गई प्रतीत हों, वैध एवं विधिपूर्ण रूप से की गई समझी जायंगी।

कुछ मामलों में कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन।

३—यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी ने किसी कार्यवाही में किसी कर के निर्धारण, लगाने अथवा वसूल करने को केवल इस आधार पर रद्द अथवा परिवर्तित कर दिया हो कि कर-निर्धारक अधिकारी को अनुसूची में निर्दिष्ट किसी विज्ञप्ति के अनुसरण में कर क निर्धारण, लगाने अथवा वसूल करने का अधिकार न था तो कार्यवाही का कोई पक्ष अथवा बिक्री–कर आयुक्त इस अधिनियम के प्रारम्भ से ९० दिन के भीतर उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी को कार्यवाही के पुनर्विलोकन के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तब वह न्यायालय अथवा प्राधिकारी कार्यवाही का पुनर्विलोकन करेगा और पहले दी गई आज्ञा को परिवर्तित या पुनरीक्षित करते हुये ऐसी आज्ञा देगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।

अनुसूची

भाग—क

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी की गई विज्ञप्तियां—

१—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-६०६८/१०—१०९७-५६, दिनांक ३० सितम्बर, १९५६ द्वारा अतिक्रमण के अधीन रहते हुये वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०९/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ ।

२—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ९१०/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ ।

भाग—ख

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३—क द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी की गई विज्ञप्तियां—

१—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०५/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ ।

२—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०६/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ ।

३—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०७/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ ।

४—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९०८/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ ।

५—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९१२/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ ।

भाग—ग

संयुक्त प्रन्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ४ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके जारी की गई विज्ञप्ति—

१—वित्त विभाग (लेखा तथा बिक्री-कर) विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९११/१०, दिनांक ३१ मार्च, १९५६ ।

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के साथ-साथ संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की संशोधित धारा ३—क के अधीन कुछ विज्ञप्तियां भी ३१ मार्च, १९५६ को जारी की गई थीं। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इनमें से कुछ विज्ञप्तियां अवध थीं, क्योंकि ३१ मार्च, १९५६ को राज्य सरकार को संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट को संशोधित धारा ३—क के अधीन किसी विज्ञप्ति के जारी करने का अधिकार नहीं था।

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम १९५७ (उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५७) अन्य वस्तुओं के साथ-साथ संशोधित धारा ३—क को ३१ मार्च, १९५६ से सप्रभाव करने के लिये भी पारित किया गया था। उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि पूर्वोक्त अधिनियम के प्रचलित होने पर भी वे विज्ञप्तियां अवैध रहती हैं।

३—तदनुसार यह विधेयक उन विज्ञप्तियों के तथा बिक्री-कर अधिनियम के अधीन उसी दिन जारी की गई कुछ अन्य विज्ञप्तियों के एवं उनके अनुसरण में किये गये कार्य के वैधीकरण के लिये तथा उनसे उत्पन्न कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—८० पी०—३२ एल० ए०—१९५८—८३५।